सत्यमेव जयते

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(भारत सरकार)

आवश्यक वस्तु विनियमन एवं प्रवर्तन

दिनांक 21 मई, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्रियों की राष्ट्रीय परामर्शी बैठक

स्वच्छ भारत

जागो ग्राहक जागो

राम विलास पासवान
RAM VILAS PASWAN

उपभोक्ता मामले,
खाद्य और सार्वजनिक वितरण
मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली - 110 001
MINISTER
FOR CONSUMER AFFAIRS,
FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110 001

सन्देश

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रियों की 21 मई, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय परामर्शी बैठक के अवसर पर उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा एक पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमें आवश्यक वस्तु के नियम एवं उन्हें कार्यान्वित करने के बारे में हर प्रकार की सुसंगत जानकारी को सम्मिलित किया गया है।

बढ़ते बाज़ारवाद के दौर में उपभोक्ता संस्कृति तो देखने को मिल रही है, लेकिन उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी है। आज हर व्यक्ति उपभोक्ता है, चाहे वह कोई वस्तु खरीद रहा हो या फिर किसी सेवा को प्राप्त कर रहा हो। दरअसल मुनाफाखोरी ने उपभोक्ताओं के लिए कई तरह की परेशानियां पैदा कर दी हैं। वस्तुओं में मिलावट और निम्न गुणवत्ता की वजह से जहां उन्हें परेशानी होती है वहीं सेवाओं में व्यवधान या पर्याप्त सेवा न मिलने से भी उन्हें दिक्क़तों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आज ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें उपभोक्ता को सुविधा के साथ कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आज हम सभी के घरों में कम से कम 20 से 25 सामान ऐसे हैं, जिनकी वारंटी/गारंटी होती है। प्रत्येक उपभोक्ता को कभी न कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, जब उसका कोई सामान वारंटी की अवधि में खराब हो जाता है। हम लोग आदतन सामान के साथ मिलने वाले कागजों को संभाल कर नहीं रख पाते हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को वारंटी/गारंटी होने के बावजूद नुकसान उठाना पड़ता है। उपभोक्ता को पूर्ण संरक्षण मिले, इसके लिए अमरीका के ई-वारंटी जैसी व्यवस्था की तर्ज़ पर उपभोक्ता अनुकूल व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है, जिस पर हमारी सरकार विचार कर रही है।

इस सार-संग्रह में दी गई जानकारी उन लोगों के लिए अमूल्य है, जिन्हें देश के आम उपभोक्ता को उचित एवं वाजिब मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। आवश्यक वस्तुओं के व्यापार, वितरण और आपूर्ति में चोरबाजारी, जमाखोरी, गुटबंदी और मुनाफाखोरी केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय है। मेरा विश्वास है कि यह सार-संग्रह, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, मूल्य प्रवृतियों और उनके वितरण तथा व्यापार के अन्य कारकों के संबंध में सूचना का संग्रहण और प्रसार करने में लगे अधिकारियों का मार्गदर्शन करेगा।

(राम विलास पासवान)

Office : Room No. 179, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001. ☎ 011-23070637, 23070642, Fax : 011-23386098.
Resi. : 12, Janpath, New Delhi - 110001. ☎ 011-23015249, 23017681

सचिव
Secretary

Tel. : 011-23782807, 23070121
Fax : 011-23384716
E-mail : secy-ca@nic.in

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली – 110001
Government of India
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
Department of Consumer Affairs
KRISHI BHAWAN , NEW DELHI - 110001

संदेश

मुझे, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के, खाद्य,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्रियों की 21 मई, 2016 को आयोजित की जाने वाली तीसरी राष्ट्रीय परामर्शी बैठक के अवसर पर उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत विभिन्न विनियमों, मूल्य निगरानी के संबंध में जानकारी तथा आवश्यक वस्तु विनियमन एवं प्रवर्तन के बारे में अन्य संबंधित एवं उपयोगी सामग्री को संकलित करके तैयार की गई पुस्तिका को प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है। यह पुस्तिका अधिनियम के प्रवर्तन में आने वाले जटिल मुद्दों को सुलझाने और विशिष्ट आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में असामान्य वृद्धि करके जनता का शोषण करने वाले जमाखोरों, सट्टेबाजों, चोरबाजारियों और अन्य धोखेबाज व्यापारियों के विरूद्ध निवारक कार्रवाईयां आरम्भ करने के लिए संदर्भ सामग्री का कार्य करेगी।

इस सार-संग्रह में लोगों को उचित मूल्यों पर आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए संघ सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न उपायों का भंडार है। 93 रिपोर्टिंग केंद्रों के रूप में फैले हुए 'अखिल भारतीय मूल्य निगरानी तंत्र' के संबंध में दी गई जानकारी से राज्य प्रशासनों से बेहतर सहयोग तथा मूल्य निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित होगा। यह पुस्तिका, खाद्य महंगाई की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होगी।

मैं, इस समयोचित संकलन को तैयार करने में जुड़े सभी अधिकारियों के योगदान की प्रशंसा करता हूं।

(हेम पांडे)

सत्यमेव जयते

जागो ग्राहक जागो

परिकल्पना

उपभोक्ताओं को संसूचित विकल्पों का चयन करने में सक्षम बनाना; उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष, एकसमान और सतत् परिणाम सुनिश्चित करना; और समयोचितएवं प्रभावी शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करना।

ध्येय

जागरूकता और शिक्षा के माध्म से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना; प्रगतिशील विधायनों के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना और अनुचित व्यापार व्यौहारों का निवारण; मानकों और उनकी अनुरूपता के माध्यम से गुणता आश्वासन सुनिश्चित करना और वहनीय तथा प्रभावी शिकायत प्रतितोष तन्त्रों तक पहुंच सुनिश्चित करना।

विषय वस्तु

1.	आवश्यक वस्तुएं, विनियमन एवं प्रवर्तन के संबंध में सारांश	1
2.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शक्तियों का प्रत्यायोजन	10
3.	मूल्य निगरानी	18
4.	लाईसेंसिंग अपेक्षताओं, स्टॉक सीमाओं और संचलन प्रतिबंधों को हटाना	33
5.	स्टॉक सीमाओं के संबंध में केंद्रीय आदेश	41
6.	राज्यों द्वारा स्टॉक सीमाएं	51
7.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्रियों की राष्ट्रीय परामर्शी बैठकों (2014 एवं 2015) के कार्यवृत्त	56
8.	राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई	
	क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्रियों की राष्ट्रीय परामर्शी बैठकों में तैयार की गई कार्रवाई योजना	65
	ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम का कार्यान्वयन – की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट एवं प्रवर्तन आंकड़े	79
	ग) बेहतर परिपाटियां	81
9.	आवश्यक वस्तुओं के संबंध में तमिलनाडु में पुलिस व्यवस्था	91

आवश्यक वस्तु विनियमन एवं प्रवर्तन के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी

ई0सी0आर0 एण्ड ई0 प्रभाग को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर-बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के संबंध में विनियम बनाने और इनका प्रवर्तन करने का अधिदेश दिया गया है।

उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बेईमान व्यापारियों द्वारा शोषण से उनको बचाने के अपने प्रयास में भारत सरकार ने निम्नलिखित अधिनियम बनाए हैं:

क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

ख) चोर-*बाजारी* निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को उपभोक्तओं को आवश्यक वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उनको बेईमान व्यापारियों द्वारा शोषण से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण तथा व्यापारिक पहलुओं को विनियमित करने के लिए नियंत्रण आदेश जारी किए गए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों का प्रवर्तन/कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है।

3. आवश्यक वस्तुओं की सूची की इन वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति के संबंध में तथा इन वस्तुओं को प्रशासित करने वाले संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से आर्थिक उदारीकरण की रोशनी में समय-समय पर समीक्षा की जाती है। केन्द्र सरकार वैश्वीकरण के एक भाग के रूप में वस्तुओं को राज्य की सीमाओं से आर-पार लाने ले जाने पर सभी अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाने की नीति का निरंतर अनुसरण कर रही है और साथ ही उपभोक्ता के हितों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उक्त अधिनियम की आवश्यक वस्तुओं की सूची की छटनी कर रही है।

4 आर्थिक उदारीकरण की दिशा में सरकारी की नीति के अनुरूप उपभोक्ता मामले विभाग विनिर्मित और कृषिजन्य उत्पाद दोनों के लिए देश भर में एकल भारतीय साझा बाजार हासिल करने के लिए अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाकर कृषि और व्यापार के विकास तथा कृषि और उद्योग के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2006 जिसको 24 दिसम्बर, 2006 को अधिनियमित किया गया था, के जरिए संशोधन किया गया है। इस संशोधन के साथ केंद्र सरकार ने ऐसी वस्तुओं को, जिनका मौजूदा उन्नत मांग और आपूर्ति की स्थिति के संदर्भ में कोई महत्व नहीं है, हटाकर और स्वतंत्र व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची में न्यूनतम वस्तुएं रखी हैं। किसानों और "गरीबी रेखा से नीचे" के लोगों के बड़े भाग को संरक्षण

प्रदान करने के लिए आवश्यक समझी गई केवल निम्नलिखित सात वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत रखा गया है :

(1) औषधियां;
(2) उर्वरक, अकार्बनिक, कार्बनिक अथवा मिश्रित;
(3) खाद्य पदार्थ, जिसमें खाद्य तिलहन और तेल शामिल है;
(4) पूर्णत: सूत से निर्मित हैंक यार्न;
(5) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद;
(6) कच्चा जूट और जूट के वस्त्र;
(7) (i) खाद्य-फसलों के बीज और फलों और सब्जियों के बीज ;
(ii) पशु चारे के बीज; और
(iii) जूट के बीज;
(iv) बिनौला

5. दालों सहित कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों के संबंध में भंडारण, संचालन आदि पर प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय कुछ केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया जिसका गठन 21.05.2001 को आयाजित मुख्य मंत्रियों के "विश्व व्यापार संगठन और कृषि" संबंधी सम्मेलन के अनुसरण में किया गया था। उक्त समिति ने निर्णय लिया कि सभी कृषिजन्य वस्तुओं के संचालन पर प्रतिबंधों को हटा दिया जाए और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए एक छत्रक विधायन के रूप में काम करता रहे ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग कर सकें किन्तु नियंत्रणों और प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाना भी आवश्यक है। अत: उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी संबंधितों के परामर्श से 15.02.2002 और 16.06.2003 को केन्द्रीय अधिसूचनाएं जारी की जिसके द्वारा विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर से लाईसेंसिंग अपेक्षाओं, स्टॉक सीमाओं और संचालन प्रतिबंधों को हटा दिया गया।

6. तथापि, कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि के संदर्भ में आवश्यक वस्तु के मूल्य में वृद्धि के रुझान को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों से व्यापक चिंता जताई जा रही है। पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों तथा आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सरकारों से भी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत शक्तियों की बहाली के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ताकि आगे और मूल्य वृद्धि की प्रत्याशा में खास तौर पर गेहूं और दालों के स्टॉकों को रोक कर रखे जाने के खिलाफ जमारोधी कार्रवाई कर सकें।

7. सरकार द्वारा स्थिति की समीक्षा की गई और मंत्रिमंडल के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि गेहूं और दालों (साबुत तथा दली हुई) के संबंध में दिनांक 15.02.2002 के केन्द्रीय आदेश के कुछ उपबंधों को छ: महीनों की अवधि के लिए आस्थगित रखा जाए ताकि इन वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्यों के संकट का सामना किया जा सके। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने दिनांक 29.08.2006 को एक केन्द्रीय आदेश सं. 1373(अ) जारी किया गया जिसके आधार पर 15.02.2002 को अधिसूचित 'रिमूवल ऑफ (लाईसेंसिंग रिक्वायरमेंट,

स्टॉक लिमिट्स एण्ड मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन्स) ऑन स्पेसीफाईड फूडस्टफ्स आर्डर, 2002' में क्रय, संचलन, बिक्री, आपूर्ति,वितरण अथवा बिक्री के लिए भंडारण के संबंध में बनाए गए शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों को गेहूं और दालों के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से छ: महीने की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आस्थगित रखा गया था। इस आदेश का प्रभाव गेहूं और दालों (साबुत अथवा दली हुई) के राज्य से बाहर के स्थानों के परिवहन, वितरण अथवा निपटान पर नहीं पड़ेगा और न ही यह आदेश इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगा। बाद में, दिनांक 15.02.2002 के केन्द्रीय आदेश के संचालन के आस्थगन को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों,चावल, धान तथा चीनी के संबंध में केन्द्रीय आदेशों को जारी किया गया। इन सभी आदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया। वर्तमान में, दालों, खाद्य तेलों तथा खाद्य तिलहनों के लिए स्टॉक सीमाओं की अनुमति 30.09.2012 तक की अवधि तक के लिए हैं और 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामत:आन्ध्र प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मणिपुर,महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, जिन्होंने धान और चावल के संबंध में स्टॉक सीमाओं को जारी रखने का अनुरोध किया है, में चावल एवं धान के संबंध में 30.11.2012 तक के लिए है। गेहूं और चीनी को क्रमश: 01.04.2009 और 01.12.2011 से इन आदेशों की परिधि से हटा लिया गया है।

8. चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3 की उप धारा 4 के अंतर्गत उपबंधों के अनुसरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जारी आदेशों के उल्लंघनकर्ताओं को नजरबंदी आदेश जारी करके नजरबंद किया जा सकता है। यदि कोई नजरबंदी का आदेश, अनुमोदित किया जाता है तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा उसकी जानकारी, नजरबंदी के आधार और अन्य ऐसे विवरणों, जो राज्य सरकार की राय में, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किए जाने के 7 दिन की अवधि के भीतर नजबंद करने के लिए आवश्यक हो, सहित केन्द्र सरकार को सूचित किए जाने चाहिए।

9. केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से चर्चा के कारण, राज्य सरकारों ने आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं, की जमाखोरी एवं चोर बाजारी जैसी अनैतिक व्यापार पद्धतियों को रोकने के लिए 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' और 'चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980' दोनों के अंतर्गत आवश्यक उपाय किए हैं।

10. राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा केन्द्र सरकार को यथासंसूचित के अनुसार वर्ष 2015-2016 के दौरान चोर-बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत दिए गए गिरफ्तारी आदेशों के ब्यौरे संलग्न है।

11. अधिनियमों के कार्यान्वयनों के ब्यौरों से यह पता चला है कि तमिलनाडु और गुजरात को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य में अधिनियमों का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से नही हो पा रहा है। यह भी देखने में आया है कि राज्य, उनके द्वारा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, संचलन, वितरण और कीमतों के संबंध में लिये गये निर्णयों, चाहे वह आदेशों के रूप में हों या सांविधि के रूप में, की प्रति उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से इन अधिनियमों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने का नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है क्योंकि, दिनांक 09.06.1978 के आदेश द्वारा अधिनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियां उन्हें व्यापक रूप से प्रत्यायोजित की जा चुकी हैं।

12. हाल ही में की गई कार्रवाईयां: प्रवर्तन एजेंसियों के समूह का गठन-

(i) दालों, खाद्य तेलों इत्यादि जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं में कपटपूर्ण व्यापार, चोरबाजारी, जमाखोरी और गुटबंदी को मॉनीटर करने के लिए सचिव (उ.मा.) की अध्यक्षता में प्रवर्तन एजेंसियों के एक समूह का गठन किया गया है। राज्यों के परामर्श से खाद्य महंगाई की पुनरीक्षा करने के लिए इसकी नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं और कीमतों को यथोचित स्तर पर रखने की कार्रवाई करने के लिए राज्यों और अन्य एजेंसियों को परामर्श दिया जाता है।

(ii) **चीनी पर स्टॉक सीमाएं:** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चीनी के डीलरों के विरूद्ध जमाखोरी-रोधी अभियान चलाने में सक्षम बनाने के लिए सरकार ने चीनी पर स्टॉक सीमाएं अधिरोपित की हैं। यह निर्णय दिनांक 29.04.2016 के का0 आ0 संख्या 1584(अ) के तहत अधिसूचित किया गया है।

(iii) **प्याज पर स्टॉक सीमाएं:** वर्तमान में प्याज स्टॉक सीमाओं के दायरे में आता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और संबंधित केंद्रीय विभागों के साथ परामर्श करने के उपरांत इसकी स्टॉक सीमाओं में विस्तार अथवा अन्यथा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

(iv) **दालों और खाद्य तेलों तथा खाद्य तिलहनों पर स्टॉक सीमाएँ:** इन वस्तुओं पर स्टॉक सीमाएं 30.09.2016 तक वैध हैं। इनमें विस्तार के लिए मंत्रिमंडल को प्रस्ताव भेजने की कार्रवाई जुलाई, 2016 में आरम्भ की जाएगी। दालों के संबंध में स्टॉक सीमाओं से सभी प्रकार की छूटों को दिनांक 18.10.2015 से वापिस ले लिया गया है। दिनांक 19.10.2015 से देश भर में एक विशेष जमाखोरी-रोधी अभियान चलाया जा रहा था।

(v) **राज्य सरकारों के खाद्य मंत्रियों की राष्ट्रीय परामर्शी बैठक:** कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर राज्यों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण के प्रभारी मंत्रियों की दो राष्ट्रीय परामर्शी बैठकें दिनांक 04.07.2014 और दिनांक 07.07.2015 को आयोजित की जा चुकी हैं। तीसरी बैठक 21.05.2016 को आयोजित की जाएगी। दोनों बैठकों में – राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किए जाने के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार की गई है।

*****

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2007/माघ 23, 1928

No. 149] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2007/MAGHA 23, 1928

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2007

का.आ. 184(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 54) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 फरवरी, 2007 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. 26(1)/2004-ईसीआर एंड ई (जिल्द III)]

अलका सिरोही, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2007

S.O. 184(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Essential Commodities (Amendment) Act, 2006 (54 of 2006), the Central Government hereby appoints the 12th February, 2007 as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 26 (1)/2004-ECR & E (Vol. III)]

ALKA SIROHI, Addl. Secy.

453 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2006—08 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2006—08

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 62] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 2006 / पौष 5, 1928
No. 62] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 2006 /PAUSA 5, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 26th December, 2006/Pausa 5, 1928 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 24th December, 2006, and is hereby published for general information:—

THE ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) ACT, 2006

No. 54 OF 2006

[*24th December* 2006.]

An Act further to amend the Essential Commodities Act, 1955.

Be it enacted by Parliament in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the Essential Commodities (Amendment) Act, 2006.

(*2*) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Amendment of section 2.

10 of 1955. 2. In the Essential Commodities Act, 1955 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, clause (*a*) shall be omitted.

Insertion of new section 2A.

3. After section 2 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Essential commodities declaration, etc.

'2A. (*1*) For the purposes of this Act, "essential commodity" means a commodity specified in the Schedule.

(*2*) Subject to the provisions of sub-section (*4*), the Central Government may, if it is satisfied that it is necessary so to do in the public interest and for reasons to be specified in the notification published in the Official Gazette, amend the Schedule so as to—

(*a*) add a commodity to the said Schedule;

(*b*) remove any commodity from the said Schedule,

in consultation with the State Governments.

(*3*) Any notification issued under sub-section (*2*) may also direct that an entry shall be made against such commodity in the said Schedule declaring that such commodity shall be deemed to be an essential commodity for such period not exceeding six months to be specified in the notification:

Provided that the Central Government may, in the public interest and for reasons to be specified, by notification in the Official Gazette, extend such period beyond the said six months.

(*4*) The Central Government may exercise its powers under sub-section (*2*) in respect of the commodity to which Parliament has power to make laws by virtue of Entry 33 in List III in the Seventh Schedule to the Constitution.

(*5*) Every notification issued under sub-section (*2*) shall be laid, as soon as may be after it is issued, before both Houses of Parliament.'.

Amendment of section 3.

4. In section 3 of the principal Act, in sub-section (*2*), in clause (*g*), the words "or cotton textiles" shall be omitted.

Amendment of section 12A.

5. In section 12A of the principal Act, in sub-section (*2*), in clause (*a*), sub-clause (*i*) shall be omitted.

Savings of the orders issued under section 3.

6. All notifications, orders, directions issued or any appointment made, licence or permit granted under section 3 of the principal Act before the commencement of this Act and are in force, in respect of the essential commodities specified in the Schedule, shall continue to remain in force until and unless it is superseded by any notification, order, appointment made, licence or permit granted or directions issued and it shall be deemed to have been issued under the corresponding provisions of this Act.

THE SCHEDULE

(*See* section 2A)

ESSENTIAL COMMODITIES

(1) drugs.

Explanation.—For the purposes of this Schedule, "drugs" has the meaning assigned
23 of 1940. to it in clause (*b*) of section 3 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940;

(2) fertilizer, whether inorganic, organic or mixed;

(3) foodstuffs, including edible oilseeds and oils;

(4) hank yarn made wholly from cotton;

(5) petroleum and petroleum products;

(6) raw jute and jute textiles;

(7) (i) seeds of food-crops and seeds of fruits and vegetables;

(ii) seeds of cattle fodder; and

(iii) jute seeds.

K. N. CHATURVEDI,
Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006.

MGIPMRND—4593GI(S4)—29-12-2006.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2180] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2009/पौष 1, 1931

No. 2180] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2009/PAUSA 1, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3267(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिनौले के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण और अन्य पहलुओं को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को आवश्यक वस्तु आदेश, 2009 कहा जाएगा ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की, अनुसूची के क्रम संख्या (7) की मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(iv) बिनौला" ।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

[फा. सं. 15/1/2007-ई सी आर एंड ई]

राकेश कक्कड़, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2009

S.O. 3267(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, to regulate the production, quality, distribution and other aspects of cotton seed, namely :—

1. (1) This order may be called the Essential Commodities Order, 2009.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Essential Commodities Act, 1955, in the Schedule, in serial number (7), after item (iii), the following item shall be added, namely :—

"(iv) cotton seed".

3. This notification shall remain in force for a period of six months from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 15/1/2007-ECR & E]

RAKESH KACKER, Addl. Secy.

4683 GI/2009

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 1973/फाल्गुन 22, 1894

No. 59] **NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 1973/PHALGUNA 22, 1894**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 13th March 1973

G.S.R. 168(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make orders to provide for the matters specified in clause (g) of sub-section (2) thereof shall, in relation to foodstuffs be exercisable also by a State Government:

Provided that before making an order providing for the matters specified in the aforesaid clause, a State Government shall obtain the prior concurrence of the Central Government.

[No. 3(Genl)(2)/92/73-PY. II.]

A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1973

सा० का० नि० 168 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा, उसकी उपधारा (2) के खंड (छ) में विनिर्दिष्ट विषयों के लिए उपबन्ध करने हेतु आदेश करने की, उसे प्रदत्त शक्तियों, खाद्य पदार्थ के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी :

परन्तु यह कि उपर्युक्त खंड में विनिर्दिष्ट विषयों के लिए उपबन्ध करने हेतु आदेश करने के पूर्व राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति अभिप्राप्त कर लेगी ।

[सं० 3 (जनरल) (2)/92/73-पी० वाई-II]

ए० के० मजुमदार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978

रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 488] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 30, 1974/अग्रहायण 9, 1896

No. 488] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 30, 1974/AGRAHAYANA 9, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies & Cooperation)

ORDERS

New Delhi, the 30th November 1974

S.O. 681(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs—

(a) that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make Orders to provide for the matters specified in clauses (d), (e), (f), (g), (h), (i), (ii) and (j) of sub-section (2) thereof shall, in relation to all essential commodities other than foodstuffs and fertilisers (whether inorganic, organic or mixed), be exercisable also by a State Government or, in relation to a Union territory, by the Administrator thereof, subject to the following conditions, namely:—

(i) that the delegation of powers under clause (d) shall not extend to inter-State transport or distribution and the powers under that clause shall not be exercised so as to prejudicially affect such transport or distribution in pursuance of any Order issued by the Central Government;

(ii) that all Orders under clause (f) shall require the prior concurrence of the Central Government;

(iii) that no Order shall be issued in pursuance of the powers hereby delegated if it is inconsistent with any Order issued by the Central Government under the said Act;

(iv) that in making an Order relating to any of the matters specified in clause (j), the State Government or, as the case may be, the administrator of a Union territory shall authorise only an officer of Government;

(b) that the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 1844 dated the 18th June, 1966 issued under section 5 of the said Act shall stand rescinded:

Provided that, notwithstanding such rescission, any Order (hereinafter referred to as the said Order) made by a State Government or an administrator or any officer subordinate to that State Government or administrator in pursuance of the Order so rescinded and in force immediately before the commencement of this Order, shall be deemed to have been made in pursuance of this Order and under the relevant provisions of section 3 of the said Act, and shall continue in force according to its tenor, and accordingly any action taken or thing done (including any appointment made, licence or permit granted or direction issued) under the said Order and in force immediately before such commencement shall continue in force according to its tenor until and unless it is superseded by any action taken or anything done under any other Order made in pursuance of this Order and under the relevant provisions of section 3 of the said Act.

[No. 26(1)/74-CS.II]

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1974

का० आ० 681 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि —

(क) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा, उसकी उपधारा (2) के खण्ड, (घ) (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (झझ) और (ञ) में विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत उपबन्ध करने का आदेश देने के लिए उसे जो शक्तियां प्रदत्त की गई हैं उनका प्रयोग खाद्य पदार्थ और उर्वरकों (चाहे वे अजैव, जैव हों या मिश्रित हों) से भिन्न आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में, किसी राज्य सरकार द्वारा भी, या संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, उसके प्रशासक द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कि खण्ड (घ) के अधीन जिन शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है उनका विस्तार अन्तर्राज्यीय परिवहन या वितरण पर नहीं होगा और उस खण्ड के अधीन शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के अनुसरण में ऐसे परिवहन या वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ;

(ii) कि खण्ड (च) के अधीन सभी आदेशों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति अपेक्षित होगी ;

(iii) कि प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में, उस दशा में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा जब कि वह उक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश से असंगत हो;

(iv) कि खण्ड (ञ) में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी के सम्बन्ध में आदेश करने के लिए, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक, सरकार के किसी अधिकारी को ही प्राधिकृत करेगा ;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का आदेश सं० का० आ० 1844, तारीख 18 जून, 1966 विखंडित हो जाएगा :

परन्तु ऐसे विखण्डिन के होते हुए भी, इस प्रकार विखण्डत आदेश के अनुसरण में, किसी राज्य सरकार या प्रशासक या उस राज्य सरकार या प्रशासक के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) और जो इस आदेश के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त था, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे इस आदेश के अनुसरण में और उक्त अधिनियम की धारा 3 से सुसंगत उपबन्धों के अधीन किया गया है, और वह उसकी परिपक्वता कालावधि के अनुसार प्रवृत्त रहेगा और तदनुसार उक्त आदेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई बात (जिसमें की गई नियुक्ति, अनुदत्त अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र या जारी किया गया निदेश सम्मिलित है) जो ऐसे प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त थी, अपनी परिपक्वता कालावधि के अनुसार तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस आदेश के अनुसरण में और उक्त अधिनियम की धारा 3 से सुसंगत उपबन्धों के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई किसी बात द्वारा उसे अधिक्रान्त नहीं किया जाता है ।

[सं० 26 (1)/74-सी एस० II]

S.O. 682(E).—In exercise of the powers conferred by sections 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs—

(a) that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make Orders to provide for the matters specified in clause (c) of sub-section (2) thereof shall in relation to all essential commodities, other than foodstuffs and fertilisers (whether inorganic, organic or mixed), be exersiable also by a State Government or, in relation to a Union territory, by the administrator thereof subject to the following conditions, namely:—

(i) that where the price at which any essential commodity may be bought or sold is controlled by or under any other law for th etime being in force, no Order shall be made in pursuance of the powers hereby delegated;

(ii) that where the price is not so controlled, no Order shall be made in pursuance of the powers hereby delegated in respect of any essential commodity,—

(A) if the whole-sale prices or retail prices, or both, of such commodity have been fixed by the manufacturers or producers thereof with the approval of Central Government, except on the basis of such prices;

(B) in any other case, except with the prior concurrence of the Central Government;

(iii) that no order shall be issued in pursuance of the powers hereby delegated if it is inconsistent with any Order issued by the Central Government under the said Act;

(b) that the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2314 dated the 30th July, 1966 issued under section 5 of the said Act shall stand rescinded:

Provided that, notwithstanding such rescission, any Order (hereinafter ... State Government or an

administrator in pursuance of the Order so rescinded and in force immediately before the commencement of this Order, shall be deemed to have been made in pursuance of this Order and under the relevant provisions of section 3 of the said Act, and shall continue in force according to its tenor, and accordingly any action taken or thing done (including any appointment made, licence or permit granted or direction issued) under the said Order and in force immediately before such commencement shall continue in force according to its tenor until and unless it is superseded by any action taken or anything done under any other Order made in pursuance of this Order and under the relevant provisions of section 3 of the said Act.

[File No. 26(1)/74-CS.II]

K. RAMANUJAM, Jt. Secy.

का० आ० 682 (अ).--केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि --

(क) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा, उसकी उपधारा (2) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत उपबन्धित करने के आदेश करने के लिए उसे जो शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, उनका प्रयोग, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों (चाहे वे अजैव, जैव हों या मिश्रित हों) से भिन्न आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भी, या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में, उसके प्रशासक द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) कि जहां, वह कीमत जिस पर किसी आवश्यक वस्तु को खरीदा या बेचा जाएगा, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या के अधीन नियंत्रित है, वहां प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में कोई आदेश नहीं किया जाएगा ;

(ii) कि जहां कीमत इस प्रकार नियंत्रित नहीं की जाती है, वहां किसी आवश्यक वस्तु की बाबत प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में,--

(क) ऐसी कीमत के आधार पर के सिवाय कोई आदेश नहीं किया जाएगा यदि ऐसी वस्तु की थोक या खुदरा कीमतें या दोनों उसके विनिर्माताओं या उत्पादकों द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से नियत की गई हों;

(ख) किसी भी अन्य दशा में, केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति के बिना कोई आदेश नहीं किया जाएगा ;

(iii) कि प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा यदि वह उक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश से असंगत हो ;

(ख) कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का आदेश, सं० का० आ० 2314, तारीख 30 जुलाई, 1966 विखण्डित हो जाएगा :

परन्तु ऐसे विखण्डन के होते हुए भी इस प्रकार विखण्डित आदेश के अनुसरण में, किसी राज्य सरकार या प्रशासक या उस राज्य सरकार या प्रशासक के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है)

जाएगा कि उसे इस आदेश के अनुसरण में और उक्त अधिनियम की धारा 3 के सुसंगत उपबन्धों के अधीन किया गया है, और वह उसकी परिपक्वता कालावधि के अनुसार प्रवृत्त रहेगा और तदनुसार उक्त आदेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई बात (जिसमें की गई नियुक्ति, अनुदत्त अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र या जारी किया गया निदेश सम्मिलित है) जो ऐसे प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त थी, अपनी परिपक्वता कालावधि के अनुसार तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस आदेश के अनुसरण में और उक्त अधिनियम की धारा 3 से सुसंगत उपबन्धों के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई किसी बात द्वारा उसे अधिक्रान्त नहीं किया जाता है ।

[सं० 26 (1)/74-सी एस० II]

के० रामानुजम, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 1978

सा. का. नि. 800.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. सा.का.नि. 316(अ) तारीख 20 जून, 1972 को अधिक्रान्त करते हुए, केंद्रीय सरकार, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा, उसकी उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (ज), (झ), (झझ) और (ञ) में विनिर्दिष्ट विषयों का उपबंध करने के लिए आदेश करने की उसे प्रदत्त शक्तियों, खाद्य वस्तुओं के सम्बन्ध में, किसी राज्य सरकार द्वारा भी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रयोक्तव्य होंगी —

(1) ऐसी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा ऐसे निदेशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त जारी करे ;

(2) उक्त खण्ड (क), (ग) या (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में या खाद्य वस्तुओं के, राज्य से बाहर के स्थानों को वितरण या व्ययन के संबंध में, या उक्त खण्ड (घ) के अधीन किसी खाद्य वस्तु के परिवहन के विनियमन के संबंध में, आदेश करने से पूर्व राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति भी प्राप्त करेगी ।

(3) उक्त खण्ड (ञ) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के बारे में आदेश करने में राज्य सरकार, सरकार के किसी अधिकारी को ही प्राधिकृत करेगी ।

[सं. 3 (साधारण) (1)/78-डी एण्ड आर (1)-59)]

के. बालाकृष्णन, उप सचिव,

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 9th June, 1978

G.S.R. 800.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and in supersession of the Order of the Government of India in the late Ministry of Agriculture (Department of Food) No. GSR 316(E), dated the 20th June, 1972, the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make orders to provide for the matters specified in clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h) (i), (ii) and (j) of sub-section (2) thereof shall, in relation to foodstuffs be exercisable also by a State Government subject to the conditions—

(1) that such powers shall be exercised by a State Government subject to such directions, if any, as may be issued by the Central Government in this behalf ;

(2) that before making an order relating to any matter specified in the said clauses (a), (c) or (f) or in regard to distribution or disposal of foodstuffs to places outside the State or in regard to regulation of transport of any foodstuff, under the said clause (d), the State Government shall also obtain the prior concurrence of the Central Government ; and

(3) that in making an order relating to any of the matters specified in the said clause (j) the State Government shall authorise only an officer of Government.

[No. 3(GENL)(1)/78-D&R(I)-59]

K. BALAKRISHNAN, Dy. Secy.

मूल्य निगरानी तन्त्र (पी.एम.सी.)

1. **प्रस्तावना**

1.1 नीति निर्माण हेतु सरकार के लिए आवश्यक खाद्य वस्तुओं की मूल्य प्रवृत्तियों की गहन निगरानी आवश्यक है क्योंकि यह समाज के सभी वर्गों और विशेषकर निर्धन और कमजोर वर्गों पर विपरीत प्रभाव डालती है। इसलिए, चुनिंदा खाद्य वस्तुओं की कीमतों की गहन निगरानी करने के साथ-साथ उनकी उपलब्धता को प्रभावित करने वाली ढांचागत और अन्य बाधाओं की गहन निगरानी करने तथा उन वस्तुओं की बाजार उपलब्धता में सुधार लाने और कीमतों में नरमी लाने के लिए समयोचित हस्तक्षेप सुनिश्चित करने हेतु मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना सन् 1998 में की गई।

1.2 मूल्य निगरानी कक्ष (पी.एम.सी.) के माध्यम से 22 आवश्यक वस्तुओं के थोक एवं खुदरा मूल्यों को देश भर के 91 केन्द्रों से दैनिक आधार पर संग्रहित किया जाता है। (केन्द्रों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है) इन 22 वस्तुओं में पांच वस्तु-समूह शामिल हैं अर्थात, खाद्यान्न (चावल, गेहूं और आटा), दालें (चना, तूर, उड़द, मूंग, मसूर), खाद्य तेल (मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सोया तेल, सूरजमुखी का तेल, पॉम ऑयल) सब्जियां (आलू, प्याज, टमाटर) और अन्य वस्तुएं (चीनी, गुड़, दूध, चाय और नमक) शामिल हैं।

1.3 संभावित बाजार हस्तक्षेप, यदि कोई हो, सहित समुचित निर्णय लेने के लिए उपर्युक्त आधार पर समेकित किए गए इन मूल्यों की पुनरीक्षा नियमित आधार पर समग्र रूप से और वस्तु विशिष्ट प्रवृतियों के आधार पर कीमतों के संबंध में सचिवों की समिति द्वारा भी की जाती है।

1.4 आरंभ में पी.एम.सी. को देश भर के 18 केंद्रों से 14 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की मॉनीटरिंग का कार्य सौंपा गया था। अपने स्थापना काल से अब तक लगभग 17 वर्ष की अवधि के दौरान पी.एम.सी. के कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ है, आज की तारीख में मॉनीटर की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 22 है और रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है।

2. निगरानी तंत्र

2.1 विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में फैले 91 रिपोर्टिंग केंद्रों, जो कि संबंधित राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों के पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं, से 22 वस्तुओं के खुदरा एवं थोक मूल्यों के संबंध में दैनिक आधार पर जानकारी प्राप्त की जा रही है।

2.2 इन 91 बाजार केंद्रों में से 27 उत्तर क्षेत्र में, 21 पश्चिम क्षेत्र में, 10 पूर्व में, 27 दक्षिण में, और 6 पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थित हैं (ज़ोन-वार सूची **अनुलग्नक-II** पर है)। जहां तक अपनाए जाने वाले तरीके का संबंध है राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के फील्ड अधिकारियों द्वारा किसी एक पदनामित थोक बाजार से किसी विशिष्ट वस्तु की थोक कीमतें संग्रहित की जाती हैं और तीन ऐसे बाजारों जो विभिन्न आय समूहों जैसे कि उच्च आय या मध्यम आय और निम्न आय समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, से विशिष्ट किस्मों के खुदरा मूल्य दैनिक आधार पर संग्रहित किए जाते हैं। मूल्य संग्रहण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश **अनुलग्नक-III** में दिए गए हैं। थोक मूल्यों के साथ-साथ तीन केंद्रों से संग्रहित किए गए खुदरा मूल्यों का औसत प्रतिदिन अपराह्न 2.30 बजे तक क्रमश: ऑनलाइन/मेल/फैक्स के माध्यम से पी.एम.सी. को संसूचित किया जाता है।

2.3 आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए चार विकल्प ऑनलाइन, ई-मेल, फैक्स और डाक हैं। जैसा कि **अनुलग्नक IV** में दर्शाया गया है, वर्तमान में ऑनलाइन माध्यम से (83 केंद्र), फैक्स के माध्यम से (3 केंद्र) और ई-मेल के माध्यम से (4 केंद्र) तथा डाक द्वारा (**एक केन्द्र**) कीमतों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। थोक/खुदरा स्तर पर कीमतों में असामान्य भिन्नता या किसी विशेष बढ़ोतरी/कमी पर तत्काल ध्यान दिया जाता है और उसके ब्यौरों तथा कारणों के लिए संबंधित राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संपर्क किया जाता है। कई अन्य विभागों के विपरीत

वर्तमान में, रिपोर्टिंग केंद्रों से ये आंकड़ें दैनिक आधार पर प्राप्त किए जा रहे हैं और इसलिए यह तात्कालिक बाजार प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

3. **मूल्य रिपोर्टें**

i. समेकित किए गए आंकड़ों के आधार पर दैनिक खुदरा और थोक मूल्य प्रतिदिन सायं 5:00 बजे तक विभाग की बेवसाइट पर अपलोड किए जाते हैं, जिन्हें (http://consumeraffairs.nic.in/) पर देखा जा सकता है। जानकारी में निम्नलिखित शामिल हैं:

- 22 आवश्यक वस्तुओं के तुलनात्मक थोक एवं खुदरा मूल्य
- आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय दैनिक औसत मूल्य
- 91 चुनिंदा केंद्रों पर आवश्यक वस्तुओं के थोक एवं खुदरा मूल्य
- पखवाड़े के दौरान 91 केंद्रों पर चुनिंदा 17 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अंतर सहित उनके दैनिक थोक एवं खुदरा मूल्य
- नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज (एन.सी.डी.ई.एक्स) से ई-मेल द्वारा प्राप्त 7 वस्तुओं अर्थात् चना, गेहूं, मक्का, सरसों, चीनी, सोया ऑयल और पॉम ऑयल के दैनिक आधार पर संग्रहित स्पॉट तथा भावी मूल्य

ii. इन दैनिक मूल्य रिपोर्टों के आधार पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के संबंध में एक साप्ताहिक नोट कृषि एवं सहकारिता विभाग, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, पी.आई.बी. और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजा जाता है।

iii. वर्तमान मूल्य स्थिति के साथ-साथ घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के आधार पर मूल्य प्रवृत्तियों के संबंध में अन्य विभागों के साथ परामर्श करके मंत्रिमंडल समिति/सचिवों की समिति के लिए कार्यसूची की टिप्पणियां भी तैयार की जाती हैं।

iv. वस्तु विशिष्ट अर्थात् प्याज, दालें, खाद्य तेल, चीनी इत्यादि के संबंध में विश्लेषण/मूल्यांकन नोट भी तैयार किए जाते हैं।

4. मूल्य निगरानी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए योजनागत स्कीम:

4.1 मूल्य निगरानी कक्ष द्वारा दिनांक 01.04.2014 से एक योजनागत स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है, जिसे 'मूल्य निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण' कहा जाता है, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में 10.81 करोड़ रूपये के परिव्यय से आरम्भ की गई थी।

4.2 स्कीम के अनुमोदन के अनुसार इस स्कीम के तीन महत्वपूर्ण घटक अर्थात् (क) केन्द्र में पी.एम.सी. का सुदृढ़ीकरण; (ख) राज्यों में पी.एम.सी. का सुदृढ़ीकरण और (ग) केन्द्र में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की पी.एम.सी; विशिष्ट सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करना है (दिशा-निर्देशों सहित ब्यौरे **अनुलग्नक-V** पर हैं)।

4.3 स्कीम का मूल उद्देश्य, विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आंकड़ों की दैनिक आधार पर रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग एवं विश्लेषण प्रक्रिया का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करना है।

4.4 वर्ष अर्थात् 2015-16 के दौरान, 2 करोड रूपए के बजट आबंटन (जिसे संशोधित अनुमानों के स्तर पर 1.5 करोड़ रूपये कर दिया गया) के प्रति इस स्कीम के तहत 126.12 लाख रूपये का व्यय हुआ। चालू वर्ष अर्थात् 2016-17 के लिए 2 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव दिया गया है, किंतु बजट आबंटन 2016-17 में केवल 1 करोड़ रूपये ही आबंटित किए गए हैं।

इस स्कीम के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां में निम्नलिखित शामिल हैं:

- मूल्य रिपोर्टिंग केन्द्रों की संख्या 57 से बढ़कर 91 हो गई है।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सहित केन्द्र में पी.एम.सी. के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का उन्नयन
- प्रभावी मूल्य रिर्पोटिंग के लिए, वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान, 15 राज्यों (47 केन्द्रों) में सूचना प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए निधियां रिलीज़ की गई।
- राज्य स्तर पर पी.एम.सी. के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- विशिष्ट आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों जैसे कि अगस्त, 2015 के दौरान दिल्ली के विभिन्न स्थानों में प्याज़ की प्रचलित कीमतों का यथास्थल निरीक्षण किया गया।
- अगले दस वर्षों के लिए दालों जैसी वस्तुओं के लिए वस्तु विशिष्ट अध्ययन/सर्वेक्षण और मुद्रास्फीति रूझान आरम्भ किए गए।

5. महत्वपूर्ण चुनौतियां/कठिनाइयां

नई योजनागत स्कीम सहित विद्यमान मॉनीटरिंग तंत्र को सुदृढ़ और व्यापक बनाए जाने के बावजूद भी ऐसी चुनौतियां/बाधाएं अभी भी हैं जिनका निवारण किए जाने की आवश्यकता है। उनमें से महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं :

- केन्द्रों द्वारा मूल्य की दैनिक रिपोर्टिंग स्वैच्छिक है और कुछ रिर्पोटिंग केन्द्रों द्वारा मूल्यों की रिपोर्टिंग न करने/रिपोर्टिंग में देरी से प्रभावित होती है।
- दैनिक मूल्य रिपोर्ट प्रतिदिन 5.00 बजे अपराह्न तक जारी की जाती है, जिससे मूल्य केन्द्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए मूल्यों की परिशुद्धता की जांच के लिए बहुत कम समय मिलता है।
- मूल्य रिपोर्टिंग केन्द्रों की संख्या को बढ़ाना
- वस्तुओं की संख्या को वर्तमान 22 से बढ़ाना
- अधिक वस्तु विशिष्ट अध्ययन/ सर्वेक्षण आरम्भ करना
- आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार के लिए कार्रवाई/सिफारिश को सामयिक आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा।

6. विभाग के संबंध में आगामी एक वर्ष की कार्य योजना

- वर्ष 2017 के अंत तक रिपोर्टिंग केन्द्रों की वर्तमान संख्या को 91 से बढ़ाकर 100 के लक्ष्य तक ले जाना।
- मूल्य निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अधिक समन्वय और आई टी अवसंरचना के उन्नयन के लिए निधियां उपलब्ध कराना।
- आवधिक बाजार सर्वेक्षणों के माध्यम से परिवर्तित उपभोग पद्धति को ध्यान में रखते हुए हाल ही मानीटर की गई आवश्यक वस्तुओं की सूची में वृद्धि/संशोधन करना।
- चालू वित्तीय वर्ष और अगले 10 वर्षों के लिए दालों की प्रक्षेपित मांग पर पहुंचने के लिए 'भारत में दालों की विभिन्न किस्मों की मांग और उपभोग पद्धति' पर वस्तु विशिष्ट अनुसंधान अध्ययन/सर्वेक्षण करना।

- 'खाद्य मुद्रास्फीति के पीछे संरचनात्मक कारकों' पर अध्ययन आरम्भ किया गया/दोनों अध्ययनों को वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान पूरा किया जाना है।

7. मूल्य स्थिरीकरण कोष (पी0एस0एफ0)

7.1 उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए, मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना, प्याज, आलू और दालों जैसी कृषि-बागवानी वस्तुओं की महत्वपूर्ण महंगाई प्रवृतियों से निपटने के लिए 500 करोड़ रूपये की कायिक निधि से की गई थी। इस कोष का उपयोग बाजार में नई आवक के समय किसानों से कृषि वस्तुएं खरीदने के लिए केंद्र/राज्य एजेंसियों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। आरम्भ में इस कोष का उपयोग केवल शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि-बागवानी वस्तुओं जैसे कि प्याज और आलू, जिनके मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव दिखाई देते हैं, के संबंध में बाजार हस्तक्षेप करने के लिए किया जाता था। बाद में इसमें दालों को भी शामिल कर लिया गया। किसानों/थोक मंडियों से घरेलू अधिप्राप्ति के अतिरिक्त, अब आयात के लिए भी इस कोष से सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के ब्यौरे **अनुलग्नक-VI** पर दिए गए हैं।

7.2 सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, मूल्य स्थिरीकरण कोष योजनागत स्कीम दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग से उपभोक्ता मामले विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थी।

7.3 उपभोक्ता मामले विभाग ने इस स्कीम के दिशा-निर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं किया है क्योंकि ये 2016-17 तक प्रभावी हैं। तथापि, सचिव (उपभोक्ता मामले) को अध्यक्ष नियुक्त करते हुए, मूल्य स्थिरीकरण प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया है।

7.4 अभी तक पुनर्गठित मूल्य स्थिरीकरण प्रबंधन समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं। (कार्यवृत्त की प्रतियां **अनुलग्नक-VII** पर हैं)

7.5 **मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लिए गए महत्वपूर्ण एवं कार्यान्वयनाधीन निर्णय:**

(क) खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा चीन और मिश्र से 5000 मीट्रिक टन तूर (मालावी) और 2000 मीट्रिक टन प्याज का आयात करना;

(ख) नेफेड और एस.एफ.ए.सी. द्वारा प्याज की घरेलू अधिप्राप्ति करना। एस.एफ.ए.सी. द्वारा 5868 मीट्रिक टन प्याज की अधिप्राप्ति कर ली गई है जबकि नेफेड द्वारा 2654.29 मीट्रिक टन की अधिप्राप्ति की गई है;

(ग) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने अपनी दिनांक 9 दिसम्बर, 2015 को हुई बैठक में बफर स्टॉक का सृजन करने के लिए एफ.सी.आई., नेफेड, एस.एफ.ए.सी. और मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से वर्ष 2015-16 की खरीफ फसल से 50, 000 टन और वर्ष 2015-16 की रबी फसल से एक लाख टन दालों की अधिप्राप्ति का अनुमोदन दिया था। 50,000 टन के लक्ष्य की खरीद के साथ-साथ बफर स्टॉक को एम.एम.टी.सी. द्वारा तूर और उड़द के आयात के माध्यम से भी बढ़ाया जा रहा है। एम.एम.टी.सी. ने अब तक 13,500 मीट्रिक टन तूर और 12,500 मीट्रिक टन उड़द के आयात के अनुबंध किए हैं।

(घ) सचिवों की समिति ने अपनी दिनांक 28 जनवरी, 2016 को आयोजित बैठक में 15,000 मीट्रिक टन प्याज का स्टॉक करने की सिफारिश की थी। मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति ने अपनी दिनांक 15.02.2016 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया कि 15,000 मीट्रिक टन प्याज की अधिप्राप्ति अप्रैल,

2016 के दौरान, जब रबी फसल की पर्याप्त आवक होगी, नेफेड और एस.एफ.ए.सी. द्वारा की जा सकती है।

(ङ) राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को भी सहायता प्रदान की गई है।

7.6 **मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत निधियों का आबंटन (करोड़ रूपये में)**

2014-15			2015-16			2016-17		
बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (29.04.2016 तक)
50	--	--	450	660	710^	900	--	171.50

^: वर्ष 2014-15 के 50 करोड़ रूपये सहित, क्योंकि यह चक्रीय कोष है।

8. पी.एम.सी. से संबंधित अन्य मुद्दे – आयातित दालों के लिए दालों की सब्सिडी स्कीम के तहत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का निपटान

8.1 लैंडिड लागत के 15% तक की हानियों और सी.आई.एफ. वैल्यू के 1.2% सेवा प्रभार की प्रतिपूर्ति सहित दालों के आयात की स्कीम : स्कीम को आरम्भ करने से पूर्व इस स्कीम के तहत कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश, शर्तें और निबंधन निर्धारित नहीं किए गए, क्योंकि इस स्कीम को सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समयावधि के दौरान तैयार किया गया था। एजेंसियों द्वारा वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान लगभग 21.12 लाख टन आयातित दालों की आपूर्ति की गई, जिससे उन्हें लगभग 1164.12 करोड़ रूपये की वास्तविक हानि हुई, जिसमें से सी.ए.बी. की रिपोर्टों के अनुसार 691.94 करोड़ रूपये की देय राशि में से इस विभाग द्वारा, अतिरिक्त भुगतान के लिए 21.55 करोड़ रूपये की ब्याज वसूलियों का समायोजन करने के उपरांत, 670.39 करोड़ रूपये की प्रतिपूर्ति कर दी गई। चूंकि पदनामित एजेंसियों द्वारा पूरी प्रतिपूर्ति की मांग की जा रही थी अतः सब्सिडी को 15% से बढ़ाकर 20% करने और स्कीम को वैधता को अगले 6 माह अर्थात् 30.09.2011 तक बढ़ाने के संबंध में दिनांक 02 सितम्बर, 2015 को आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तदोपरांत, स्कीम की 31.03.2011 तक की वैधता अवधि के संबंध में कुल 178 करोड़ रूपये राशि के विधीक्षित दावे मुख्य सलाहकार लागत (सी.ए.सी.), व्यय विभाग के कार्यालय से प्राप्त हुए। दिनांक 30.09.2011 तक की 6 माह की विस्तारित अवधि के संबंध में पदनामित एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए गैर-विधीक्षित लंबित दावों की कुल राशि लगभग 119 करोड़ रूपये है और पी.ई.सी. तथा एम.एम.टी.सी. के मामले में सी.ए.सी. द्वारा विधीक्षा की जा रही है तथा एस.टी.सी. के संबंध में विधीक्षा पूरी कर दी गई है। प्रतिपूर्ति और लंबित बकायों की अद्यतन स्थिति **अनुलग्नक-VIII** पर है।

*****

अनुलग्नक I

91 मूल्य निगरानी केंद्रों की सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्र का नाम
दिल्ली	1. दिल्ली	**तमिलनाडु**	49. चेन्नई
चंडीगढ़	2. चंडीगढ़		50. डिंडीगुल
हरियाणा	3. हिसार		51. तिरुचिरापल्ली
	4. करनाल		52. कोयम्बटूर
	5. पंचकुला		53. तिरुनेलवेली
	6. गुड़गांव	**ओडिशा**	54. भुवनेश्वर
पंजाब	7. अमृतसर		55. कटक
	8. लुधियाना		56. संबलपुर
	9. बठिंडा		57. राउरकेला
उत्तर प्रदेश	10. लखनऊ	**कर्नाटक**	58. बेंगलुरू
	11. कानपुर		59. धारवाड़
	12. बाराणसी		60. मंगलौर
	13. आगरा		61. मैसूर
	14. झांसी	**असम**	62. गुवाहाटी
	15. मेरठ	**राजस्थान**	63. जयपुर
	16. इलाहाबाद		64. जोधपुर
	17. गोरखपुर		65. कोटा
उत्तराखंड	18. देहरादून	**बिहार**	66. पूर्णिया
	19. हल्द्वानी		67. पटना
	20. रूद्रपुर		68. भागलपुर
	21. हरिद्वार	**गोवा**	69. पणजी
हिमाचल प्रदेश	22. सोलन	**झारखंड**	70. रांची
	23. शिमला	**मेघालय**	71. शिलांग
	24. मंडी	**तेलंगाना**	72. हैदराबाद
	25. धर्मशाला		73. करीमनगर
छत्तीसगढ़	26. रायपुर		74. वारंगल
	27. दुर्ग		75. आदिलाबाद
	28. अम्बिकापुर		76. सूर्यपेट
गुजरात	29. अहमदाबाद		77. जडचेरला
	30. राजकोट	**पश्चिम बंगाल**	78. कोलकाता
	31. सूरत		79. सिलीगुड़ी
	32. भुज	**केरल**	80. तिरुवनंतपुरम
मध्य प्रदेश	33. इंदौर		81. एर्नाकुलम
	34. ग्वालियर		82. कोझिकोड
	35. जबलपुर		83. त्रिशूर
	36. रीवा		84. पलक्कड़
	37. भोपाल		85. वायनाड
	38. सागर	**त्रिपुरा**	86. अगरतला
महाराष्ट्र	39. मुंबई	**जम्मू एवं कश्मीर**	87. श्रीनगर
	40. नागपुर	**मिजोरम**	88. आईजोल
	41. पुणे	**अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**	89. पोर्ट ब्लेयर
	42. नासिक		
पुडुचेरी	43. पुडुचेरी	**अरूणाचल प्रदेश**	90. ईटानगर
आंध्र प्रदेश	44. विजयवाड़ा	**जम्मू एवं कश्मीर**	91. जम्मू
	45. विशाखापट्टनम		
	46. कुरनुल		
	47. तिरूपति		
नागालैंड	48. दीमापुर		

अनुलग्नक-II

मूल्य निगरानी केंद्रों की क्षेत्र-वार सूची									
केंद्रों की कुल संख्या: 91									
उत्तरी क्षेत्र		पश्चिमी क्षेत्र		पूर्वी क्षेत्र		उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		दक्षिण क्षेत्र	
क्रम संख्या	केंद्र	क्रम संख्या	केंद्र	क्रम संख्या	केंद्र	क्रम संख्या	केंद्र	क्रम संख्या	केंद्र
1	चंडीगढ़	1	रायपुर	1	पटना	1	ईटानगर	1	पोर्ट ब्लेयर
2	दिल्ली	2	दुर्ग	2	भागलपुर	2	गुवाहाटी	2	विजयवाड़ा
3	हिसार	3	अम्बिकापुर	3	पूर्णिया	3	शिलांग	3	विशाखापत्तनम
4	करनाल	4	पणजी	4	रांची	4	आइजोल	4	कुरनुल
5	पंचकुला	5	अहमदाबाद	5	भुवनेश्वर	5	दीमापुर	5	तिरूपति
6	गुडगाँव	6	राजकोट	6	कटक	6	अगरतला	6	बेंगलुरु
7	शिमला	7	सूरत	7	संबलपुर			7	धारवाड़
8	मंडी	8	भुज	8	राउरकेला			8	मंगलौर
9	धर्मशाला	9	भोपाल	9	कोलकाता			9	मैसूर
10	सोलन	10	इंदौर	10	सिलीगुड़ी			10	तिरूवनंतपुरम
11	श्रीनगर	11	ग्वालियर					11	एर्नाकुलम
12	जम्मू	12	जबलपुर					12	कोझिकोड
13	अमृतसर	13	रीवा					13	त्रिशूर
14	लुधियाना	14	सागर					14	पलक्कड़
15	बठिंडा	15	मुंबई					15	वायनाड
16	लखनऊ	16	नागपुर					16	पुडुचेरी
17	कानपुर	17	पुणे					17	चेन्नई
18	वाराणसी	18	नासिक					18	डिंडीगुल
19	आगरा	19	जयपुर					19	तिरुचिरापल्ली
20	झांसी	20	जोधपुर					20	कोयम्बटूर
21	मेरठ	21	कोटा					21	तिरुनेलवेली
22	इलाहाबाद							22	हैदराबाद
23	गोरखपुर							23	करीमनगर
24	देहरादून							24	वारंगल
25	हल्द्वानी							25	आदिलाबाद
26	रूद्रपुर							26	सूर्यपेट
27	हरिद्वार							27	जडचेरला

थोक और खुदरा मूल्यों के संग्रहण में अपनाया जाने वाला सम्मत सामान्य तरीका

कार्यशाला में उपस्थित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित तरीके पर सहमति व्यक्त की गई।

1. **किस्म विनिर्देशन:**

(i) मूल्य संग्रहण के प्रयोजनार्थ वस्तु की सबसे अधिक लोकप्रिय/अधिकतम उपभोग की जाने वाली किस्म को लिया जाना चाहिए।

(ii) इस किस्म को किसी केन्द्र से प्राप्त होने वाली सभी मूल्य रिपोर्टों में शामिल किया जाना चाहिए। तथापि, यदि (क) उपभोग पैटर्न में परिवर्तन होता है (ख) किसी विशेष किस्म की आपूर्ति में बाधाएं हैं या (ग) कोई अन्य उल्लेखनीय कारण जो मूल्य रिपोर्टिंग में बाधा उत्पन्न कर सकता है, हो तो किस्मों को परिवर्तित किया जा सकता है। *किस्म में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को अनिवार्यत: मूल्य रिपोर्ट के साथ पी एम सी को सूचित किया जाना चाहिए।*

2. **राज्य के प्रत्येक केन्द्र से नामोदिष्ट बाजारों से दैनिक आधार पर विशिष्ट किस्म के खुदरा/थोक मूल्यों का संग्रहण:**

(i) प्रत्येक केन्द्र की एक थोक मंडी से थोक मूल्यों को संग्रहित करना।

(ii) तीन मंडियों जो विभिन्न आय समूहों (जैसे कि निम्न आय समूह, मध्य आय समूह और उच्च आय समूह का प्रतिनिधित्व करती हों,) से खुदरा मूल्यों को संग्रहित करना, इन मूल्यों के औसत को आनलाइन अपलोड किया जाएगा।

(iii) थोक मूल्य और औसत खुदरा मूल्य दोनों के संबंध में केन्द्रवार आंकड़ों को मूल्य प्रणाली में प्रति दिन सांय 2.30 बजे तक सीधे अपलोड करना।

(iv) मंडियों/केन्द्रों की कीमतों में पाए गए किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों और उनके कारणों को तत्काल मूल्य निगरानी कक्ष को सूचित करना।

3. **ऑनलाइन प्रणाली**

(i) वर्तमान प्रणाली में, पिछले दिन अंतिम प्रविष्ट किए गए मूल्यों को संबंधित कॉलमों/क्षेत्रों मे स्वत: आगे दिया जाता है। यह डाटा एंट्री आपरेट के कार्य को सरल बनाता है क्योंकि उसे केवल वस्तुओं के वर्तमान दिन के मूल्यों को दर्शाने वाले परिवर्तनों को संशोधित करना होता है। प्रणाली को वर्तमान विशेषताओं के साथ जारी रखने पर व्यापक सहमति जताई गई।

(ii) डैस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए अनुरोध आए जो कि राज्यों के केन्द्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे जैसे कि विभिन्न मंडियों से एकत्रित वस्तुओं के औसत मूल्यों की प्रविष्टि और गणना तथा उन्हें स्थानीय आधार पर संग्रहित करना। इस तरह से परिगणित औसत मूल्यों को आनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए एक प्रपत्र पर चर्चा की गई

और उसे अंतिम रूप दिया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने ऐसा साफ्टवेयर तैयार करने और उसे उपयोग के लिए राज्य के केन्द्रों को भेजने पर सहमति व्यक्त की है।

(iii) प्रतिभागियों ने भी इच्छा जताई कि खाद्य तेल की इकाई अर्थात लीटर/कि0ग्रा0 दर्शाने के लिए एक अतिरिक्त फील्ड प्रदान किया जाना चाहिए। एन आई सी ने इस विशेषता (टोगल की/रेडियो बटन) को साफ्टवेयर के अगले संस्करण में शामिल करने पर सहमति जताई। सभी ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि स्वत: इकाइयां कि0 ग्रा0 में होगी और यदि प्रति लीटर कालम में मूल्यों की प्रविष्टि की जाती है तो यह प्रति कि0 ग्रा0 में बदल जाएंगे और डाटाबेस में संग्रहित हो जाएंगे। इस प्रक्रिया के एक पखवाड़े में पूर्ण होने की संभावना है।

(iv) प्रतिभागियों ने यह इच्छा भी जताई कि टिप्पणियों के लिए एक कालम जोड़ा जा सकता है ताकि वे विशेष टिप्पणियों, यदि कोई हों, की प्रविष्टि की जा सके। एन आई सी ने इस विशेषता को अगले संस्करण में उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की। इस प्रक्रिया के पखवाड़े भर में पूर्ण होने की संभावना है।

4. **<u>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सूचना पी एम सी को दी जाने वाली जानकारी अनुलग्नक – III (क) पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार दी जाए :</u>**

(i) प्रत्येक वस्तु की किस्म।

(ii) उन थोक और खुदरा मंडियों के नाम/स्थान जहां से इन मूल्यों को संग्रहित किया गया है।

5. **<u>पी एम सी को दी जाने वाली अतिरिक्त जानकारी:</u>**

(i) जहां मूल्य निगरानी कक्ष द्वारा अपेक्षित हो, औसत खुदरा कीमतों सहित, खुदरा और थोक, दोनों, कीमतों की बाजार-वार रेंज के संबंध में जानकारी

(iii) पी एम सी द्वारा मांगी गई कोई अन्य जानकारी।

अनुलग्नक III (क)

I **वस्तु की किस्म**

केंद्र		
क्रम संख्या	**वस्तु**	**रिपोर्ट की गई किस्म**
1	चावल	
2	गेहूँ	
3	आटा	
4	चना	
5	तूर	
6	उड़द	
7	मूंग	
8	मसूर	
9	चीनी	
10	गुड़	
11	चाय	
12	दूध	
13	मूँगफली का तेल	
14	सरसों का तेल	
15	वनस्पति का तेल	
16	सोया तेल	
17	सूरजमुखी का तेल	
18	पॉम ऑयल	
19	आलू	
20	प्याज	
21	नमक	
22	टमाटर	

II प्रत्येक केंद्र पर थोक बाजार का नाम/स्थान

III प्रत्येक केंद्र पर 3 खुदरा बाजारों के नाम/स्थान

केंद्रों की सूची तथा तरीका जिससे 91 केंद्रों द्वारा मूल्य निगरानी कक्ष को मूल्य भेजे जाते हैं:

राज्य	I. केंद्र जो ऑनलाइन एंट्री करते हैं:	राज्य	I. केंद्र जो ऑनलाइन एंट्री करते हैं: 83
दिल्ली	1. दिल्ली	**तमिलनाडु**	47. चेन्नई
चंडीगढ़	2. चंडीगढ़		48. डिंडीगुल
हरियाणा	3. हिसार		49. तिरुचिरापल्ली
	4. करनाल		50. कोयम्बटूर
	5. पंचकुला		51. तिरुनेलवेली
	6. गुड़गांव	**ओडिशा**	52. भुवनेश्वर
पंजाब	7. अमृतसर		53. कटक
	8. लुधियाना		54. संबलपुर
	9. बठिंडा		55. राउरकेला
उत्तर प्रदेश	10 लखनऊ	**कर्नाटक**	56. बेंगलुरू
	11. कानपुर		57. धारवाड़
	12. वाराणसी		58. मंगलौर
	13. आगरा		59. मैसूर
	14. झांसी	**असम**	60. गुवाहाटी
	15. मेरठ	**राजस्थान**	61. जयपुर
	16. इलाहाबाद		62. जोधपुर
	17. गोरखपुर		63. कोटा
उत्तराखंड	18. देहरादून	**जम्मू और कश्मीर**	64. जम्मू
	19. हल्द्वानी	**बिहार**	65. पटना
	20. रूद्रपुर		66. भागलपुर
	21. हरिद्वार	**गोवा**	67. पणजी
हिमाचल	22. सोलन	**झारखंड**	68. रांची
प्रदेश	23. शिमला	**मेघालय**	69. शिलांग
	24. मंडी	**तेलंगाना**	70. हैदराबाद
	25. धर्मशाला		71. करीमनगर
छत्तीसगढ़	26. रायपुर		72. वारंगल
गुजरात	27. अहमदाबाद		73. आदिलाबाद
	28. राजकोट		74. सूर्यपेट
	29. सूरत		75. जडचेरला
	30. भुज	**पश्चिम बंगाल**	76. कोलकाता
मध्य प्रदेश	31. इंदौर		77. सिलीगुड़ी
	32. ग्वालियर	**केरल**	78. तिरुवनंतपुरम
	33. जबलपुर		79. एर्नाकुलम
	34. रीवा		80. कोझिकोड
	35. भोपाल		81. त्रिश्शूर
	36. सागर		82. पलक्काड़
			83. वायनाड
महाराष्ट्र	37. मुंबई	**राज्य**	**II. केंद्र जो मूल्यों को ई-मेल द्वारा भेजते हैं:**
	38. नागपुर	**त्रिपुरा**	84. अगरतला
	39. पुणे	**बिहार**	85. पूर्णिया
	40. नासिक	**छत्तीसगढ़**	86. दुर्ग
पुडुचेरी	41. पुडुचेरी		87. अम्बिकापुर
आंध्र प्रदेश	42. विजयवाड़ा	**राज्य**	**II. केंद्र जो मूल्यों को फैक्स द्वारा भेजते हैं:3**
	43. विशाखापट्टनम	**जम्मू एवं कश्मीर**	88. श्रीनगर
	44. कुरनुल	**मिजोरम**	89. आईजोल
	45. तिरूपति	**अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**	90. पोर्ट ब्लेयर
नागालैंड	46. दीमापुर	**राज्य**	**II. केंद्र जो मूल्यों को डाक द्वारा भेजते हैं: 1**
		अरूणाचल प्रदेश	91. ईटानगर

अनुलग्नक-V

"मूल्य निगरानी कक्ष के सुदृढ़ीकरण" के लिए 12वीं योजनागत स्कीम का अनुमोदन

फा.सं. 8(1)/2012-पी.एम.सी.(वस्तु)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 31 मार्च, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली "मूल्य निगरानी कक्ष का सुदृढ़ीकरण" के लिए 12वीं योजना स्कीम का अनुमोदन**

अधोहस्ताक्षरी को उपभोक्ता संरक्षण स्कीम के उप-घटक के रूप में 10.81 करोड़ रूपये के प्रावधान के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान "मूल्य निगरानी कक्ष का सुदृढ़ीकरण" के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना स्कीम के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन सूचित करने का निदेश हुआ है।

स्कीम को विद्यमान मूल्य निगरानी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के व्यापक उद्देश्य के साथ केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों, पर कार्यान्वित किया जाएगा। इसे (क) केंद्र में मूल्य निगरानी कक्ष का सुदृढ़ीकरण (ख) राज्यों में मूल्य निगरानी कक्षों का सुदृढ़ीकरण और (ग) केंद्र में विशेष रूप से पी.एम.सी. में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सेवाओं का सुदृढ़ीकरण के जरिए प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

स्कीम के लिए 10.81 करोड़ रूपये के अनुमोदन परिव्यय का कुल और घटक-वार ब्यौरा निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	घटक	वर्ष-वार वित्तीय परिव्यय (लाख रूपए में)			
		2014-15	**2015-16**	**2016-17**	**कुल 2014-17**
1	पी.एम.सी. को तथा केन्द्र में मूल्य निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाना	265.7	312.8	317	895.5
2	राज्य स्तरीय डाटा रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार के लिए प्रावधान	57.5	62.5	60	180
3	पी.एम.सी. को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.)की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान	5.5	0	0	5.5
	कुल	**328.7**	**375.3**	**377**	**1081**

स्कीम के तहत शामिल किए गए महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं:

1. 12वीं योजना तक वर्तमान मूल्य निगरानी केंद्रों की संख्या 57 से बढ़ाकर 100 करना;
2. आवधिक बाजार सर्वेक्षणों के जरिए बदलते उपभोग पैटर्न को ध्यान में रखकर वर्तमान में निगरानी की जा रही आवश्यक वस्तुओं की सूची को बढ़ाना/संशोधित करना;
3. वर्तमान रिपोर्टिंग केंद्रों के अलावा स्वतंत्र रिपोर्टर के जरिए कुछ चुनिंदा मंडियों से सीधे मूल्य आंकड़े प्राप्त करने सहित आंकड़ा संकलन तंत्र की कुशलता को सुधारना;
4. अवसंरचनात्मक सहायता के जरिए केंद्र में पी.एम.सी. और राज्यों में रिपोर्टिंग केंद्रों का और सुदृढ़ीकरण करना;
5. मूल्य आंकड़ा संकलन में शामिल अन्य संबंधित विभागों के साथ संबंधों को और सुदृढ़ किया जाएगा;

6. केंद्र और राज्यों में संबंधित कर्मचारियों के लिए आवधिक प्रशिक्षण/कार्यशालाओं के लिए मूल्य रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण देना;
7. मूल्य फसल स्थिति पर अपडेट प्राप्त करने के लिए व्यवसायिक संगठनों की सेवाएं लेना;
8. वस्तु विशिष्ट अनुसंधान/सर्वेक्षण करना जैसे कि मांग-आपूर्ति विश्लेषण और आवश्यक खाद्य वस्तुओं के उपभोग पैटर्न आदि।

इसे एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति के साथ उनके दिनांक 28.03.2014 के डायरी संख्या 561/एफ के साथ जारी किया जाता है।

ह/0
(डॉ0 के.जी. राधाकृष्णन)
आर्थिक सलाहकार
दूरभाष 23386857

प्रतिलिपि:
1. सलाहकार, डी.पी. प्रभाग, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली
2. उपसचिव (आई.एफ.) उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन
3. रोकड़/बजट और वित्त अनुभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:
1. सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान निजी सचिव, कृषि भवन
2. ए.एस. एंड एफ.ए. के निजी सचिव, अपर सचिव के निजी सचिव, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार के निजी सचिव, संयुक्त सचिव के निजी सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन

अनुलग्नक Vख

योजनागत स्कीम **'मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण'** के तहत परिव्यय/व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र0 सं0	घटक	वर्ष-वार वित्तीय परिव्यय (लाख रूपए में)						
		2014-15			2015-16		2016-17	
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान/संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
1	पी.एम.सी. को तथा केन्द्र में मूल्य निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाना	90	56.80	43.54	120	73.99	50	0.45
2	राज्य स्तरीय डाटा रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार के लिए प्रावधान	0	27.20	19.28	80	52.13	50	-
3	पी.एम.सी. को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.)की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान	20	20	19.75	0	0	0	0
	कुल	**200**	**104**	**82.57**	**200**	**126.12**	**100**	**0.45**

अनुलग्नक-VIII

15% स्कीम के तहत दावों तथा प्रतिपूर्ति का विवरण

क) 15% सीमा के तहत प्रतिपूर्ति का विवरण

(करोड़ रूपये में)

(i)	पदनामित एजेंसियों द्वारा उठाई गई वास्तविक हानि (सी.ए.सी. द्वारा विधीक्षित)	**1164.12**
(ii)	कुल देय दावे (सी.ए.सी. द्वारा विधीक्षित)	**691.94**
(iii)	प्रतिपूर्ति राशि	**691.94***

*: इसमें, एस.टी.सी. को (65.30 करोड़ रूपये) और एम.एम.टी.सी. को (8.33 करोड़ रूपये) किए गए अतिरिक्त भुगतान पर 21.55 करोड़ रूपये ब्याज की वसूली शामिल है।

ख) सीमा को 20% तक बढ़ाने के उपरांत

(करोड़ रूपये में)

(iv)	अतिरिक्त देय हानियां (दिनांक 31.03.2011 तक की वैधता अवधि के लिए सी.ए.सी. द्वारा पहले से विधीक्षित)	**178**
(v)	पदनामित एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कुल दावे (दिनांक 31.03.2011 के बाद 6 माह की विस्तारित अवधि के लिए और इनकी विधीक्षा सी.ए.सी. द्वारा की जानी है)	**119**
(vi)	कुल (विधीक्षित न किए गए दावों सहित)	**297**
(vii)	संशोधित अनुमान 2015-16 के स्तर पर प्राप्त राशि	**53**
(viii)	प्रतिपूर्ति की गई राशि (बजट अनुमान 2015-16 से 10 करोड़ रूपये सहित)	**63**
(ix)	प्रतिपूर्ति के लिए बकाया (विधीक्षित न किए गए दावों सहित)	**234**
(x)	बजट अनुमान 2016-17 में आबंटित राशि	**115**
(xi)	वर्ष 2016-17 के दौरान	**19.16**

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2002/माघ 26, 1923
No. 87] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2002/MAGHA 26, 1923

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2002

सा.का.नि. 104(अ).— केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि आदेश में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की उपलब्धता उचित कीमत पर सम्पूर्ण देश में सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(क) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 है ।
(ख) इसका विस्तार भारत के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों पर है ।
(ग) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के पश्चात् प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं

(i) "व्यौहारी" से ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस आदेश के खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु का विक्रय करने के लिए उसके क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय या भंडारण के कारबार में सीधे या अन्यथा लगा हो, चाहे वह थोक विक्रेता हो या फुटकर विक्रेता हो और चाहे वह किसी अन्य कारबार में सहयोजित हो या नहीं और उसके प्रतिनिधि या अभिकर्ता अभिप्रेत है ।

(ii) "राज्य सरकार" के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन भी है ।

3. इस आदेश के प्रवृत्त होने के साथ ही कोई व्यौहारी स्वतंत्र रूप से किसी भी मात्रा में गेहूं, धान/चावल, मोटा अनाज, चीनी, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल का क्रय, भंडार, विक्रय, परिवहन, वितरण, निपटान, अर्जन, उपयोग या उपभोग कर सकेगा और उसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के अंतर्गत किसी अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं होगी ।

4. इस आदेश के उपबंध इस आदेश के प्रारंभ होने से पूर्व किसी राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश में किसी बात के विरुद्ध होते हुए भी प्रभावी होंगे, उस बात के सिवाय जिसे उसके अधीन ऐसे प्रारंभ के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है ।

5. खंड 3 में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु के भंडारण, परिवहन, वितरण, निपटान, अर्जन, उपयोग या उपभोग की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या अन्यथा द्वारा विनियमित करने के लिए भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) द्वारा जारी की गई सा0का0नि0 452(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 1972, और भारत सरकार के तत्कालीन कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) द्वारा जारी सा0का0नि0 800, तारीख 9 जून, 1978 में प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति अपेक्षित होगी ।

6. इस आदेश की कोई बात केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 और उसके अनुसरण में राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आदेशों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

[फा. सं. 10/1/2002–ईसीआरएण्डई]

एस. नौटियाल, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 15th February, 2002

G.S.R. 104(E).— Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient to do so for securing the availability of commodities specified in the Order at fair prices throughout the country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order : -

1. Short Title, Extent and Commencement

(a) This Order may be called the Removal of (Licensing requirements.

Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002.

(b) It extends to all the States and Union Territories of India.

(c) It shall come into force after thirty days from the date of publication in the Official Gazette.

2. Definitions

(i) "Dealer" means any person engaged in the business of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale of any of the commodities specified in clause 3 of this Order, directly or otherwise, whether as a wholesaler or retailer and whether or not in conjunction with any other business and his representative or agent.

(ii) "State Government" includes Administration of a Union territory.

3. With the coming into effect of this Order any dealer may freely buy, stock, sell, transport, distribute, dispose, acquire, use or consume any quantity of wheat, paddy/rice, coarsegrains, sugar, edible oilseeds and edible oils and shall not require a permit or license therefor under any order issued under the Essential Commodities Act, 1955.

4. The provisions of this Order shall take effect notwithstanding anything to the contrary in any Order made by a State Government before the commencement of this Order except as respects anything done, or omitted to be done, thereunder before such commencement.

5. Issue of any order by the State Governments under powers delegated in GSR 452(E) dated the 25th October, 1972 issued by the Government of India in the then Ministry of Agriculture (Department of Food) and GSR 800 dated the 9th June, 1978 issued by the Government of India in the then Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) for regulating by licenses, permit or otherwise, the storage, transport, distribution, disposal, acquisition, use or consumption of any of the commodities specified in clause 3 shall require the prior concurrence of the Central Government.

6. Nothing contained in this Order shall affect the operation of the Public Distribution System (Control) Order, 2001 issued by the Central Government and orders of the State Governments issued in pursuance thereof.

[F. No. 10/1/2002-ECR&E]
S. NAUTIYAL, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285] नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2003/ज्येष्ठ 26, 1925
No. 285] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2003/JYAISTHA 26, 1925

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 2003

सा.का.नि. 490(अ).— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2003 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा ।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 (जिसे इसमें उक्त आदेश कहा गया है), में, खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'2. परिभाषाएं— "व्यौहारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो खंड 3 में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु का विक्रय करने के लिए उसके क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय या भंडारण के कारबार में लगा हुआ है चाहें वह थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या

1670 GI/2003

उत्पादक या विनिर्माता या निर्यातकर्ता या आयातकर्ता हो और चाहे वह किसी अन्य कारबार में सहयोजित हो या नहीं और जिसके अंतर्गत उसके प्रतिनिधि या अभिकर्ता भी है, किन्तु जिसके अंतर्गत चीनी का उत्पादक या विनिर्माता या आयातकर्ता या निर्यातकर्ता नहीं है ।'

3. उक्त आदेश के खंड 3 में, "और खाद्य तेल" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

", खाद्य तेल, दालें, गुड़, गेहूं उत्पाद (अर्थात् मैदा, रवा, सूजी, आटा, पारिणामी आटा और चोकर) तथा हाइड्रोजनकृत वनस्पति तेल या वनस्पति ।"

4. उक्त आदेश में, खंड 6 के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"7. इस आदेश में की कोई बात, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में धान या चावल के मिल मालिकों या व्यौहारियों से लेवी के रूप में चावल उपापन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए लेवी आदेशों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी ।"

टिप्पण— मूल आदेश, भारत के राजपत्र में सा०का०नि० 104(अ), तारीख 15.2.2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

[फा. सं. (10/1/2002-ईसीआर एंड ई)]

सतवंत रेड्डी, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 16th June, 2003

G.S.R. 490(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely :-

1. (1) This order may be called the Removal of (Licensing

requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2003.

(2) It shall come into force on the expiry of thirty days from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 (herein referred to as the said Order), for clause 2, the following clause shall be substituted, namely:-

'2. Definitions- "dealer" means any person engaged in the business of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale of any of the commodities specified in clause 3 whether as a wholesaler or retailer or producer or manufacturer or exporter or importer and whether or not in conjunction with any other business and includes his representative or agent but does not include a producer or manufacturer or importer or exporter of sugar.'

3. In clause 3 of the said Order, for the words " and edible oils" the following shall be substituted, namely :-

", edible oils, pulses, gur, wheat products (namely maida, rava, suji, atta, resultant atta and bran) and hydrogenated vegetable oil or vanaspati."

4. In the said Order, after clause 6 the following clause shall be added , namely :-

"7. Nothing contained in this Order shall affect the operation of the levy orders issued by the State Governments for the purpose of procurement of rice as levy from the millers or dealers of paddy or rice in pursuance of the powers

delegated to the State Governments by the Central Government under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955."

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India vide GSR No. 104(E) dated 15.2.2002.

[F. No. (10/1/2002-ECR & E)]
SATWANT REDDY, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1416] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2015/आषाढ़ 11, 1937
No. 1416] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2015/ASHADHA 11, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2015

का.आ. 1797(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2015 है।

(2) यह, 3 जुलाई, 2015 को प्रवृत्त होगा।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में क्रय, संचलन, विक्रय प्रदाय, वितरण या भंडारण के संबंध में प्रयुक्त शब्दों और पदों को, इस आदेश के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वस्तु अर्थात् प्याज के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा।

3. इस आदेश की कोई बात राज्य से बाहर के स्थानों को प्याज के परिवहन, वितरण या व्ययन को प्रभावित नहीं करेगी न ही यह इस वस्तु के आयात को लागू होगी।

परंतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें आयातकर्ताओं को यह निदेश दे सकेंगी कि वे प्याज के स्टॉकों की प्राप्तियों और उनके द्वारा धारित स्टॉकों की घोषणा करें।

[फा. सं. एस-10/1/2015-ईसीआरएंडई]

जी. गुरूचरण, अपर सचिव

टिप्पण : मुख्य आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा0का0नि0 104(अ) तारीख 15 फरवरी, 2002, द्वारा प्रकाशित किया गया था और का0आ0 1685(अ) तारीख 03.07.2014 द्वारा उसका अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2015

S.O. 1797(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely:–

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2015.

(2) It shall come into force on the 3rd day of July, 2015.

2. The words and expressions made in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, shall be kept in abeyance for commodity onion for a period of one year from the date of commencement of this order.

3. Nothing contained in this order shall affect the transport, distribution or disposal of onion to places outside the State nor shall it be applicable to import of this commodity:

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipt of stock of onion and its stock retained by them.

[F. No. S.-10/1/2015-ECR & E]

G. GURUCHARAN, Addl. Secy.

Note: -The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 104 (E), dated the 15th February, 2002 and was lastly amended *vide* S.O. 1685 (E) dated the 3rd July, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2092] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2015/आश्विन 6, 1937
No. 2092] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2015/ASVINA 6, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2015

का.आ. 2642(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015 है।

(2) यह, 1 अक्तूबर, 2015 से प्रवृत्त होगा।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 के खण्ड 7 के उप-खंड (1), मद संख्या (i) में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : -

"(i) दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में 30 सितम्बर, 2016 तक की अवधि के लिए :

परन्तु इस खंड की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :-

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक-निर्यातक कोड धारक निर्यातकों के दालों, खाद्य तिलहनों, खाद्य तेलों के निर्यात के लिए तात्पर्यित स्टॉक को, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं के कार्यक्षेत्र पर:

(ख) अनुज्ञप्तिधारक खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में रखे गए आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं के कार्यक्षेत्र पर :

(ग) खुदरा व्यापारियों (मल्टीपल आउटलेट) और बड़े डिपार्टमेंटल खुदरा व्यापारियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं पर।"

[फा.सं. 10/3/2015-ईसीआरएंडई]

जी.गुरूचरण, विशेष सचिव

टिप्पणी : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सा.का.नि. संख्यांक 104(अ), तारीख 15 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 16 जून, 2003; का.आ. 1373(अ), तारीख 29 अगस्त, 2006; का.आ. 297(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007; का.आ. 1488(अ), तारीख 31 अगस्त, 2007; का.आ. 400(अ), तारीख 28 फरवरी, 2008; का.आ. 823(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2008; का.आ. 2117(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008; का.आ. 2118(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008; का.आ. 2247(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.आ. 2248(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.आ. 2249(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.आ. 649(अ), तारीख 9 मार्च, 2009; का.आ. 880(अ), तारीख 30 मार्च, 2009; का.आ. 905(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009; का. आ. 906(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009, का.आ. 1621(अ), तारीख 2 जुलाई, 2009; का.आ. 2461(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2009; का.आ. 3249(अ), तारीख 18 दिसम्बर, 2009; का.आ. 2361(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2010; का.आ. 3060(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2010; का.आ. 654(अ), तारीख 30 मार्च, 2011; का.आ. 2227(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2011; का.आ. 2447(अ), तारीख 28 अक्तूबर, 2011; का.आ. 2716(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2011; का.आ. 2320(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2012; का.आ. 2968(अ), तारीख 20 दिसम्बर, 2012; और का.आ. 2927(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2013; का.आ. 3543(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2013; का.आ. 77(अ), तारीख 9 जनवरी, 2014; का.आ.1685(अ), तारीख 3 जुलाई, 2014; का.आ. 2559(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2014; और का.आ.1797(अ), तारीख 2 जुलाई, 2015; द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 28th September, 2015

S.O. 2642(E).—In exercise of the powers conferred by seCtion 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely :—

1. (1) This Order may be called the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order, 2015.

(2) It shall come into force with effect from the 1st day of October, 2015.

2. In the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, in clause 7, in sub-clause (1), for item (i), the following shall be substituted, namely:—

" (i) pulses, edible oils and edible oilseeds for a period up to the 30th September, 2016:

Provided that nothing contained in this item shall apply to-

(a) exporters having Import Export Code issued by the Directorate General of Foreign Trade from the purview of stock holding limits under the Essential Commodities Act, 1955 with respect to Pulses, edible oilseeds, edible oils for the stock meant for export;

(b) stock essential commodities meant to be used as raw materials by licensed food processed food processors for manufacture of food products, from the purview of stock holding limits under the Essential Commodities Act, 1955;

(c) Retailers (Multiple Outlets) and Large Departmental Retailers from stock holding limits under the Essential Commodities Act, 1955."

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 104(E), dated the 15th February, 2002 and subsequently amended by numbers G.S.R. 490(E), dated the 16th June, 2003, S.O. 1373(E), dated the 29th August, 2006, S.O. 297(E) dated the 27th February , 2007 and S.O. 1488 (E), dated the 31st August, 2007, S.O. 400(E), dated the 28th February, 2008, S.O. 823(E), dated the 7th April, 2008, S.O.2117(E), dated the 27th August, 2008, S.O. 2118 (E), dated the 27th August, 2008, S.O. 2247 (E), dated the 22nd September, 2008, S.O. 2248 (E), dated the 22nd September, 2008, S.O. 2249 (E), dated the 22nd September, 2008, S.O. 649 (E), dated the 9th March, 2009, S.O. 880 (E), dated the 30th March, 2009, S.O. 905 (E), dated the 2nd April, 2009, S.O. 906 (E), dated the 2nd April, 2009, S.O. 1621 (E), dated the 2nd July,2009, S.O. 2461(E), dated the 25th September, 2009, S.O. 3249 (E), dated the 18th December, 2009, S.O. 2361 (E), dated the 29th September, 2010, S.O. 3060 (E), dated the 30th December, 2010, S.O.654 (E), dated the 30th March, 2011, S.O. 2227(E), dated the 27th September, 2011, S.O. No. 2447(E), dated the 28th October, 2011, S.O. No. 2716(E), dated the 29th November, 2011, S.O. No. 2320(E), dated the 27th September, 2012, S.O. No. 2968(E), dated the 20th December, 2012 and S.O. No. 2927(E) dated the 27th September, 2013, S.O. No. 3543(E), dated the 29th November, 2013, S.O. No. 77(E), dated the 9th January, 2014, S.O. No. 1685(E), dated the 3rd July, 2014, S.O. No. 2559(E), dated the 30th September, 2014 and S.O. No. 1797(E), dated the 2nd July, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2275] नई दिल्ली, रविवार, अक्तूबर 18, 2015/आश्विन 26, 1937
No. 2275] NEW DELHI, SUNDAY, OCTOBER 18, 2015/ASVINA 26, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2015

का.आ.2857(अ).- केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2015 है।

(2) यह उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में, खण्ड 7 में "दाल" शब्द, जहां कहीं वह आता है, का लोप किया जाएगा;

3. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में, "दाल" नामक वस्तु के संबंध में क्रय, आयात, संचलन, विक्रय, आपूर्ति, वितरण या क्रय के लिए भंडारण, शब्दों और पदों को 30 सितम्बर, 2016 तक की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा।

[फा.सं. एस-10/3/2015-ईसीआरएंडई]

जी.गुरूचरण, विशेष सचिव

टिप्पणी : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 104(अ), तारीख 15 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 16 जून, 2003; का.आ. 1373(अ), तारीख 29 अगस्त, 2006; का.आ. 297(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007; का.आ. 1488(अ), तारीख 31

अगस्त, 2007; का.आ. 400(अ), तारीख 28 फरवरी, 2008; का.आ. 823(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2008; का.आ. 2117(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008; का.आ. 2118(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008; का.आ. 2247(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.आ. 2248(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.आ. 2249(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008; का.आ. 649(अ), तारीख 9 मार्च, 2009; का.आ. 880(अ), तारीख 30 मार्च, 2009; का.आ. 905(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009; का. आ. 906(अ), 2 अप्रैल 2009, का.आ. 1621(अ), तारीख 2 जुलाई, 2009; का.आ. 2461(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2009; का.आ. 3249(अ), तारीख 18 दिसम्बर, 2009; का.आ. 2361(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2010; का.आ. 3060(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2010; का.आ. 2447(अ), तारीख 28 अक्तूबर, 2011; का.आ. 2716(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2011; का.आ. 2320(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2012; का.आ. 2927(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2013; का.आ. 3543(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2013; का.आ. 77(अ), तारीख 9 जनवरी, 2014; का.आ.1685(अ), तारीख 3 जुलाई, 2014; का.आ. 2559(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2014; का.आ.1797(अ), तारीख 2 जुलाई, 2015; और का.आ. 2642 (अ), तारीख 28 सितम्बर, 2015 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 18th October, 2015

S.O. 2857(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely:—

1. (1) This Order may be called the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, in clause 7, the word "pulses", wherever it occurs, shall be omitted.

3. The words and expressions used in respect of purchase, import, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodity, namely, pulses for a period upto 30th September, 2016.

[F. No.S-10/3/2015-ECR&E]

G. GURUCHARAN, Special Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. 104(E), dated the 15th February, 2002, subsequently amended by numbers G.S.R 490(E), dated the 16th June 2003, S.O.1373(E) dated the 29th August, 2006, S.O. 297(E) dated 27th February, 2007, and S.O.1448(E) dated the 31st August, 2007, S.O.400(E) dated the 28th February, 2008, S.O.823(E), dated 7th April, 2008, S.O. 2117(E) dated the 27th August, 2008, S.O.2118(E), Dated the 27th August, 2008, S.O.2247(E) dated the 22nd September, 2008, S.O.2248(E) dated the 22nd September, 2008, S.O. 2249(E) dated the 22nd September, 2008, S.O.649(E), dated the 9th March, 2009, S.O. 880 (E)dated the 30th March, 2009, S.O. 905(E) dated the 2nd April 2009, S.O. 906(E)the 2nd April 2009, S.O. 1621(E) the 2nd July 2009, S.O.2461(E) dated the 25th September, 2009, S.O.3249(E) dated the 18th December, 2009, S.O. 2361(E) Dated the 29th September, 2010, S.O.3060(E), dated the 30th December, 2010, S.O. 2447(E), dated the 28th October, 2011, S.O.2716(E), dated the 29th November, 2011, S.O.2320(E), dated the 27th September, 2012, and S.O. 2927 (E) dated the 27th September, 2013, S.O. 3543(E), dated the 29th November, 2013, S.O.77(E), Dated the 9th January, 2014, S.O. 1685(E), dated the 3rd July, 2014, S.O.2559(E), Dated the 30th September, 2014, S.O. 1797(E), dated the 2nd July, 2015 and S.O. 2642(E), dated the 28th September, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1027] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2016/वैशाख 9, 1938
No. 1027] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2016/VAISAKHA 9, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2016

का.आ. 1584(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना संशोधन आदेश, 2016 है।

   (2) यह, इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा:

   परन्तु असम, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल राज्य तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र, के संबंध में यह आदेश 22 मई, 2016 को प्रवृत्त होगा।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में प्रयुक्त क्रय, संचलन, विक्री, प्रदाय, वितरण अथवा बिक्री के लिए भंडारण शब्दों और पदों को 'चीनी' वस्तु के लिए, इस आदेश के लागू होने से छः मास की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पूर्वतर हो, आस्थगित रखा जाएगा।

3. इस आदेश की कोई भी बात, राज्य से बाहर के स्थानों पर चीनी के परिवहन, वितरण अथवा निपटान पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 के अन्य सभी उपबंध उपर्युक्त खंड 2 में उल्लिखित अवधि के दौरान भी लागू रहेंगे।

[फा. सं. एस-10/3/2016-ईसीआरएंडई]

पी. वी. रामाशास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सा.का.नि. 104(अ) तारीख 15 फरवरी, 2002 के तहत प्रकाशित किए गए थे और तदोपरांत उनमें – सा.का.नि. 490(अ) तारीख 16 जून, 2003, का.आ. 1373(अ) तारीख 29 अगस्त, 2006, का.आ. 297(अ) तारीख 27 फरवरी, 2007 और का.आ. 1488(अ) तारीख 31 अगस्त, 2007, का.आ. 400(अ) तारीख 28 फरवरी, 2008, का.आ. 823(अ) तारीख 7 अप्रैल, 2008, का.आ. 2247(अ) तारीख 22 सितम्बर, 2008, का.आ. 2248(अ) तारीख 22 सितम्बर, 2008, का.आ. 2249(अ) तारीख 22 सितम्बर, 2008, का.आ. 649(अ) तारीख 9 मार्च, 2009, का.आ. 880(अ) तारीख 30 मार्च, 2009, का.आ. 905(अ) तारीख 2 अप्रैल, 2009, का.आ. 906(अ) तारीख 2 अप्रैल, 2009, का.आ. 1621(अ) तारीख 2 जुलाई, 2009, का.आ. 2461(अ) तारीख 25 सितम्बर, 2009, का.आ. 3249(अ) तारीख 18 दिसम्बर, 2009, का.आ. 2361(अ) तारीख 29 सितम्बर, 2010, का.आ. 3060(अ) तारीख 30 दिसम्बर, 2010, का.आ. 654(अ) तारीख 30 मार्च, 2011, का.आ. 2227(अ) तारीख 27 सितम्बर, 2011, का.आ. सं. 2447(अ) तारीख 28 अक्तूबर, 2011, का.आ. सं. 2716(अ) तारीख 29 नवंबर, 2011, का.आ. सं. 2320(अ) तारीख 27 सितम्बर, 2012, का.आ. सं. 2968(अ) तारीख 20 दिसम्बर, 2012 और का.आ. सं. 2927(अ) तारीख 27 सितम्बर, 2013, का.आ. सं. 3543(अ) तारीख 29 नवंबर, 2013, का.आ. सं. 77(अ) तारीख 9 जनवरी, 2014, का.आ. सं. 1685(अ) तारीख 3 जुलाई, 2014, का.आ. सं. 2559(अ) तारीख 30 सितम्बर, 2014, का.आ. सं. 1797(अ) तारीख 2 जुलाई, 2015, का.आ. 2642(अ) तारीख 28 सितम्बर, 2015 और का.आ. 2857(अ) तारीख 18 अक्टूबर, 2015 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 29th April, 2016

S.O. 1584(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely:–

1. (1) This Order may be called the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Amendment Order, 2016.

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette:

   Provided that this order shall come into force with effect from the 22nd day of May, 2016 in respect of the States of Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala and the Union Territory of Puducherry.

2. The words and expressions made in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, shall be kept in abeyance for the commodity 'sugar' for a period of six months from the date of commencement of this order or further Orders, whichever is earlier.

3. Nothing contained in this order shall affect the transport, distribution or disposal of sugar to places outside the State.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing Requirement, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above.

[F. No. S.-10/3/2016-ECR&E]

P. V. RAMASASTRY, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 104(E), dated the 15th February, 2002 and subsequently amended by numbers G.S.R.

490(E), dated the 16th June, 2003, S.O. 1373(E), dated the 29th August, 2006, S.O. 297 (E) dated the 27th February , 2007 and S.O. 1488 (E), dated the 31st August, 2007, S.O. 400(E), dated the 28th February, 2008, S.O. 823(E), dated the 7th April, 2008, S.O. 2117(E), dated the 27th August, 2008, S.O. 2118 (E), dated the 27th August, 2008, S.O. 2247 (E), dated the 22nd September, 2008, S.O. 2248 (E), dated the 22nd September, 2008, S.O. 2249 (E), dated the 22nd September, 2008, S.O. 649 (E), dated the 9th March, 2009, S.O. 880 (E), dated the 30th March, 2009, S.O. 905 (E), dated the 2nd April, 2009, S.O. 906 (E), dated the 2nd April, 2009, S.O. 1621 (E), dated the 2nd July,2009, S.O. 2461(E), dated the 25th September, 2009, S.O. 3249 (E), dated the 18th December, 2009, S.O. 2361 (E), dated the 29th September, 2010, S.O. 3060 (E), dated the 30th December, 2010, S.O. 654 (E), dated the 30th March, 2011, S.O. 2227(E), dated the 27th September, 2011, S.O. No.2447(E), dated the 28th October, 2011, S.O. No.2716(E), dated the 29th November, 2011, S.O. No.2320(E) dated the 27th September, 2012, S.O. No. 2968(E) dated the 20th December, 2012 and S.O. No. 2927(E) dated the 27th September, 2013,S.O. No.3543(E), dated the 29th November,2013, S.O. No. 77(E), dated the 9th January, 2014, S.O. No. 1685(E), dated the 3rd July,2014, S.O. No. 2559(E), dated the 30th September,2014, S.O. No. 1797(E), dated the 2nd July,2015, S.O. No. 2642(E), dated the 28th September, 2015 and S.O. No. 2857(E), dated the 18th October,2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

स्टॉक सीमाएं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दलहन	खाद्य तेल	खाद्य तिलहन	प्याज	टिप्पणियां
अंडमान और निकोबार	(सभी दालों को एक साथ मिलाकर) **थोक व्यापारी-** 500 क्विंटल खुदरा व्यापारी- 25 क्विंटल	**थोक व्यापारी-** 150 क्विंटल (केवल वनस्पति के लिए) 200 क्विंटल (वनस्पति को छोड़कर केवल सभी खाद्य तेलों के लिए) **खुदरा विक्रेता** 5 क्विंटल (केवल वनस्पति के लिए) 5 क्विंटल (वनस्पति के अलावा सभी खाद्य तेलों के लिए)	शून्य	थोक विक्रेता 40 मीट्रिक टन खुदरा विक्रेता 1 मीट्रिक टन	दिनांक 03.02.2016 के फैक्स द्वारा सूचित।
आंध्र प्रदेश	(क) श्रेणी 'क' शहर हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम (i) बंगाल चने को छोड़कर चने/दालें थोक व्यापारी-2000 क्विंटल खुदरा व्यापारी-50 क्विंटल (ii) बंगाल चना/दाल थोक व्यापारी-500 क्विंटल खुदरा व्यापारी-13 क्विंटल (ख) अन्य स्थान: (i) बंगाल चना/दाल को छोड़कर चना/दालें थोक व्यापारी-1000 क्विंटल खुदरा व्यापारी-40 क्विंटल (ii) बंगाल चना/दाल थोक व्यापारी-250 क्विंटल खुदरा व्यापारी-10 क्विंटल	हाइड्रोजेनेटिड वनस्पति तेलों सहित सभी खाद्य तेल 1.विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा के लिए थोक विक्रेता खुदरा व्यापारी 900 100 क्विंटल 2. गुंटूर, काकीनाडा, राजमुंदरी, नैल्लोर, तिरुपति, करनूल और वारांगल 600 50 क्विंटल 3. अन्य क्षेत्र 375 30 क्विंटल	1. हैदराबाद और सिकंदराबाद (10 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या के लिए सभी तिलहनों को साथ लेकर) थोक विक्रेता खुदरा व्यापारी 2250 क्विंटल 150 क्विंटल 2. विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुन्टूर और काकीनांडा, राजमुंदरी, नैल्लोर, तिरुपति, करनूल और वारांगल (तीन लाख और उससे अधिक किन्तु 10 लाख से जनसंख्या के साथ) मूंगफली की गिरी अथवा बीज के लिए विनिर्धारित सीमाओं का 75% लागू होगा। 1500 113 क्विंटल 3. (1) और (2) में शामिल नहीं किए गए अन्य क्षेत्र (3 लाख से कम की जनसंख्या के साथ 1200 क्विंटल 75 क्विंटल	संसूचित नहीं।	दिनांक 08.08.2008 के आदेश द्वारा स्टॉक सीमाएं घोषित की गईं और वही जारी हैं। दिनांक 29.01.2016 के पत्र द्वारा सूचित किया गया कि स्टॉक सीमाओं को 30.09.2016 तक बढ़ा दिया गया है।
असम	सभी दालों के लिए: 10 क्विंटल	कोई स्टॉक सीमा नहीं	कोई स्टॉक सीमा नहीं		राज्य सरकार ने दिनांक 11.01.2016 के पत्र द्वारा सूचित किया है।
बिहार	(क) नगर निगम क्षेत्र: 750 क्विंटल (ख) अन्य सभी क्षेत्र: 500 क्विंटल (ग) दाल मिलें (सभी क्षेत्र): 1500 क्विंटल	क) नगर निगम क्षेत्र: 500 क्विंटल (ख) अन्य सभी क्षेत्र: 250 क्विंटल	क) नगर निगम क्षेत्र: 1000 क्विंटल (ख) अन्य सभी क्षेत्र: 500 क्विंटल	संसूचित नहीं	दिनांक 23.10.2015 को नवीनतम संस्वीकृति संसूचित की गई। दालों, खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहनों पर स्टॉक सीमाओं को 30.9.2016 तक बढ़ाया गया

छत्तीसगढ़	व्यापारी: 1000 क्विंटल* कमीशन एजेंट: 300 क्विंटल प्रसंस्करणकर्ता: कोई सीमा नहीं* *शहरों की सभी श्रेणियों के लिए	व्यापारी: 250 क्विंटल* कमीशन एजेंट: 250 क्विंटल* प्रसंस्करणकर्ता: कोई सीमा नहीं* *शहरों की सभी श्रेणियों के लिए	व्यापारी: 500 क्विंटल* कमीशन एजेंट: 500 क्विंटल* प्रसंस्करणकर्ता: कोई सीमा नहीं* *शहरों की सभी श्रेणियों के लिए	संसूचित नहीं	दिनांक 30.10.2015 को नवीनतम संस्वीकृति संसूचित की गई।
चंडीगढ़	सभी दालों को साथ लेकर 10 क्विंटल या अधिक	सभी खाद्य तेलों को साथ लेकर 5 क्विंटल से अधिक	30 क्विंटल से अधिक	100 क्विंटल (न्यूनतम) और 300 क्विंटल (अधिकतम)	नवीनतम स्टॉक स्थिति 23.02.2015 को संसूचित की गई।
दादरा और नगर हवेली	खुदरा – 25 क्विटंल थोक 250 क्विंटल	थोक विक्रेता के लिए – 150 क्विंटल खुदरा विक्रेता के लिए – 15 क्विंटल	कोई स्टॉक सीमा नहीं	कोई स्टॉक सीमा नहीं	दिनांक 18.02.2016 को पत्र द्वारा विद्यमान सीमा सूचित की गई।
दिल्ली	थोक व्यापारी-2000 क्विंटल खुदरा व्यापारी-50 क्विंटल	थोक व्यापारी- 600 क्विंटल खुदरा व्यापारी- 20 क्विंटल	खाद्य तिलहन (छिलके वाली मूंगफली सहित) थोक व्यापारी-1500 क्विंटल खुदरा व्यापारी-100 क्विंटल	संसूचित नहीं	छूटों सहित 2.2.2016 को अधिसूचित
गोवा	सभी दालें साथ लेकर: थोक व्यापारी- 500 क्विंटल खुदरा व्यापारी- 30 क्विंटल	हाइड्रोजैनेटिड वनस्पति तेलों सहित सभी खाद्य तेल थोक व्यापारी- 350 क्विंटल खुदरा व्यापारी- 10 क्विंटल	छिलके वाली मूंगफली सहित खाद्य तिलहन थोक व्यापारी- 500 क्विंटल खुदरा व्यापारी- 50 क्विंटल	संसूचित नहीं	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.02.2016 के पत्र द्वारा नवीनतम स्टॉक सीमा स्थिति संसूचित की गई।
गुजरात	राज्य में सभी दालें: (सभी दाले साथ लेकर) थोक व्यापारी-1000 क्विंटल खुदरा व्यापारी-50 क्विंटल	कोई स्टॉक सीमा नहीं	कोई स्टॉक सीमा नहीं	कोई स्टाक सीमा नही	दालों के संबंध में स्टॉक सीमा 20.10.2015 को अधिसूचित की गई।
हरियाणा	दालें (सभी प्रकार की दालों को साथ लेकर) (क्या साबुत अथवा छिलके के साथ अथवा बिना दली गई हैं) **(1) विनिर्माता (दाल मिलें)** (i) कच्ची सामग्री के लिए वार्षिक पीसने की क्षमता का 1/24 भाग (ii) तैयार सामग्री के लिए वार्षिक पिसने की क्षमता का 1/48 भाग **(2) व्यापारी – थोक** विक्रेता, वितरण एजेंट, बिक्री एजेंट अथवा अन्य व्यक्ति: 250 क्विंटल **(3) खुदरा व्यापारी:** 25 क्विंटल	खाद्य तिलहन (सभी प्रकार): (i) विर्निमाता: हटा दिया गया (ii) थोक व्यापारियों, वितरण एजेंटों, बिक्री एजेंटों अथवा ऐसे व्यक्तियों सहित व्यापारी 1500 क्विंटल (ii) खुदरा व्यापारी: 25 क्विंटल	खाद्य तिलहन बीज (सभी प्रकार): (i) विर्निमाता: हटा दिया गया (ii) थोक व्यापारियों, वितरण एजेंटों, बिक्री एजेंटों अथवा ऐसे व्यक्तियों सहित व्यापारी 1500 क्विंटल (ii) खुदरा व्यापारी: 25 क्विंटल	संसूचित नहीं	दालों के संबंध में स्टॉक सीमा 15.10.2015 को पुन: अधिसूचित की गई। खाद्य तेलों/तिलहनों के संबंध में स्टॉक सीमा 25.03.2010 को अधिसूचित की गई और उसके पश्चात् 7.4.2010 को उसमें संशोधन किया गया। वही अभी लागू है।
हिमाचल प्रदेश	20 क्विंटल और 150 क्विंटल सभी दालों के लिए अधिकतम	हाईड्रोजिनेटिड वनस्पति तेल सहित खाद्य तेल 10 क्विंटल	छिलके वाली मूंगफली सहित तिलहन – सभी तिलहनों के लिए 50 क्विंटल	10 क्विंटल	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.02.2016 के पत्र द्वारा नवीनतम स्टॉक सीमा स्थिति की जानकारी दी गई।
जम्मू एवं कश्मीर	थोक विक्रेता : 1200 क्विंटल खुदरा विक्रेता : 600 क्विंटल	थोक विक्रेता : 2200 लीटर खुदरा विक्रेता : 1100 लीटर		थोक विक्रेता : 600 क्विंटल खुदरा विक्रेता : 300 क्विंटल	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.10.2015 की अधिसूचना के माध्यम से सूचित की गई नवीतम स्टॉक सीमा की

					स्थिति। भारत सरकार की सहमति 29.10.2015 को संसूचित की गई।
झारखण्ड	थोक : 500 क्विंटल	थोक विक्रेता : 'बी' क्लॉस शहर : 500 क्विंटल 'सी' क्लॉस शहर : 300 क्विंटल	थोक विक्रेता : 'बी' क्लॉस शहर : 75 से 2000 क्विंटल 'सी' क्लॉस शहर : 50 से 1000 क्विंटल	थोक विक्रेता : 'बी' क्लॉस शहर : 500 क्विंटल 'सी' क्लॉस शहर : 300 क्विंटल	कार्योत्तर सहमति। राज्य सरकारों को दिनांक 16.02.2010 को सहमति की सूचना दी गई।
कर्नाटक	थोक : 2000 क्विंटल खुदरा (एकल) : 50 क्विंटल	थोक : 1200 क्विंटल खुदरा (एकल) : 50 क्विंटल	थोक : 2000 क्विंटल खुदरा (एकल) : 50 क्विंटल	कोई स्टॉक सीमा नहीं	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31.10.2015 की अधिसूचना के माध्यम से सूचित की गई नवीतम स्टॉक लिमिट की स्थिति। भारत सरकार की सहमति 02.11.2015 को संसूचित की गई।
केरल	खुदरा व्यापारियों हेतु किसी भी समय 20 क्विंटल तक। थोक व्यापारियों के लिए 1000 क्विंटल तक।	- शून्य -	शून्य	संसूचित नहीं	
मध्य प्रदेश	तूर (अरहर), मूंग, उड़द, मसूर (दलों) शहर 'क' - थोक विक्रेता : 2000 क्विंटल खुदरा विक्रेता: 50 क्विंटल शहर 'ख' - थोक विक्रेता : 1000 क्विंटल खुदरा विक्रेता: 50 क्विंटल अन्य क्षेत्र - थोक विक्रेता : 500 क्विंटल खुदरा विक्रेता: 40 क्विंटल	-शून्य-	-शून्य-	संसूचित नहीं	दिनांक 17.09.2009 के पत्र के माध्यम से दालों के संबंध में सहमति संसूचित की गई। दिनांक 21.10.2015 के आदेश के तहत संशोधित। 21.10.2015 को भारत सरकार की सहमति संसूचित की गई।
महाराष्ट्र	**शहरों की श्रेणियां :** (सभी दालों को एक साथ लेकर) **(1) निगम क्षेत्र :** (i) थोक विक्रेता : 3500 क्विंटल (ii) खुदरा विक्रेता: 200 क्विंटल **(2) 'ए' क्लॉस म्यूनिसिपलिटी क्षेत्र :** (i) थोक विक्रेता : 2500 क्विंटल (ii) खुदरा विक्रेता: 150 क्विंटल **(3) अन्य क्षेत्र :** (i) थोक विक्रेता : 1500 क्विंटल (ii) खुदरा विक्रेता: 150 क्विंटल	**शहरों की श्रेणियां :** (हाईड्रोजेनेटिड बनस्पति तेल सहित खाद्य तेल) **(1) निगम क्षेत्र :** (i) थोक विक्रेता : 1000 क्विंटल (ii) खुदरा विक्रेता: 40 क्विंटल **(2) अन्य क्षेत्र :** (i) थोक विक्रेता : 300 क्विंटल (ii) खुदरा विक्रेता: 20 क्विंटल	**शहरों की श्रेणियां :** (छिलके वाली मूंगफली सहित खाद्य तेल के बीज) **(1) निगम क्षेत्र :** (i) थोक विक्रेता : 20000 क्विंटल (ii) खुदरा विक्रेता: 2000 क्विंटल **(2) अन्य क्षेत्र :** (i) थोक विक्रेता : 8000 क्विंटल (ii) खुदरा विक्रेता: 2000 क्विंटल	संसूचित नहीं	चावल, दालों, खाद्य तिलहनों एवं खाद्य तेलों के संबंध में दिनांक 16.02.2013 पत्र संख्या ई.सी.ए.-1009/सी.आर.551/सी.एस.-23 के माध्यम से प्राप्त स्टॉक सीमा संबंधी स्थिति। दिनांक 23.04.2015 के परिपत्र के तहत दालों के संबंध में स्टॉक सीमा को वापिस लिया गया। दिनांक 19.10.2015 के आदेश के तहत संशोधित। दिनांक 29.10.2015 को भारत सरकार की सहमति संसूचित की गई।

उड़ीसा	थोक विक्रेता: 750 क्विंटल	थोक विक्रेता: 750 क्विंटल	थोक विक्रेता: 500 क्विंटल	थोक विक्रेता: 1000 क्विंटल	2010 से जारी संशोधन किया जा रहा है।
पंजाब	**हर प्रकार की दालें (चाहे साबुत या दली, छिल्के वाली या बिना छिल्के वाली)** (i) थोकविक्रेताओं सहित डीलर्स, वितरण एजेंट, ऐसे व्यक्तियों के विक्रेता एजेंट्स आदि : 10000 क्विंटल (ii) खुदरा विक्रेता : 500 क्विंटल	**हाईड्रोजेनेटिड वनस्पति तेल सहित हर प्रकार का खाद्य तेल** (i) थोकविक्रेताओं सहित डीलर्स, वितरण एजेंट, ऐसे व्यक्तियों के विक्रेता एजेंट्स आदि : 1000 क्विंटल (ii) खुदरा विक्रेता : 40 क्विंटल	शून्य	संसूचित नहीं	राज्य सरकार ने दिनांक 21.10.2009 की अधिसूचना के तहत चावल, दाल तथा खाद्य तेलों के संबंध में स्टॉक सीमा निर्धारित की। दिनांक 04.10.2011 को भारत सरकार की सहमति संसूचित की गई।
राजस्थान	**हर प्रकार की दालें** थोक विक्रेता: 2000 क्विंटल खुदरा विक्रेता : 25 क्विंटल	26.02.2016 से कोई सीमा नहीं	26.02.2016 से कोई सीमा नहीं	संसूचित नहीं	स्टॉक सीमा की नवीनतम स्थिति दिनांक 20.01.2016 के पत्र द्वारा प्राप्त हुई।
तमिलनाडु	**(i) थोक विक्रेता :** (क) म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन – 2500 क्विंटल (ख) जिला मुख्यालय – 1250 क्विंटल (ग) अन्य क्षेत्र 1250 क्विंटल **(ii) खुदरा विक्रेता :** (क) म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन – 62.50 क्विंटल (सभी दालों को एक साथ लेकर) (ख) जिला मुख्यालय 50 क्विंटल (ग) अन्य क्षेत्र – 500 क्विंटल	हाईड्रोजेनेटिड वनस्पति तेल सहित हर प्रकार के खाद्य तेल **श्रेणी 'क' शहर-** (i) थोक विक्रेता : 600 क्विंटल (ii) खुदरा विक्रेता: 20 क्विंटल **श्रेणी 'ख' शहर-** (i) थोक विक्रेता : 400 क्विंटल (ii) खुदरा विक्रेता: 12 क्विंटल **श्रेणी 'ग' शहर तथा अन्य क्षेत्र -** (i) थोक विक्रेता : 250 क्विंटल (ii) खुदरा विक्रेता: 08 क्विंटल	सभी प्रकार के खाद्य तिलहनों को साथ लेकर। मूंगफली दाना या बीज के लिए विनिर्दिष्ट सीमा का 75% लागू होगा। **श्रेणी 'क' शहर-** (i) थोक विक्रेता : 1500 क्विंटल (ii) खुदरा विक्रेता: 100 क्विंटल **श्रेणी 'ख' शहर-** (i) थोक विक्रेता : 1000 क्विंटल (ii) खुदरा विक्रेता: 75 क्विंटल **श्रेणी 'ग' शहर तथा अन्य क्षेत्र -** (i) थोक विक्रेता : 500 क्विंटल (ii) खुदरा विक्रेता: 50 क्विंटल	संसूचित नहीं	दालों के संबंध में 14.06.2007 को वैधता 30.09.2016 तक बढ़ाई गई। खाद्य तेलों तथा खाद्य तिलहनों के संबंध में वैधता दिनांक 09.06.2008 को अधिसूचित की गई और इसे दिनांक 30.09.2016 तक बढ़ाया गया है अद्यतन स्थिति की जानकारी दिनांक 30.03.2016 के पत्र द्वारा प्राप्त हुई।
तेलंगाना	(क) श्रेणी 'क' शहर हैदराबाद (i) काला चना/दाल के अलावा अन्य चना/दाल थोक विक्रेता 4000 क्विंटल खुदरा विक्रेता 125 क्विंटल (ii)काला चना/दाल थोक विक्रेता 1500 क्विंटल खुदरा विक्रेता – 30 क्विंटल (ख) अन्य स्थान (i) चना दाल/दाल के अलावा काला	सभी खाद्य तेल, तेल हाइड्रोजनकृत वनस्पति तेल शामिल है। 1. हैदराबाद और सिकन्दराबाद थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता 900 100 क्विंटल 2. करीमनगर एवं वारंगल 600 50 क्विंटल 3. अन्य स्थान 375 30	छिलके वाली मूंगफली सहित खाद्य तिलहन 1. हैदराबाद एवं सिकन्दराबाद (10 लाख एवं उससे अधिक की जनसंख्या वाले थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता 2250 150 क्विंटल 2. करीमनगर एवं वारंगल (3 लाख से अधिक परन्तु 10 लाख से कम नहीं, की जनसंख्या वाले) 1500 113	(क) श्रेणी 'क' शहर (10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले) **थोक विक्रेता:** 75 क्विंटल खुदरा: 20 क्विंटल (ख) श्रेणी 'ख' क्षेत्र (शहरी क्षेत्रों के अलावा) थोक: 40 क्विंटल खुदरा: 10 क्विंटल (ग) श्रेणी 'ग' क्षेत्र (ग्रामीण क्षेत्र) थोक: 30 क्विंटल खुदरा: 5 क्विंटल	दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में नवीनतम स्थिति 23.01.2016 को संसूचित की गई। प्याज की स्टॉक स्थिति के बारे में 21.08.2014 को सूचित किया गया। प्याज के संबंध में स्टॉक सीमा की स्थिति दिनांक 29.03.2016 के पत्र द्वारा सूचित की गई

	चना/दाल थोक विक्रेता – 2500 क्विंटल खुदरा विक्रेता – 100 क्विंटल (ii) काला चना /दाल थोक विक्रेता 1500 क्विंटल खुदरा विक्रेता 20 क्विंटल		क्विंटल 3. उपरोक्त (1) एवं (2) में कवर नहीं किए गए स्थान (3 लाख से कम की जनसंख्या वाले) 1200 75 क्विंटल		
उत्तर प्रदेश	(हर प्रकार की दालों सहित) (क) खुदरा विक्रेता: 50 क्विंटल (ख) थोक विक्रेता: 1500 क्विंटल (ग) कमीशन एजेंट: 1500 क्विंटल (घ) विनिर्माता: 30 दिनों की उत्पादन क्षमता के बराबर			कोई स्टॉक सीमा नहीं	राज्य सरकार ने प्याज और आलू पर स्टॉक सीमा अधिरोपित न करने का निर्णय लिया और दिनांक 2.2.2015 के पत्र संख्या 737/29-7-14/2014 के माध्यम से सूचित किया। 09.11.2015 को अधिसूचना जारी की गई।
उत्तराखंड	कोई स्टॉक सीमा नहीं	कोई स्टॉक सीमा नहीं	कोई स्टॉक सीमा नहीं	कोई स्टॉक सीमा नहीं	राज्य सरकार द्वारा 29.01.2016 के पत्र द्वारा सूचित किया गया।
प0 बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	थोक विक्रेता – 500 क्विंटल खुदरा विक्रेता – 20 क्विंटल	दिनांक 25.07.2014 की अधिसूचना द्वारा प्याज और आलू पर स्टाक सीमा निर्धारित की गई। दिनांक 12.02.2015 की अधिसूचना संख्या 359/एफ एस/ओ/सचिवालय/खाद्य/14 आर -03/204 द्वारा आलू से स्टाक सीमा को हटाया गया। दिनांक 01.7.2015 के पत्र द्वारा प्याज पर स्टाक सीमा को पुन निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया। दिनांक 22.07.15 को केन्द्र सरकार की साहमति जारी कर दी गई थी।

स्रोत: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त स्टॉक सीमा/नियंत्रण आदेश

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 4 जुलाई, 2014 को हुए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के उपभोक्ता मामले मंत्रियों के सम्मेलन का कार्यवृत्त

कीमतों, विशेषत: सब्जियों, दालों तथा आम उपभोग की अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए निवारक उपायों के संबंध में आम सहमति बनाने हेतु दिनांक 04.07.2014 को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग लिया। राज्यों से 25 मंत्रियों ने और दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

2. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, श्री रावसाहब दादाराव दानवे ने सम्मेलन में जानकारी दी कि हालांकि केन्द्र सरकार ने खाद्य मंहगाई को नियंत्रित करने के लिए कुछेक कदम उठाए हैं किन्तु देश के लोगों को उचित एवं संगत मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य भूमिका राज्य सरकारों को निभानी होगी।

3. कृषि मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि देश में कृषि उत्पादों का काफी स्टॉक है। खाद्य मंहगाई का संबंध कमजोर कृषि उत्पाद विपणन प्रणाली तथा मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली मुनाफाखोरी से है। उन्होंने सुझाव दिया कि खाद्य मंहगाई को नियंत्रित करने के लिए बेहतर बाजार एकीकरण, बाजार अवसंरचना तथा बाजार जानकारी वाली एक मजबूत कृषि उत्पाद विपणन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

4. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, श्री राम विलास पासवान ने शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में जुलाई और नवम्बर के बीच होने वाली बढ़ोतरी का उल्लेख करते हुए कहा कि जमाखोरी तथा चोर-बाजारी को रोकने के साथ-साथ इस अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा संवितरण को मजबूत बनाने के लिए कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत में एक साझा बाजार स्थापित करने के महत्व पर भी बल दिया।

5. वित्त, कॉरपोरेट मामले तथा रक्षा मंत्री, श्री अरुण जेटली ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के विषय से निपटने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्यों के बीच समन्वित कार्रवाई के महत्व पर बल दिया।

6. सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने अपने स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई का खाका तैयार किया और उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

7. सम्मेलन में विस्तृत चर्चा के बाद यह उल्लेख किया गया कि :

i) आपूर्ति पक्ष के ढांचागत अवरोधों, मौसमी अंतर और मांग की प्रवृत्ति के कारण प्रत्येक वर्ष जुलाई-दिसम्बर के बीच की अवधि, सब्जियों (प्याज, टमाटर तथा आलू), अनाज (चावल, ज्वार तथा बाजरा), दाले (मसूर, तूर तथा मूंग दाल) तथा खाद्य तेल सहित आम उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में विशेषरूप से नाजुक हो जाती है।

ii) मूल्य संचलन की प्रवृत्ति दर्शाती है कि इन वस्तुओं की कीमतों में जुलाई से बढ़ोतरी शुरू हो जाती है और बाजार में खरीफ/विलम्बित खरीफ की आवक के कारण कीमतों में नरमी आने से पूर्व दिसम्बर माह तक यह

अपने चरम पर होती है। इस अवधि के दौरान ईद-उल-फितर, दुर्गा पूजा, दशहरा, ओणम, दीपावली, मुहर्रम तथा क्रिसमस जैसे महत्वपूर्ण त्यौहारों के कारण भी मांग में तेजी आती है। शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुएं अपने सीमित जीवनकाल के कारण मूल्यों के प्रति विशेषरूप से संवेदनशील होती हैं।

iii) बाजार के मध्यस्थ – मण्डी विक्रेता, थोक विक्रेता तथा ए0पी0एम0सी0 यार्ड – वस्तुओं की उपलब्धता को नियंत्रित करने में अनुपातहीन रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा आगामी छः महीनों के दौरान, विगत की तरह ही जमाखोरी, गुटबाजी तथा कृत्रिम भंडारण के जोखिम की संभावना रहती है।

iv) इसलिए, चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य पर पर्याप्त आपूर्ति को बनाए रखने और वास्तविक समय आधार पर बाजार हस्तक्षेप को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा एक कार्ययोजना तैयार करना और भारत सरकार की मदद से उसकी गहन मॉनीटरिंग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

v) एक साझा राष्ट्रीय बाजार स्थापित करने की आवश्यकता को पहचाना गया। विशेषरूप से प्याज एवं आलू के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर वैज्ञानिक भंडारण गोदाम सहित एक प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इस स्फीतिकारी प्रवृत्ति का समाधान करने में सक्षम होगा।

8. खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन ने भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के एकजुट होकर कार्य करने के महत्व को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित कार्य योजना और अगले छः माह में इसके प्रभावी कार्यान्वयन पर सहमति जताई। छः माह की कार्य योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

i) कार्य योजना में चावल, ज्वार, बाजरा, प्याज, टमाटर, आलू, मूंग दाल, तूर दाल तथा खाद्य तेल, ब्रेड, दूध और अंडा इत्यादि शामिल होंगे।

ii) राज्य, विशेष मॉनीटरिंग के आपूर्ति की कमी की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि विशेषतः आम उपभोग की इन वस्तुओं के लिए "स्टॉक-आउट" की परिस्थिति पैदा न हो।

iii) जिन क्षेत्रों में मुख्य भोजन ज्वार, बाजरा तथा मकई जैसा मोटा अनाज है, वहां इन वस्तुओं की उपलब्धता की गहन मॉनीटरिंग की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि भंडारण के स्तर पर इन उत्पादों की गुणवत्ता नष्ट न हो।

iv) राज्य के विभिन्न नगरों/ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य द्वारा सरकारी/निजी/सहकारी भंडारण अवसंरचना का प्रयोग करके इन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त विकेन्द्रित स्टॉक रखा जाना सुनिश्चित करने हेतु विद्यमान भंडारण क्षमता का उपयोग करके उसे गतिशील बनाया जाएगा।

v) आगामी छः महीनों के दौरान प्रत्येक राज्य, एक मूल्य निगरानी कक्ष गठित करेगा जो मंडियों में थोक मूल्य के आधार के साथ-साथ राज्य के विभिन्न भागों में खुदरा मूल्य प्राप्त करके इन विशिष्ट वस्तुओं के मूल्य की निगरानी करेगा। यह, राज्यों को वास्तविक समय आधार पर बाजार हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाएगा।

vi) राज्यों को बड़ी मात्रा में उत्पादन खरीदने के लिए एक चक्रीय कोष की स्थापना तथा उनके भंडारण को विनियमित करने के साथ-साथ त्यौहारों के मौसम में बड़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उचित मूल्य पर वितरित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसा बी.पी.एल. कार्ड धारकों के लाभ के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

vii) राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुओं को पी.डी.एस. दुकानों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (राशन कार्ड तथा ग्रीन कार्ड धारक) को उचित मूल्य पर बेचने के लिए सहकारी समितियों के नेटवर्क के साथ भागीदारी करनी चाहिए।

viii) जिले में जिला आयुक्त/समाहर्ता तथा शहरों/कस्बों में म्यूनिसिपल कमिश्नर जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को इन वस्तुओं की उपलब्धता तथा मूल्य स्तरों की मॉनीटरिंग के लिए केंद्र बिंदु के रूप में पदनामित किया जा सकता है।

ix) जमाखोरों तथा चोर-बाजारी करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी। यह कदम त्वरित एवं गोचर होने चाहिए तथा जब्त किए गए खाद्यान्न के स्टॉक को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के खुदरा आउटलेट के माध्यम से संवितरित किया जाना चाहिए।

x) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों को गैर-जमानती बनाकर अधिनियम को और अधिक सख्त बनाया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए।

xi) प्याज एक मुख्य चुनौती होगा क्योंकि पांच राज्यों : महाराष्ट्र (28%), मध्य प्रदेश (16%), कर्नाटक (14%), आंध्र प्रदेश (9%), बिहार (7%) से प्याज के कुल उत्पादन का 75% प्राप्त होता है। प्याज का थोक बाजार भी देश भर में फैले लगभग 12-15 थोक विक्रेताओं के उत्पादक संघ द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। देश भर में बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए प्याज की नि:शुल्क अंतर्राज्यीय आवाजाही, जमाखोरी रोधी कार्रवाईयों तथा प्याज के विकेन्द्रीकृत भंडारण को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही केन्द्रीकृत स्टॉक रखने की भी आवश्यकता है।

xii) सब्जियां, फल तथा शीघ्र नष्ट हो जाने वाली मूल्य संवेदी वस्तुओं को ए0पी0एम0सी0 एक्ट के दायरे से हटाया जाएगा। राज्य सरकारें इस संबंध में यथोचित अधिसूचना जारी करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगी।

xiii) राज्य, कीमतों के संबंध में कुछ राहत उपलब्ध कराने के लिए अंतरिम अवधि में इन शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं को ए0पी0एम0सी0 यार्ड टैक्स/स्थानीय फीस, यदि कोई है, से छूट प्रदान करेंगे।

xiv) आम आदमी के उपभोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए बाजार हस्तक्षेप करने हेतु राज्यों को सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार को 'मूल्य स्थिरीकरण कोष' स्थापित करने पर विचार करना चहिए।

9. केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ कार्य योजना के कार्यान्वियन का गहन समन्वय किया जाएगा। अगले 6 महीनों के दौरान आवश्यक खाद्य वस्तुओं की प्रभावी मूल्य निगरानी के राष्ट्रीय केंद्र बिंदु संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार होंगे और प्रत्येक राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है कि वे राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आयुक्त को राज्य के केंद्र बिंदु के रूप में पदनामित करें।

*****

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपभोक्ता मामले मंत्रियों की दिनांक 7 जुलाई, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परामर्शी बैठक के निष्कर्ष

इस बैठक का उद्देश्य एक संयुक्त कार्यनीति तैयार करना और इसका कार्यान्वयन यथासम्भव जिला स्तर पर करना था जुलाई- दिसम्बर 2015 के बीच की छमाही अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्यों पर उपलब्धता को बनाए रखने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्ययोजना पर आम सहमति बनी और उसे अपनाया गया:

क) कार्य योजना में दालों, खाद्य तेलों, चावल, प्याज, टमाटर और आलू को कवर किया जाएगा।

ख) जमाखोरी और चोरीबाजारी के विरुद्ध सतत् कार्रवाई की जाएगी और राज्यों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा चोरबाजारी निवारण अधिनियम का प्रभावी प्रवर्तन किया जाएगा।

ग) राज्यों द्वारा अपूर्ति की कमी वाले संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विशेष रूप से आम उपभोग की वस्तुओं के संबंध में "स्टॉक आऊट" की स्थिति उत्पन्न न हो।

घ) इन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न नगरों/ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विकेन्द्रीकृत स्टॉक का रख-रखाव सुनिश्चित करते हुए, राज्यों द्वारा, सरकारी/निजी/सहकारी भंडारण अवसंरचना का उपयोग करके विद्यमान भंडारण क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाएगा। राज्य, आवश्यक खाद्य वस्तुओं के वितरण की संभावनाओं का उन्नयन करने के लिए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगमों, सहकारी समितियों तथा उचित दर की दुकानों का भी उपयोग करेंगे।

ङ) मंडियों के थोक मूल्यों और राज्य के विभिन्न भागों से प्राप्त किए गए खुदरा मूल्यों के आधार पर इन विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करने के लिए राज्यों में विद्यमान मूल्य निगरानी प्रकोष्ठों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इससे राज्य उचित समय पर बाजार हस्तक्षेप करने में सक्षम हो सकेंगे।

च) प्याज, आलू और टमाटर के आंतरिक व्यापार के संबंध में अंतर-राज्यीय प्रतिबंधों को हटाने के संदर्भ में ए.पी.एम.सी. अधिनियम की पुनरीक्षा की जाएगी।

छ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां अभी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कार्यान्वित नहीं हुआ है, कि प्रगति की माननीय मंत्री द्वारा समीक्षा की गई और उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि अधिनियम को विस्तारित अवधि अर्थात् 30.09.2015 तक कार्यान्वित कर दिया जाए। अधिकांश राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों ने समय सीमा के अंदर कार्यान्वयन करने का आश्वासन दिया है।

ज) इसके अलावा, टी.पी.डी.एस. संचालनों के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। माननीय मंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि खाद्यान्नों की लीकेज को राकने और विपथन की निगरानी करने तथा तन्त्र में पारदर्शिता और व्यवहार्यता लाने के लिए इसको समयबद्ध रूप से पूरा

किया जाना अनिवार्य है। इसको समय पर पूरा किए जाने की आवश्यकता पर व्यापक रूप से सहमति व्यक्त की गई। लाभार्थी के डाटा बेस में आधार नं. देने और लाभार्थियों के अधिप्रमाणन के लिए उचित मूल्यों की दुकानों पर पी.ओ.एस. डिवाईसों को स्थापित किए जाने और लेन-देन की इलैक्ट्रानिक रिकार्डिंग पर भी चर्चा की गई।

झ) कुछ राज्यों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों और कल्याणकारी संस्थानों के लिए अधिक आबंटन की मांग की है। उन्हें सरकार के हाल ही के निर्णय के बारे सूचित किया गया था, जिसके अनुसार ऐसे आबंटन केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय की सिफारिशों पर किए जाएंगे। इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों को भेज जाने चाहिए।

राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्रियों की दिनांक 7 जुलाई, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परामर्शी बैठक का कार्यवृत्त

1. खाद्य मंहगाई की समस्या पर विचार करने और बढ़ती हुई कीमतों विशेषत: सब्जियों, दालों और आम उपभोग की अन्य खाद्य वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक साझा कार्यनीति इजाद करने हेतु माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 7 जुलाई, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्रियों की एक राष्ट्रीय परामर्शी बैठक का आयोजन किया गया। 16 राज्यों से संबंधित मंत्रियों ने तथा अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सचिवों/प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। माननीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह भी मुख्य अतिथि के रूप में बैठक उपस्थित थे।

2. सचिव (उपभोक्ता मामले) ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने बैठक की कार्यसूची की रूपरेखा का विवरण दिया और प्रतिवर्ष जुलाई से नवम्बर के दौरान सामने आने वाली खाद्य मंहगाई की समस्या से निपटने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता का खाका तैयार करने की जरूरत पर बल दिया तथा सम्बोधन के लिए माननीय कृषि मंत्री जी को आमंत्रित किया।

3. माननीय कृषि मंत्री ने अपने भाषण में किसानों के लाभ हेतु सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी जिसमें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सिंचाई में सुधार, दलहन तथा खाद्यान्नों आदि के उत्पादन में बढ़ोतरी शामिल है। उन्होंने सभी राज्यों में समरूप मंडी कानून की आवश्यकता पर बल दिया। कर्नाटक में इसे लागू कर दिया गया है, अन्य राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे इसे अपनाएं और सरकार भी एक राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं होगी तथा राज्यों के सहयोग से सिंचाई के पानी में होने वाली कमी का समाधान कर लिया जाएगा।

उन्होंने राज्यों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया और छत्तीसगढ़ राज्य का उदाहरण दिया, जिसका अनुसरण अन्य राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए। बिहार के संबंध में उन्होंने कहा कि कुल 8.71 करोड़ व्यक्तियों में से अभी तक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केवल 7.60 करोड़ व्यक्ति ही कवर किए जा रहे हैं। उन्होंने, कवर किए जाने वाले लगभग एक करोड़ अतिरिक्त व्यक्तियों की सूची को डिजिटल बनाने संबंधी मुद्दों के शीघ्र समाधान और उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पोर्टल पर रखने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि उन्हें भी अधिनियम के तहत लाभ मिलना शुरू हो जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) को कार्यान्वित करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केवल 12 राज्यों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया है और उन्होने उन शेष राज्यों, जहां अधिनियम का कार्यान्वयन होना बाकी है, से अनुरोध किया कि वे इसे शीघ्र ही कार्यान्वित करें।

4. माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रतिवर्ष जुलाई से नवम्बर के दौरान शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि हालांकि खाद्य मंहगाई को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं किन्तु देश की जनता को उचित एवं वहनीय कीमत पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में राज्य सरकारों को निर्णायक भूमिका निभानी होगी। उन्होंने, खाद्य मंहगाई को नियंत्रित रखने के लिए उठाए गए कदमों के लिए सभी राज्यों की प्रशंसा की। उन्होंने सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से अपील की कि वे अपने व्यापार, वाणिज्य तथा वितरण को जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी तथा उत्पादक-संघों से मुक्त करते हुए प्याज, टमाटर, सब्जियों, फलों, खाद्य तेलों तथा दालों जैसे सभी आवश्यक खाद्य वस्तुओं की सुचारू एवं पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खाद्य मंहगाई को नियंत्रित करना सरकार के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो यह अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान तथा संवितरण न्याय में सुधार के लिए पहले से की गई विभिन्न पहलों को बहुत ही आसानी से नष्ट कर सकती है। इसलिए सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से इस चुनौती से निपटने के लिए कटिबद्ध है। एक संयुक्त रणनीति तैयार करने और जहां तक संभव हो सके जिला स्तर तक इसके कार्यान्वयन को बढ़ाने का विचार है।

उन्होने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबों के लिए जीवन रेखा है और देश में पर्याप्त खाद्यान्न मौजूद है। पिछले वर्ष हुई कम वर्षा के बावजूद भी उत्पादन में मामूली कमी आई थी। खाद्यान्नों की उपलब्धता की स्थिति के संबंध में संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने विशेषत: जुलाई से नवम्बर की अवधि, जो कि त्यौहारों का मौसम है और मूल्य वृद्धि के प्रति अति संवेदनशील है, के दौरान मूल्य स्थिति के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। तथापि, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केन्द्र सरकार, राज्यों के सहयोग से स्थिति से निपटने में सक्षम होगी। माननीय मंत्री जी ने यह भी उल्लेख किया कि उनका मंत्रालय और सरकार, किसानों की दुर्दशा के प्रति संवेदनशील है तथा बेमौसमी बरसात/ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई फसलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मूल्य में किसी प्रकार की कटौती किए बगैर ही गेहूं के गुणवत्ता मानदंडों में रियायत देने का निर्णय लिया है।

खाद्य सब्सिडी के संबंध में नकद अंतरण के बारे में माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा कि यह लीकेज और विपथन को रोकने संबंधी सुधारात्मक उपायों में से एक उपाय है और इसके अपने लाभ हैं। तथापि, उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि सभी संबंधित पहलुओं - जैसे कि नकद अंतरण वाले क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों का बंद होना तथा खाद्यान्न भंडारण गोदामों का उपयोग न होना/कम उपयोग होना, नकद अंतरण का लाभार्थियों के खाद्यान्न खरीदने की प्रवृत्ति पर प्रभाव, नकद के दुरुपयोग की संभावना आदि - की ध्यानपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा एन0एफ0एस0ए0 के मुद्दे पर माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन, केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है और केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी खाद्यान्नों को भारतीय

खाद्य निगम के गोदामों तक पहुंचाने की होती है। लेकिन इसके बाद उठान तथा लाभार्थियों तक इसका वास्तविक संवितरण करना, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। लीक रोधी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से समयबद्ध रूप से सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया। एन0एफ0एस0ए0 के संबंध में उन्होंने कहा कि यदि यही तरीके से कार्यान्वित किया जाए तो यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कई वर्तमान खामियों को दूर किया जा सकता है। अब तक केवल 12 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने एन0एफ0एस0ए0 को कार्यान्वित किया है, हालांकि अधिनियम को कार्यान्वित करने की अवधि को अब तक तीन बार बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2015 कर दिया गया है। शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

5. इसके बाद 22 आवश्यक वस्तुओं के मूल्य रुझानों, एन0एफ0एस0ए0 के कार्यान्वयन, टी0पी0डी0एस0 के सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण तथा गोदामों के निर्माण के संबंध में भूमि संबंधित मुददों पर प्रस्तुतियां दी गईं जो निम्नानुसार हैं:-

(i) उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सलाहकार ने कीमतों में बढ़ोतरी के कारणों, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य रुझानों तथा खाद्य महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में की गई पहलों के संबंध में प्रस्तुति दी।

(ii) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आर्थिक सलाहकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में दी गई प्रस्तुति में इसके कार्यान्वयन से संबंधित वर्तमान स्थिति, अधिनियम के कार्यान्वयन में केन्द्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों और इसके शीघ्र लागू करने की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने यह भी सूचित किया कि जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस अधिनियम का कार्यान्वयन किया जाना अभी बाकी है, उनमें अतिरिक्त ए0पी0एल0 तथा बी0पी0एल0 आबंटन 30.09.2015 तक ही है। यदि वे इस अधिनियम को 30 सितम्बर, 2015 तक लागू करने में विफल रहते हैं तो आबंटन को जारी रखने के संबंध में पुनर्विचार करना होगा।

(iii) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव (बी0पी0, पी0डी0) ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्पूर्ण कम्पयूटरीकरण की योजना के बारे में राज्यवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के संबंध में प्रस्तुति दी। उन्होंने पहले से जारी की गई निधियों के उपयोग की गति को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि अगली किस्त जारी की जा सके। राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी किया गया था कि वे प्वाईंट ऑफ सेल डिवाईस की स्थापना के माध्यम से मार्च, 2016 तक एक-तिहाई जिलों में उचित दर की दुकानों के स्वचालन हेतु तिमाही-वार कार्ययोजनाएं तैयार करें जिसके लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ वित्तीय सहायता संबंधी आवश्यक तकनीकी विनिर्देशन तथा तरीके का आदान-प्रदान पहले से ही किया जा चुका है। 90% से अधिक आधार संतृप्ति वाले 108 जिलों को वरीयता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने विशेषत: कुछेक संघ शासित क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर

एक अन्य सुधारात्मक उपाय अर्थात खाद्यान्नों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण/नकद अंतरण के बारे में भी बताया।

(iv) संयुक्त सचिव (भंडारण) ने विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के निर्माण के लिए भूमि संबंधी मुद्दों तथा पी0ई0जी0 योजना के तहत तथा केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा बिहार में गोदामों के निर्माण के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया।

6. इसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा दिल्ली के अधिकारियों ने एफ0पी0एस0 स्वचालन तथा 'आधार' सीडिंग के क्षेत्रों में उनके द्वारा की गई सफल पहलों के बारे में जानकारी दी।

7. उपरोक्त प्रस्तुतिकरणों के बाद राज्यों के साथ बैठक की कार्यसूची पर चर्चा की गई।

राष्ट्रीय परामर्शी बैठक के निष्कर्षों के अनुसार तैयार की गई कार्रवाई योजना पर की गई कार्रवाई- 2014 एवं 2015

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्रवाई योजना पर की गई कार्रवाई
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	**कार्य योजना में चावल, ज्वार, बाजरा, प्याज, टमाटर, आलू, मूंग दाल, मसूर दाल, तूर दाल और खाद्य तेलों, ब्रेड, दूध एवं अंडों को कवर किया जाएगा।** उत्पादन की दृष्टि से यह खाद्य के अभाव वाला संघ राज्य क्षेत्र है। सभी आवश्यक वस्तुएं समुद्री मार्ग द्वारा मुख्य भूमि से आयातित की जाती है। विभाग पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता की निगरानी करता है ताकि संकट की स्थिति के कारण मूल्य वृद्धि न हो। **राज्य, विशेष निगरानी हेतु आपूर्ति की कमी वाले संवेदनशील क्षेत्रों का खाका तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विशेष रूप से सामान्य उपभोग की इन वस्तुओं के मामले में "स्टॉक आऊट" की स्थिति उत्पन्न न हो।** अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह मुख्य भूमि से 1200 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित है। समग्र व्यापार चैन्नई और कोलकाता से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस संघ राज्य क्षेत्र के बसे हुए 38 द्वीप, समूह से अलग-अलग स्थानों पर है और ये संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित हैं, अत: साल भर संघ राज्य क्षेत्र के इस दूरस्थ भाग में उपलब्धता सुनिश्चित करना, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के लिए चुनौती है, विशेष रूप से मानसून मौसम के दौरान जब समुद्र अशांत होता है और कुछ जनजातीय अधिकृत द्वीप समूहों तक पहुँच मुश्किल होती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि द्वीप समूह के प्रत्येक भाग में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो। द्वीपसमूह के वासियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवर किया गया है। संबंधित नागरिक आपूर्ति गोदामों/प्रधान वितरण केन्द्र के माध्यम से वितरण किया जाता है। प्रशासन द्वारा द्वीप समूह के सभी भागों में खाद्यान्नों के कम से कम तीन महीने के बफर स्टॉक को बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। **ऐसे क्षेत्र, जहां का मुख्य आहार ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाज हैं, वहां इन वस्तुओं की उपलब्धता की गहन निगरानी की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भंडारित उत्पाद की मात्रा को कोई क्षति नहीं पहुँचेगी।** द्वीपसमूह में मोटे अनाज का उपभोग अधिक नहीं होता है। **राज्य, इन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न/ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विकेन्द्रीकृत स्टॉकों को बनाए रखना सुनिश्चित करने हेतु सरकारी/निजी/सहकारी भंडार अवसंरचना का उपयोग करते हुए मौजूदा भंडारण क्षमता को गतिशील बनाएंगे।**

		चूंकि सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है। विभाग द्वारा कम से कम तीन महीनों के लिए बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों के भंडारण हेतु भंडार गोदाम का रख-रखाव किया जा रहा है। अन्य आवश्यक वस्तुओं, जिसमें शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं शामिल है, के संबंध में निजी डीलर द्वारा मुख्य भूमि से पर्याप्त मात्रा में आयात किया जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भंडारण क्षमता में वृद्धि करने हेतु विभाग द्वारा ए.एन.आई.आई.डी.सी.ओ. और ए.एन.सी.ओ.एफ.डी.डी. जैसे निगमों और उपभोक्ता सहकारी समितियों को केन्द्रीय माल गोदाम निगम और अन्य एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। **आगामी छः माह की अवधि के दौरान, राज्यों द्वारा एक मूल्य निगरानी कक्ष की स्थापना की जाएगी, जो मंडियों के थोक मल्यों के साथ-साथ राज्य के विभिन्न भागों से प्राप्त खुदरा मूल्यों के आधार पर इन विशेष वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी करेगा। यह राज्यों को वास्तविक समय आधार पर बाजार हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम बनाएगा।** नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय में एक मूल्य निगरानी कक्ष क्रियाशील है, जो आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों की निगरानी करता है और बाजार से कम से कम 22 आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्य एकत्रित करता है और आम जनता को व्यापक रूप से सूचना देने के लिए समाचार पत्र में कम से कम 22 आवश्यक वस्तुओं के प्रचलित मूल्य को प्रकाशित करता है। यह जानकारी दैनिक आधार पर मूल्य निगरानी कक्ष, नई दिल्ली को भी सूचित की जाती है। **राज्यों को, बड़ी मात्रा में उत्पादों/उत्पाद को खरीदने के लिए चक्रीय कोष स्थापित करने और त्यौहार के मौसम के दौरान बढ़ी हुई मांग को उचित मूल्यों पर पूरा करने के लिए भंडारण के साथ-साथ वितरण की भी नियमित व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों के लाभार्थ इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए।** **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (राशन कार्ड धारकों और हरा कार्ड धारकों) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से स्वतः महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुएं बेचने (उचित मूल्यों पर) के लिए राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को सहकारी समितियों के तंत्र के साथ भागीदारी करनी चाहिए।** जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवर किया गया है, अतः, चावल/गेहूं/जब्त किए गए आटा, चीनी और मिट्टी के तेल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी किया जाता है। जहां तक त्यौहारों के मौसम के दौरान उत्पादों के बड़ी मात्रा में भंडारण का संबंध है व्यापारियों द्वारा वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा का आयात किया जा रहा है। वर्तमान में, इस संघ राज्य क्षेत्र के नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चावल, गेहूं जब्त किए गए गेहूं, आटा, चीनी और मिट्टी के तेल की संपूर्ण मात्रा को पूरे संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी

		किया जा रहा है। विभाग द्वारा इस संघ शासित क्षेत्र के निगमों और सहकारी समितियों को अपने बिक्री केन्द्रों के जरिए महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुओं को बेचने के लिए गतिशील बनाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक उपर्युक्त उल्लिखित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुओं की बिक्री का सम्बन्ध है- दलहन, खाद्य तेल इत्यादि जैसी कुछ और आवश्यक वस्तुओं को सहित गरीबी रेखा से नीचे के/अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने के संबंध में एक प्रस्ताव प्रशासन को भेजा जाएगा। **इन वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य स्तरों की निगरानी के लिए जिला आयुक्तों/जिले के समाहर्ताओं और शहरों/नगरों के नगर निगम आयुक्तों जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को केन्द्र बिंदु के रूप में पदनामित किया जा सकता है।** सभी स्तरों पर मूल्य निगरानी समितियां गठित की जा चुकी है और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, पहचानी गई 22 आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य स्तर की निगरानी के लिए दिनांक 24/09/14 के आदेश सं. 1231 द्वारा राज्य स्तर, जिला स्तर और नगर निगम स्तर क्षेत्र के केन्द्र बिंदुओं को पहले ही पदनामित किया जा चुका है। **जमाखोरों और चोर-बाजारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। यह उपाय तीव्र और स्पष्ट होने चाहिए और जब्त किए गए खाद्यान्नों के स्टॉक को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगमों के खुदरा आऊटलेटों के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम में अनिवार्य संशोधन करने की आवश्यकता है।** प्रवर्तन टीम आयातकों पर नजर रख रही है और बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की जांच करने के लिए निरीक्षण करती है। संघ राज्य क्षेत्र में जमाखोरी अथवा चोरबाजारी के किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, जिसका मुख्य कारण वाष्पशील और आर्द्र वातावरण है जो आवश्यक वस्तुओं की लम्बी अवधि के लिए भंडारण को हतोत्साहित करता है। तथापि, केन्द्र सरकार के सुझाव के अनुसार, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, किए जाएंगे। केन्द्र सरकार की सहमति के पश्चात, प्याज और आलू पर स्टॉक सीमाएं अधिरोपित करने के संबंध में नियंत्रण आदेश संबंधी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। **सब्जियां, फल और शीघ्र नष्ट होने वाली अन्य वस्तुएं जो मूल्यों के प्रति संवेदनशील है, को ए.पी.एम.सी. अधिनियम की परिधि से हटाने की आवश्यकता है।** इन्हें पहले ही छूट दी जा चुकी है।
2.	असम	असम, पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों में से एक है। यह पूर्वोत्तर भारत के केन्द्रीय भाग में स्थित है। यह 24 एन और 28 16 एन अक्षांश और 89 42 ई- 96 ई देशान्तर के बीच फैला हुआ है। राज्य की अपनी भौगोलिक स्थिति, बारिश, मौसमी और प्राकृतिक विशेषताएं है जो केवल चावल की खेती के अनुकूल है और इस राज्य के उपभोक्ता मुख्य रूप से दालों, आलू, प्याज, खाद्य तेल और खाद्य तिलहनों इत्यादि जैसी आवश्यक वस्तुओं पर निर्भर हैं, जो

व्यापारियों द्वारा देश के अन्य राज्यों से आयात की जाती हैं।

- **जमाखोरी और चोर बाजारी के विरूद्ध:-** सभी आयुक्तों/उप मंडल अधिकारियों/बी.टी.ए.डी./के.ए.ए.सी. और दीमा हासो स्वायतशासी परिषदों के प्रधान सचिवों से, वरिष्ठ अधिकारी, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रैंक से कम का न हो, की अध्यक्षता में एक प्रवर्तन दल गठित करने का अनुरोध किया जाएगा और जो एफ.सी.एस. एंड सी.ए. के निरीक्षक के साथ औचक छापे मारेगा तथा जिला एवं उप मंडल मुख्यालय के विभिन्न बाजारों में दालों, आलू और प्याज इत्यादि सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करेगा ताकि बेईमान व्यापारी उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य न वसूल सकें और मौजूदा अधिनियम, नियमों और कार्यकारी आदेशों के उपबंधों के अनुसार चूककर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगा।
- **स्टॉक- आऊट की स्थितियों के संबंध में निवारक उपाय:-** आवश्यक वस्तुओं के व्यापारियों द्वारा संबंधित उपायुक्तों/पार्षदों /उप मंडल अधिकारी को आवश्यक वस्तुओं की स्टॉक स्थिति, थोक और खुदरा मूल्यों को दर्शाती हुई दैनिक विवरणी प्रस्तुत करनी होगी, ताकि, वे अपने स्तर पर उसकी जांच कर सकें।

  सभी आयुक्तों/उप मंडल अधिकारियों/बी.टी.ए.डी./के.ए.ए.सी. और दीमा हासो स्वायतशासी परिषदों के प्रधान सचिवों से, प्राकृतिक आपदाओं/कृत्रिम कमी के कारण उत्तपन स्थिति के लिए आकस्मिक उपदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रबन्ध करने और आवश्यक वस्तुओं के बफर स्टॉक का सृजन करने का अनुरोध किया गया है।
- **आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को बनाए रखना:-** सभी आयुक्तों/उप मंडल अधिकारियों/बी.टी.ए.डी./के.ए.ए.सी. और दीमा हासो स्वायतशासी परिषदों के प्रधान सचिवों द्वारा आमार दुकान के माध्यम से 22 गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी और उसे उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों अथवा लैडिंग मूल्य पर बेचना होगा।
- **मौजूदा भंडारण क्षमता का उपयोग:-** राज्य की मौजूदा भंडारण क्षमता के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने का कार्य, निदेशक, एफ.सी.एस. एंड सी.ए., असम को सौपा गया है।
- **राज्य नागरिक आपूर्ति निगम:-** खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, असम, का गठन पहले ही किया जा चुका है और उसने कार्य करना आरंभ कर दिया है।
- **मूल्य निगरानी कक्ष:-** एफ.सी.एस. एंड सी.ए., निदेशालय, असम में मूल्य निगरानी कक्ष है जिसका हेल्पलाइन नं. 0361-2529329 है, जो कार्यालय समय में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। कॉल सेंटर में काम कर रहे

		अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शिकायत के प्रतितोष के लिए संबंधित प्राधिकारी से सम्पर्क करने के लिए संबंधित व्यक्ति को तत्काल सूचित किया जाता है। प्रतितोष के लिए पहल करने हेतु मामले को संबंधित उपायुक्त/उप मंडल अधिकारी भेज दिया जाता है और वह सरकार को की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। • **मासिक समीक्षा:-** माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री, असम, दिसपुर, गुवाहाटी- 6 की अध्यक्षता में गठित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और संचलन के संबंध में राज्य स्तरीय समन्वय और निगरानी समिति, जिसमें रेल प्राधिकारी, आई.ओ.सी.एल., एफ.सी.आई. चैम्बर ऑफ कामर्स और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और संचलन से जुड़े अन्य पणधारी शामिल हैं, की बैठक में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण से संबंधित मामलों की समीक्षा प्रतिमाह की जाती है। • **अन्तर राज्यीय अवरोध:-** विशेष रूप से आलू, टमाटर और प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं के संबंध में कोई अन्तर राज्यीय बैरियर नहीं है। • **सार्वजनिक वितरण प्रणाली तंत्र का सुदृढ़ीकरण:-** सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के खुले बाजार में विपथन को रोका जाना चाहिए और अधोहस्ताक्षरी की ओर से समुचित निर्देश जारी किए जाने चाहिए। • **जागरूकता अभियान:-** राज्य द्वारा उपभोक्ताओं को, गैर-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 23 आवश्यक वस्तुएं खाद्य वस्तुएं अधिकतम खुदरा मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए 'आमार दुकान' नामक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत सभी उपभोक्ता इसके लाभ के पात्र है। आमार दुकान धारकों से आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता का सृजन करने की आवश्यकता है और सभी आयुक्तों/उप मंडल अधिकारियों/ बी.टी.ए.डी./के.ए.ए.सी. और दीमा हासो स्वायतशासी परिषदों के प्रधान सचिवों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के समुचित निर्देश दिए जाएंगे।
3.	हिमाचल प्रदेश	मूल्यों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा शिमला के बाजार से 18 वस्तुओं के खुदरा मूल्यों को राज्य सरकार के वेब पोर्टल पर दैनिक आधार पर फीड किया जा रहा है और शिमला, मंडी तथा धर्मशाला केन्द्रों द्वारा संसूचित 22 वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों को दैनिक आधार पर भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। शिमला और मंडी कस्बों में 18 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्य प्रत्येक बुधवार को संग्रहित किए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में 14 सब्जियों के खुदरा मूल्यों सहित 24 वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्य प्रत्येक शुक्रवार को संग्रहित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा मूल्य निगरानी कक्ष पर आधारित कॉल सेंटर चलाया जा रहा है जो राज्य के विभिन्न बाजारों से 36 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों को प्रतिदिन

संग्रहित करता है और इन रिपोर्टों की नियमित से समीक्षा की जाती है। मूल्यों की समीक्षा निदेशालय स्तर पर की जाती और यदि किसी जिले में लाभ के मार्जिन को अधिक पाया जाता है तो चूककर्ताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई आरंभ करने के लिए संबंधित जिले को आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं।

विभाग द्वारा विभिन्न नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत विभिन्न सांविधिक उपबंधों को लागू करते हुए खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्यों पर नियंत्रण किया गया जिनमें से कुछेक नीचे दिए गए हैं:

1. हिमाचल प्रदेश होर्डिंग एंड प्राफटिरिंग प्रिवेन्शन आर्डर, 1977, एच.पी. ट्रेड आर्टिकल (लाइसेंसिग एंड कंट्रोल) आर्डर, 1981, एच.पी. कमोडिटीज़ प्राइस मार्किग एंड डिस्पले आर्डर, 1977
2. राज्य में किसी प्रकार की अनुचित मूल्य की वसूली को रोकना सुनिश्चित करने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा व्यापार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिसके लिए विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत निरीक्षणों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जा चुके हैं और विभाग के फील्ड स्टॉफ द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किए जा रहे हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान (01.01.2016 तक) किए गए निरीक्षणों की संख्या 33,717 है।

<u>एन.एफ.एस.ए. का कार्यान्वयन:-</u>

1. हिमाचल प्रदेश में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को दिनांक 1 अक्टूबर, 2013 को लागू किया गया था। अत: यह राज्य, अधिनियम का पूर्ण कार्यान्वयन करने वाला, भारत का दूसरा राज्य बन गया।
2. कुछ अन्य राज्यों, जहां क्षेत्र की दृष्टि से अलग दृष्टिकोण का पालन किया जाता है (जैसे पश्चिम बंगाल) के विपरीत, हिमाचल प्रदेश में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को कार्यान्वित किया जा चुका है।
3. योग्य परिवारों की पहचान- चयन संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश दिनांक 1 अगस्त, 2013 को तैयार किए गए। उक्त दिशा निर्देशों में स्व: चयन के साथ-साथ नया चयन और पश्चातवर्ती में जोड़ना और हटाना मापदंड भी शामिल हैं *(अधिनियम की धारा 10)*
4. जनसंख्या और परिवारों के लक्ष्यों को जिला-वार और इसके अतिरिक्त, पंचायत जैसे निचले स्तर तक दर्शाया गया है और फील्ड में इन्हीं दिशा निर्देशों और लक्ष्यों के अनुसार चयन किया गया है।
5. दिशा- निर्देशों (अधिनियम की धारा 10(2)) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उक्त दिशा-निर्देशों को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।
6. सभी पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में चयन सूचियों का खुला प्रदर्शन किया जा रहा है। डिजीटाइजेशन के पूर्ण होने पर, यह आंकड़े ट्रांसपेरेंसी पोर्टल पर भी उपलबध होंगे। अधिकांश आंकड़े पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध है। (epds.co.in) *(अधिनियम*

		की धारा 11) 7. सरकारी तंत्र के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुओं की द्वार पर प्रदायगी करने का प्रयास प्रायोगिक आधार पर किया गया था और जिसे अव्यवहार्य पाया गया। वर्तमान में, परिवहन सब्सिडी की प्रतिपूर्ति सीधे उचित मूल्य की दुकानों को दी जा रही है। पहले भी सूचित किया जा चुका है (भारत सरकार द्वारा) कि खाद्यान्नों की भौतिक डिलीवरी के बदले परिवहन सब्सिडी के प्रावधान को भी 'डोर स्टेप डिलीवरी' में गिना जाएगा। अत: हिमाचल प्रदेश 'डोर स्टेप डिलीवरी' उपलब्ध करा रहा है। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, खाद्यान्नों की वास्तविक भौतिक डिलीवरी व्यवहार्य नहीं है *(अधिनियम की धारा 12(2)(घ))* 8. हिमाचल प्रदेश द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण को कार्यान्वित किया जा रहा है। घटक-1, जिसे मंजूर किया जा चुका है, जिसमें उचित मूल्य की दुकानों का स्वचालन, जिसके लिए निधियां उपलब्ध नहीं हैं, शामिल नहीं है। उचित मूल्य की दुकानों को स्वचालित बनाने हेतु अतिरिक्त मार्जिन का प्रावधान वास्तविक अपगत लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, चूंकि हिमाचल प्रदेश में उचित मूल्य की दुकान का औसत आकार अपेक्षाकृत छोटा है। इसके अलावा, उचित मूल्य की दुकानों को स्वचालित बनाने के लिए पी.ओ.सी. से मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए हैं – वित्त पोषण के अलावा, संयोजकता और अन्य प्रौद्योगिकीय चुनौतियों के संबंध में प्रश्नचिह्न अभी भी विद्यमान है। (अधिनियम की धारा 12(2)(ख)) 9. कम्प्यूटरीकृत किए जा रहे राशन कार्ड आधार पर आधारित हैं। डिजीटाइज्ड आंकड़ों में कुल आधार सीडिंग (कम से कम परिवार के एक सदस्य के पास आधार कार्ड होना) लगभग 77% है और कुल आधार सीडिंग 92% । यह आंकड़े एस.आर.डी.एस. डाटाबेस से सत्यापित आधार आंकड़ों से संबंधित है और हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार यह (सत्यापित आधार सीडिंग) भारत में सबसे अधिक है (अधिनियम की धारा 12(2)(ग)) 10. एन.एफ.एस.ए. से संबंधित सभी रिकार्ड ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में खुले आम से उपलब्ध हैं। इसके अलावा, डिजीटाइज्ड डाटा बेस भी हमारे ट्रांसपेरेंसी पोर्टल पर ऑनलाइन (बिना किसी लॉग इन अथवा प्रतिबंध के) उपलब्ध है (अधिनियम की धारा 12(2)(घ)) 11. एन.एफ.एस.ए., 2013 को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य की दुकानें खोलने के संबंध में दिशानिर्देशों को भी संशोधित किया जा चुका है (अधिनियम की धारा 12(2)(ड.) 12. हिमाचल प्रदेश, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बहुत ही विविध फूड बास्केट उपलब्ध कराता है। हमारे राज्य द्वारा - तीन प्रकार की दालें, 2 प्रकार के तेल और आयोडाइज्ड नमक राज्य के बजट से उपलब्ध कराया जा रहा है। (अधिनियम की धारा 12(2)(च))

		13.हमारा राज्य भौतिक खाद्यान्नों के बदले नकद हस्तांतरण आरंभ करने के पक्ष में नहीं है। हमें विश्वास है कि वर्तमान पद्धति में लाभार्थी को डी.बी.टी. मॉडल की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। (अधिनियम की धारा 12(2)(छ)) 14.सभी नए कम्प्यूटरीकृत राशन कार्ड परिवार की सबसे बड़ी महिला के नाम से जारी किए जाएंगे। (अधिनियम की धारा 13) 15.राज्य ने, अन्यों बातों के अलावा, आंतरिक शिकायत प्रतितोष के लिए अत्याधुनिक कॉल सेंटर(1967) की स्थापना की है। (अधिनियम की धारा 14) 16.एन.एफ.एस.ए. के सभी सिद्धांतों को कवर करने के लिए राज्य सरकार ने जिला शिकायत प्रतितोष अधिकारियों को न केवल खाद्य विभाग में अपितु स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग में भी अधिसूचित किया है। (अधिनियम की धारा 15) 17.अधिनियम में राज्य खाद्य आयोग का प्रावधान है जिसमें अध्यक्ष, 5 सदस्य और वरिष्ठतम सदस्य सचिव शामिल होंगे। हमें विश्वास है कि ऐसा बड़ा संगठन जो हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य, जिसकी कुल जनसंख्या भारत के कई जिलों की जनसंख्या से कम है, के लिए अपेक्षा से अधिक है। हम राज्य खाद्य आयोग की जवाबदेही विद्यमान आयोग को आबंटित करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। वर्तमान में,राज्य खाद्य आयोग की जवाबदेही संबंधित प्रभागों के मंडल आयुक्तों के पास है। (अधिनियम की धारा 16) 18.राज्य सरकार एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम (epds) का कार्यान्वियन कर रही है जिसके अंतर्गत बहुत से रिकार्ड तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें हमारी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। सभी राशन कार्डों से संबंधित दस्तावेजों की स्कैनिंग और संचयन के लिए राज्य सरकार स्वयं की निधियों से डाक्यूमेंट मेनेजमेंट सिस्टम भी कार्यान्वित कर रही है। (अधिनियम की धारा 27) 19.राज्य सरकार शीघ्र ही स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली लेन देनों की लेखा परीक्षा के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश अधिसूचित करेगी। (अधिनियम की धारा 28) 20.राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर (20 नवम्बर, 2013), जिला स्तर (21.08.14) के साथ-साथ राज्य स्तर पर (01.10.2014) को सतर्कता समितियां अधिसूचित की गई। (अधिनियम की धारा 29) 21.राज्य सरकार अपने नियमों को औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया में है। वर्तमान में, समय- समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देशों और अनुदेशों द्वारा अधिकांश प्रासंगिक उपबंधों को कवर किया गया है। (अधिनियम की धारा 40) **<u>कम्प्यूटरीकरण</u>** विभाग, आबंटन के इन हाऊस विकास और आपूर्ति श्रृंखला माड्यूल के लिए सामने आया है। वर्तमान में इसके लिए विभाग अनुप्रयोगकर्ता स्वीकार्यता जांच कर रहा है और प्रायोगिक परीक्षण की संभावित तारीख मार्च 2016 है। राज्य ने अन्य बातों के अलावा आंतरिक

		शिकायत प्रतितोष के लिए अत्याधुनिक कॉल सेंटर की स्थापना की है। (अधिनियम की धारा 14)
4.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप की जनसंख्या बहुत ही कम 65000 (लगभग) होने के साथ-साथ यह सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में, प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं का परिवहन किया जाता है और उनका वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो द्वीप समूह की सहकारी विपणन समितियों के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करती है, के माध्यम से किया जाता है। यह प्रशासन की नियमित और कड़ी निगरानी के तहत पारदर्शी और प्रभावी तरीके से कार्य करता है। चूंकि, प्रशासन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति थोक और खुदरा एजेंटों के माध्यम से सुनिश्चित करता है, अत:, द्वीपसमूह में मूल्य प्राय: स्थिर रहते हैं और इसलिए यहां पर मूल्य उतार-चढ़ाव के मामले नहीं है।
5.	मिजोरम	मिजोरम राज्य में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के नियंत्रण की कार्य योजना निम्नानुसार है:- 1. राज्य सरकार द्वारा, मिजोरम राज्य में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 को लागू करने की शक्तियां दिनांक 6/5/2014 की अधिसूचना द्वारा सचिव, मिजोरम सरकार, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले को दी गई हैं। उक्त अधिसूचना मूल्यों में वृद्धि और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में, जिला न्यायाधीश/उप आयुक्त को भी, उक्त अधिनियमों को उनके संबंधित जिलों में लागू करने की शक्तियां प्रदान करती हैं। 2. विभाग ने, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और मूल्य में वृद्धि संबंधी कदाचार की निगरानी और नियंत्रण के लिए फ्लाइंग स्कैवड बनाया है। 3. 22 चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं की दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है और मंत्रिमंडल सचिवालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। 4. आवश्यक वस्तुओं संबंधी कोई कदाचार यदि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 अथवा मिजोरम ट्रेड आर्टिकल्स (लाईसेंसिग एंड कंट्रोल)आर्डर, 1987 के उल्लंघन में पाया जाता है तो उसे उक्त अधिनियमों और नियमों की प्रासंगिक धारा के अनुसार दर्ज किया जाएगा।
6.	पंजाब	खाद्य मूल्यों में वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए पंजाब राज्य ने निम्नलिखित उपाय आरंभ किए हैं:- i. आवश्यक वस्तुओं के मूल्य उतार-चढ़ाव के रूझान की साप्ताहिक आधार पर निगरानी और विश्लेषण करने के लिए वित्त विभाग के आर्थिक एवं सांख्यिकीय संगठन (ई.एस.ओ.) स्कंध, पंजाब के अंतर्गत विशेष मूल्य उतार-चढ़ाव कक्ष गठित किया गया। ii. इस विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष 22 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की नियमित

		निगरानी करता है और भारत सरकार को राज्य के 3 प्रमुख केन्द्रों अमृतसर, लुधियाना एवं बठिंडा में मूल्यों के बारे में भी दैनिक आधार पर सूचना देता है। iii. उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेपोंकी आवश्यकता की स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य सरकार हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। गत वर्ष, पंजाब राज्य कृषि निर्यात निगम लि. के माध्यम से न लाभ न हानि पर राज्य सरकार द्वारा प्याज की अधिप्राप्ति और बिक्री की गई। iv. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन में पंजाब पहचान किए गए लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सब्सिडीकृत गेहूं का वितरण किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार दालों को भी सब्सिडीकृत दर पर वितरित कर रही है।
7.	राजस्थान	आवश्यक वस्तुओं के बाजार भावों पर नियंत्रण हेतु प्रयास:- 1. **आवश्यक वस्तुओं के बाजार भावों की नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग:-** आवश्यक वस्तुओं के बाजार भावों पर नियंत्रण हेतु राज्य के तीन जिलों जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित हैं तथा प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं के बाजार भाव मंडियों से प्राप्त कर भारत सरकार, मुख्य सचिव कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं कृषि विभाग को प्रेषित किये जाते हैं। वर्ष 2014 में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में सचिव स्तरीय समूह का गठन विभागीय आदेश दिनांक 08.07.2014 द्वारा किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि इसके अध्यक्ष हैं। समूह की बैठक का समय-समय पर आयोजन किया जाता है। 2. **स्टॉक सीमा एवं टर्नओवर अवधि का निर्धारण:-** सचिवों के उक्त समूह की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के साथ संलग्न अनुसूची-1 के भाग ड. में आलू और प्याज को जोड़े जाने की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2014 को जारी की गई। इसके तहत उक्त दोनों वस्तुओं की स्टॉक सीमा/टर्न ओवर अवधि का, जब भी आवश्यक हो, निर्धारण करके, गैर कानूनी भंडारण को रोककर भावों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाना आसान होगा। दालों के बढ़ते हुये भावों को देखते हुये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत थोक एवं खुदरा डीलर्स के लिए दालों (साबुत एवं दली हुई) के अधिकतम भंडारण की मात्रा (स्टॉक सीमा) तथा आवर्तक (टर्न ओवर) के निर्धारण की अधिसूचना 15.07.2015 को जारी की गई। आवश्यक वस्तुओं के बाजार भाव में अप्रत्याशित वृद्धि होने पर मुख्य सचिव स्तर पर भी बैठक का आयोजन कर भावों की समीक्षा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही अन्य सर्वोत्तम युक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है- **पी.डी.एस. सामग्री वितरण कराये जाने के संबंध में प्रयास** 1. **डिजीटाईज्ड राशन कार्ड्स (डीआरसी) का ई-मित्र के माध्यम से वितरण:-** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कम्प्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत

राज्य में डिजिटाईज्ड राशन कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। 01 अप्रैल, 2015 से नवीन/डूप्लीकेट राशनकार्ड बनाने एवं राशन कार्डों में सदस्यों के नाम जोड़ने, घटाने एवं त्रुटि सुधार का कार्य ई- मित्र कियोस्क के माध्यम से सशुल्क किया जा रहा है।

2. **उचित मूल्य दुकानों पर पी.ओ.एस. मशीन की स्थापना:-** डिजिटाईज्ड राशन कार्डों के आधार पर PoS (Point of Sale) मशीन के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। PoS मशीन क्रय करने का कार्य चरणबद्ध रूप से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा किया जा रहा है। PoS मशीन से होने वाले वितरण के सम्पूर्ण रिकॉर्ड ऑनलाइन रहने से किसी भी समय किसी भी स्तर पर राशन सामग्री के स्टॉक के भौतिक सत्यापन संभव हो सकेगा। प्रथम चरण में 5500 PoS मशीनें स्थापित करने हेतु 8 जिलों (अजमेर, सीकर, झुझनु, धौलपुर, बारां, झालावाड़, टोंक एवं बूंदी) का चयन किया गया है। द्वितीय चरण में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर एवं अलवर जिलों में PoS मशीन से राशन सामग्री वितरण कराने की योजना है। शेष जिले तृतीय चरण में शामिल किए जायेंगे।
3. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन :-** राज्य में 2 अक्टूबर,2013 से **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन किया** जा रहा है। जिसके अंतर्गत लाभर्थियों की दो श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी में अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार हैं। अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार एवं अन्य पात्र परिवारों को 5 किलो प्रति यूनिट 2 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।
4. **केरोसीन का वितरण:-** भारत सरकार द्वारा राज्य के लक्षित लाभार्थियों को, खाना पकाने तथा प्रकाश की व्यवस्था हेतु प्रतिमाह लगभग 41 हजार किलो लीटर का आबंटन किया जाता है। जिन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी सिलेण्डर नहीं है, उन्हें 3 लीटर केरोसीन उपलब्ध करवाया जा रहा था, जिसे जनवरी 2015 से बढ़ाकर 4 लीटर कर दिया गया है।
5. **चीनी का वितरण:-** राज्य के बीपीएल परिवारों (अंत्योदय सहित) को प्रतिमाह चीनी उपलब्ध करवायी जाती है। विभाग द्वारा प्रतिमाह 42 हजार मीट्रिक टन चीनी का आबंटन किया जाता है। विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों (अंत्योदय सहित) को चीनी का वितरण जो पूर्व में 500 ग्राम यूनिट था, 2015 से 650 ग्राम यूनिट कर दिया गया है।
6. **सहरिया एवं कथोड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा:-** राज्य के अंत्योदय अन्न योजना में चयनित बारां जिले के सहरिया एवं उदयपुर जिले के कथोड़ी जनजाति के परिवाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 35 किलोग्राम गेहूं प्रतिमाह परिवार नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है।

		नॉन पी.डी.एस. सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रयास: **1. राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा राज्य ब्रांड वस्तुओं का वितरण:-** राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा राज्य ब्रांड नाम से विभिन्न नॉन पीडीएस वस्तुएं यथा नमक, चाय मसाले इत्यादि सभी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सुलभ कराए जा रहे हैं। अन्य नॉन पीडीएस वस्तुएं तथा कपड़े धोने का साबुन, अगरबती इत्यादि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। **2. अन्नपूर्णा भंडारण योजना-** माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से जनसाधारण को, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की मल्टी ब्रांड वस्तुएं उचित दर पर उपलब्ध करवाने हेतु अन्नपूर्णा भंडारण योजना आरंभ की गई है। इस हेतु उचित मूल्य की 5000 दुकानों का चयन किया जा चुका है। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत लगभग 45-50 तरह की कैटगरी के 150 प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति की जाएगी। उचित मूल्य दुकानदारों को इन उत्पादों के अधिकतम खुदरा मूल्य पर 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी। राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा ई- टेण्डर के माध्यम से निविदायें आमंत्रित कर वेंडर का चयन कर करार पत्र पर 20 अगस्त, 2015 को हस्ताक्षर किये जा चुके हैं तथा माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा दिनांक 08.09.2015 को वेंडर को आपूर्ति के कार्यादेश दिये जा चुके हैं। **3. उपभोक्ता पखवाड़ा:-** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत प्राप्त खाद्यान्न की पहुँच लाभार्थियों तक सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्य दुकान पर प्रत्येक माह की 10 तारीख से 24 तारीख तक "उपभोक्ता पखवाड़े" का आयोजन कर खाद्य सामग्री वितरण किया जाता है।
8.	तेलंगाना	तेलंगाना नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण तंत्र में कार्य कर रहे मुख्य विभाग/संगठन - राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, विपणन विभाग, पशुपालन विभाग के तहत डेयरी विकास परिसंघ,राज्य निगम ऑयल परिसंघ हैं। नागरिक आपूर्ति विभाग एक नोडल विभाग है। विभिन्न विभागों/निगमों की कार्ययोजना निम्नानुसार है:- **1. तेलंगाना राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लि.** **चावल और गेहूं:-** तेलंगाना राज्य का नागरिक आपूर्ति निगम , चावल, गेहूं और मक्का का उठान करता है और कार्डधारकों को उनकी पात्रता के अनुसार निर्धारित दरों पर वितरण करने के लिए उसे उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध कराता है। **अरहर दाल और चीनी:-** नागरिक आपूर्ति निगम, उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से कार्डधारकों को वितरण के लिए ई टेंडर के माध्यम से अरहर दाल और चीनी की अधिप्राप्ति भी जारी रखेगा। दालों की अधिप्राप्ति के लिए, समान अनुदान के साथ भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मूल्य स्थिरीकरण कोष का उपयोग किया जाएगा।

कृषि विभाग को, अंतर फसल के माध्यम से अरहर की खेती के तहत अधिक क्षेत्र को लाने और अधिक इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराते हुए राज्य में विशेष क्षेत्र बनाने का अनुरोध किया गया है। इससे उत्पादन में बड़े स्तर तक वृद्धि होने का अनुमान है।

भारतीय खाद्य निगम:- भारतीय खाद्य निगम द्वारा भी मूल्य समर्थन संचालनों के अंतर्गत तेलंगाना राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लाल दाल की अधिप्राप्ति आरंभ कर दी गई है। भारतीख खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त की गई लाल दाल का उठान किया जाएगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कार्ड धारकों को उसकी आपूर्ति की जाएगी।

2. विपणन विभाग

सब्जियां:- विपणन विभाग खुले बाजार में सब्जियों की उपलब्धता और मूल्यों की निगरानी करेगा और जब कभी मूल्यों में असामान्यता पाई जाएगी तथा मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए बाजार हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी तो वह बाजार हस्तक्षेप संचालनों के अंतर्गत अधिप्राप्ति करेंगे और खुले बाजार में मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए या तो आर्थिक लागत अथवा सब्सिडीकृत दरों पर या विभिन्न सब्जियों के संयोजन अथवा विशिष्ट सब्जियों को रायथू बाजारों और उनके विशेष कांऊटरों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

बागवानी विभाग, इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराते हुए पॉली हाऊस खेती एवं स्थायी पंडाल प्रणाली के माध्यम से बड़ी मात्रा में सब्जियों के अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।

प्याज: विपणन विभाग प्याज की मांग और आपूर्ति का आकलन करेगा और राज्य के भीतर और बहार प्याज के अधिप्राप्ति के लिए उपाय करेगा और खुले बाजार में मूल्यों को नियन्त्रण में रखने के लिए रायथू बाजार इत्यादि के माध्यम से प्याज की आपूर्ति करेगा। विपणन विभाग अधिप्राप्त किए गए प्याज के भंडारण के लिए पर्याप्त संख्या में वातानुकूलित गोदामों के निर्माण की योजना पर भी आरंभ करने पर विचार कर रहा है, ताकि यह प्याज के लिए किसान को लाभकारी मूल्य उपलब्ध करा सके और उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तु प्राप्त हो सके।

बागवानी विभाग, गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति और बीजो के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराते हुए, प्याज की अधिक खेती करने हेतु किसानों को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त उपाय कर रहा है। ताकि राज्य में अधिक मात्रा में प्याज का उत्पादन हो और अन्य राज्यों से आयातों पर निर्भरता का कम किया जा सके।

तेलंगाना राज्य सहकारिता परिसंघ (ऑयलफेड)

खाद्य तेल:- ऑयल फेड, उचित गुणवत्ता और मात्रा को सुनिश्चित करते हुए बजार मूल्यों से कम मूल्य पर बाजार में खाद्य तेलों को उपलब्ध करा रहा है। ऑयल फेड अपने उत्पादन को बढ़ाएगा और उसे उपभोक्ताओं को वहनीय मूल्यों पर बाजार में उपलब्ध

		कराएगा। ऑयल फेड, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बाजार दर से कम दर पर पामोलीन ऑयल उपलब्ध कराएगा। **तेलंगाना राज्य डेयरी दुग्ध विकास सहकारी परिसंघ:-** तेलंगाना राज्य डेयरी विकास सहकारी परिसंघ, किसानों से दूध की अधिप्राप्ति जारी रखेगा और अन्य ब्रांडो के बाजार मूल्यों से कम मूल्यों पर उपलब्ध कराएगा। **प्रशासनिक एवं प्रवर्तन उपाय:-** आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की दैनिक निगरानी एवं विश्लेषण लगातार किया जाएगा। बाजार हस्तक्षेप और आर्थिक मूल्य अथवा यदि आवश्यक हो सहायता प्राप्त दर पर आपूर्ति के माध्यम से अधिप्राप्ति द्वारा वस्तुएं, जिनमें असामान्य वृद्धि हुई है, के संबंध में मूल्यों को नियंत्रित करने के उपाय करना। मूल्य की स्थिति की समीक्षा के लिए मूल्य निगरानी समिति की आवधिक बैठके आयोजित करना और बाजार हस्तक्षेपों की खरीददारी को वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए किए जाने वाले उपाय पर सरकार को परामर्श देना। वस्तुओं की जमाखोरी और चोर बाजारी की ओर विपथन जैसी गतिविधियों में लगे हुए अपराधियों को सामने लाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और दंड विधि के अंतर्गत विभिन्न नियंत्रण आदेशों को जारी करने के उपबंधों को लागू किया जाएगा। समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा पहुँचाने वालों के खिलाफ चोर बाजारी निवारण अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों को नजरबंद रखने की कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

वर्ष 2014-16 के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई

(स्टॉक नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन से संबंधित अपराधों के संबंध में)

31.3.2016 तक नवीनतम

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए छापों की संख्या			व्यक्तियों की संख्या								
					गिरफ्तार			अभियोजित			दोषसिद्ध		
		2014	201	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	आंध्र प्रदेश	6884	130	सं.न.	64	0	सं.न.	0	23	सं.न.	0	23	सं.न.
2	अरुणाचल प्रदेश	सं.न.	3	शून्य	सं.न.	1	शून्य	सं.न.	0	शून्य	सं.न.	-	शून्य
3	असम	148	सं.न.	सं.न.	शून्य	सं.न.	सं.न.	शून्य	सं.न.	सं.न.	शून्य	सं.न.	सं.न.
4	बिहार	25	299	सं.न.	9	शून्य	सं.न.	6	शून्य	सं.न.	-	शून्य	सं.न.
5	छत्तीसगढ़	101	673	सं.न.	0	0	सं.न.	0	0	सं.न.	0	0	सं.न.
6	दिल्ली	सं.न.	24	1	सं.न.	2	-	सं.न.	शून्य	-	सं.न.	शून्य	-
7	गोवा	93	96	8	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	गुजरात	1108	909	1641	41	25	0	25	16	1	-	-	-
9	हरियाणा	99	322	17	46	123	-	13	138	-	1	-	-
10	हिमाचल प्रदेश	2722	393	3912	0	-	-	-	-	-	-	-	-
11	जम्मू-कश्मीर	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.
12	झारखंड	सं.न.	140	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.
13	कर्नाटक	525	452	सं.न.	225	199	सं.न.	0	0	सं.न.	1	6	सं.न.
14	केरल	2485	846	10	17	26	4	3	12	1	0	1	0
15	मध्य प्रदेश	3255	386	सं.न.	35	-		89	111	सं.न.	3	6	सं.न.
16	महाराष्ट्र	973	630	75	7173	777	93	250	277	45	0	2	0
17	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18	मेघालय	373	41	सं.न.	शून्य	शून्य	सं.न.	शून्य	शून्य	सं.न.	शून्य	शून्य	सं.न.
19	मिजोरम	145	141	3	0	-	-	0	-	-	शून्य	-	-
20	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21	उड़ीसा	1010	229	सं.न.	-	शून्य	सं.न.	18	शून्य	सं.न.	-	शून्य	सं.न.
22	पंजाब	1763	104	सं.न.	3	-	सं.न.	शून्य	-	सं.न.	शून्य	-	सं.न.
23	राजस्थान	सं.न.	840	35	सं.न.	सं.न.	शून्य	सं.न.	सं.न.	शून्य	सं.न.	सं.न.	शून्य
24	सिक्किम	शून्य	71	30	शून्य	-	-	शून्य	-	-	शून्य	-	-
25	तमिलनाडु	9176	29	सं.न.	3949	41	सं.न.	1980	41	सं.न.	2068	0	सं.न.
26	त्रिपुरा	447	460	सं.न.	10	349	सं.न.	10	2	सं.न.	सं.न.	0	सं.न.
27	उत्तराखंड	सं.न.	199	591	1	सं.न.	2	1	1	-	1	सं.न.	-
28	उत्तर प्रदेश	2587	5	1088	202	9	27	738	9	21	0	1	3
29	पश्चिम बंगाल	729	204	113	173	107	23	28	121	11	-	17	शून्य
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	शून्य	780	29	शून्य	174	-	शून्य	52	-	शून्य	-	-
31	चंडीगढ़	सं.न.	86	शून्य	सं.न.	शून्य	शून्य	सं.न.	शून्य	शून्य	सं.न.	शून्य	शून्य
32	दादरा और नगर	3	2	शून्य	0	1	शून्य	0	17	शून्य	शून्य	3	शून्य
33	दमन और दीव	सं.न.	शून्य	सं.न.	सं.न.	शून्य	सं.न.	सं.न.	शून्य	सं.न.	सं.न.	शून्य	सं.न.
34	लक्षद्वीप	एन.बी.	सं.न.	सं.न.	एन.बी	सं.न.	सं.न.	एन.बी.	सं.न.	सं.न.	एन.बी.	सं.न.	सं.न.
35	पुडुचेरी	848	3	231	14	शून्य	-	24	शून्य	-	0	शून्य	-
36	तेलंगाना	7136	741	479	55	1	67	0	2	5	0	-	5
	कुल	1318	134	1806	1201	1835	216	3185	822	84	2074	59	8

स्रोत : राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्ट

सं.न. : *संसूचित नहीं

एन.बी. : कोई

उपभोक्ता मामले विभाग

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन आंकड़े

(दालें)

16.5.2016

क्रम सं.	राज्य	मारे गए छापे, जब्त की गई मात्रा और निपटाई गई मात्रा (मीट्रिक टन)			
		छापे	जब्त की गई मात्रा	निपटाई गई मात्रा	बकाया
1.	छत्तीसगढ़	112	5447.93	5320.56	127.37
2.	हरियाणा	1669	14.60	14.60	शून्य
3.	कर्नाटक	1351	25545.83	23710.94	1834.94
4.	मध्य प्रदेश	969	3273.60	2201.90	1071.60
5.	महाराष्ट्र	5250	87167.37	87167.37	शून्य
6.	तेलंगाना	1924	6712.51	2923.25	3789.26
7.	राजस्थान	875	2610.21	2298.81	311.00
8.	झारखंड	140	282.02	0	282.02
9.	ओडिशा	180	1410.26	1410.26	-
10.	आंध्र प्रदेश	1300	1361.52	352.50	1009.02
11.	गुजरात	214	54.39	0	54.39
12.	हिमाचल प्रदेश	500	3.42	0	3.42
	कुल	**14484**	**133883.66**	**125400.19**	**8483.02**

आवश्यक वस्तुओं के संबंध में राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा संसूचित की गई बेहतर परिपाटियां

(04.05.2016 को अद्यतन)

क्र0सं0	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की टिप्पणियां
1.	**अंडमान और निकोबार** 1) अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सब्जियों और दालों के लिए 'स्टाक आऊट' की स्थिति उत्पन्न हाने से रोकने के लिए जिला स्तर पर पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था की है। संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार, दलहन सहित आवश्यक वस्तुओं का आयात और भंडारण निजी व्यापारियों द्वारा किया जाता है। आर्द्र जलवायु स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्द्रता के कारण होने वाली क्षति से बचने के लिए द्वीपसमूह की आवश्यकता को पूरा करने हेतु अपेक्षित मात्रा का ही आयात किया जाता है। सामान्यता व्यापारियों द्वारा एक माह का स्टाक रखा जाता है। 2) वर्तमान में, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले महानिदेशालय के प्रवर्तन स्कंध द्वारा व्यापारियों के प्रांगण का औचक निरीक्षण, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई स्टाक सीमा का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। प्रवर्तन दल द्वारा आयातकों पर भी नजर रखी जा रही है और बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता का पता लगाने के लिए निरीक्षण किए जाते हैं। 3) नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले निदेशालय द्वारा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की निगरानी की जाती है। द्वीपसमूह के निवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है। वितरण का कार्य संबंधित नागरिक आपूर्ति गोदाम प्रधान वितरण केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। प्रशासन, द्वीपसमूह के सभी भागों में खाद्यान्नों का कम से कम 3 माह का बफर स्टॉक रखने के सभी प्रयास कर रहा है। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र में उत्पादन नगण्य है। उत्तर और मध्य अंडमान में बहुत कम भूमि पर धान की खेती की जाती है जो कि स्वयं किसानों के लिए भी पर्याप्त नहीं है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात निजी व्यापारियों द्वारा मुख्य भूमि से पर्याप्त मात्रा में किया जा रहा है। विभाग ने, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए, ए0 एन0 आई0 आई0 डी0 सी0 ओ0 और ए0 एन0 सी0 ओ0 एफ0 ई0 डी0 जैसे निगमों तथा उपभोक्ता सहकारिता समितियों से केन्द्रीय भंडारण निगम और अन्य एजेंसियों के साथ जुड़कर कार्य करने का अनुरोध किया है। 4) पहचानी गई 22 आवश्यक वस्तुओं के मूल्य रुझान की उपलब्धता की निगरानी के लिए नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले महानिदेशालय द्वारा राज्य और तहसील स्तर पर मूल्य निगरानी समिति का गठन किया गया है। इन 22 आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्य को दैनिक आधार पर उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के मूल्य निगरानी कक्ष को भेजा जा रहा है। 5) भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, राज्य और जिला स्तर पर केन्द्र बिन्दु निर्धारित किए गए हैंऔर सचिव (सी एस एवं सी ए) को अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र के लिए केन्द्र बिन्दु पदनामित किया गया है और जिला स्तर पर, तीन जिलों के उपायुक्तों को केन्द्र बिन्दु के रूप में पदनामित किया गया है। 6) इस संघ राज्य क्षेत्र की सहकारी समितियों और संघ को आवश्यक वस्तुओं के आयात और बिक्री के लिए उनके संसाधनों को खासतौर पर मंदी अवधि अर्थात जुलाई से दिसम्बर, 2014 के दौरान गतिशील बनाने का अनुरोध किया गया है। 7) विभाग द्वारा संघ राज्य क्षेत्र की संपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आद्योपांत कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है जिसके लिए प्रणाली को जोड़ने वाले की नियुक्ति की गई है। इससे न केवल संघ राज्य क्षेत्र की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यकरण सुचारू होगा अपितु खाद्यान्नों में संदिग्ध रिसाव भी रुकेगा और पारदर्शिता बनी रहेगी। 8) संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवर किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल/गेहूं/चीनी/मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां तक अन्य वस्तुओं का संबंध है, उनका आयात, निजी व्यापारियों द्वारा मुख्य भूमि से पर्याप्त मात्रा में किया जाता है।

	इनका भंडारण वे स्वयं के गोदामों में करते हैं। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे कि प्याज/आलू का आयात निजी व्यापारियों द्वारा मुख्य भूमि से किया जाता है और अपने गोदामों के जरिए वितरित किया जाता है। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निगमों/सहकारी और शिपिंग विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके संघ राज्य क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। 9) चूंकि, संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवर किया गया है। विभाग द्वारा, कम से कम तीन माह के लिए भारी मात्रा में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भंडारण गोदामों का अनुरक्षण किया जा रहा है। जहां तक शीघ्र नष्ट होने वाली अन्य वस्तुओं का संबंध है उनका आयात निजी व्यापारियों द्वारा मुख्य भूमि से पर्याप्त मात्रा में किया जा रहा है। 10) विभाग ने, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए, ए0 एन0 आई0 आई0 डी0 सी0 ओ0 और ए0 एन0 सी0 ओ0 एफ0 ई0 डी0 जैसे निगमों तथा उपभोक्ता सहकारिता समितियों से केन्द्रीय भंडारण निगम और अन्य एजेंसियों के साथ जुड़कर कार्य करने का अनुरोध किया है। 11) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवर किया गया है, अत:, चावल/गेहूं/जब्त किए गए आटा, चीनी और मिट्टी के तेल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी किया जाता है। जहां तक त्यौहारों के मौसम के दौरान उत्पादों के बड़ी मात्रा में भंडारण का संबंध है व्यापारियों द्वारा वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा का आयात किया जा रहा है। वर्तमान में, इस संघ राज्य क्षेत्र के नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चावल, गेहूं जब्त किए गए गेहूं, आटा, चीनी और मिट्टी के तेल की संपूर्ण मात्रा को पूरे संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी किया जा रहा है। विभाग द्वारा इस संघ शासित क्षेत्र के निगमों और सहकारी समितियों को अपने बिक्री केन्द्रों के जरिए महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुओं को बेचने के लिए गतिशील बनाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक उपर्युक्त उल्लिखित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुओं की बिक्री का सम्बन्ध है- दलहन, खाद्य तेल इत्यादि जैसी कुछ और आवश्यक वस्तुओं को सहित गरीबी रेखा से नीचे के/अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने के संबंध में एक प्रस्ताव प्रशासन को भेजा जाएगा।
2.	**आंध्र प्रदेश -** संसूचित नहीं।
3.	**अरुणाचल प्रदेश -** संसूचित नहीं।
4.	**असम -** संसूचित नहीं।
5.	**बिहार -** संसूचित नहीं।
6.	**चंडीगढ़** 1) आम जनता जनता की सुविधा हेतु शिकायतों के लिए एक टॉल फ्री नंबर (0712) 1800-180-2068 स्थापित किया गया है। 2) निरीक्षकों/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं और चोरबाजारी के दोषी पाए जाने पर किसी एफ पी एस/एस के ओ/एल पी जी डीलर के विरुद्ध मामले को पुलिस के पास दर्ज कराया जाता है। नकली राशन कार्डों का पता लगाने के लिए (संघ राज्य क्षेत्र) चंडीगढ़ में स्मार्ट कार्ड आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पहले ही शुरु कर दिया गया है और उचित दर की दुकानों पर कदाचार की निगरानी के लिए पी ओ एस मशीनें लगाई गई हैं। 3) विभाग ने भी उचित दर की दुकानों/एस के ओ डीलरों/एल पी जी डीलरों पर चोर बाजारी/कदाचार रोकने के लिए और पंजीकृत लाभार्थियों की शिकायत का यथास्थाने समाधान करने के लिए निरीक्षकों की क्षेत्रवार तैनाती की है। 4) विभाग द्वारा, समय समय पर लाइसेंसधारक के भंडारण गोदामों का निरीक्षण भी किया जाता है।

	5) विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों को दैनिक आधार पर मंडी से प्राप्त किया जाता है और आम जनता की सुविधा के लिए विभाग की वेबसाइट http://chdfood.gov.in. पर अपलोड किया जाता है। 6) प्रशासन ने प्याज, आलू इत्यादि जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों, जमाखोरी और चोरबाजारी पर रोक लगाने के लिए निरीक्षण/जांच करने हेतु सभी उप जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। 7) खाद्य और आपूर्ति विभाग ने रेहड़ी लगाने वालों के जरिए बेची जाने वाली सब्जियों और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नजर रखने के लिए नगर निगम के पर्यवेक्षकों के साथ सभी निरीक्षकों को तैनात किया है।
7.	**छत्तीसगढ़ -** संसूचित नहीं।
8.	**दादर और नगर हवेली -** संसूचित नहीं।
9.	**दमन और दीव -** संसूचित नहीं।
10.	**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली** 1) प्याज और आलू सहित 22 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी दैनिक आधार पर की जा रही है। 2) दिल्ली सरकार ने, अपनी उपलब्धता हेतु एस एफ ए सी के जरिए प्याज और आलू की खरीद शुरु की है। प्याज और आलू की खरीद के लिए एस एफ ए सी को चक्रीय कोष के रूप में 6.14 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। एस एफ ए सी से नासिक (महाराष्ट्र) और इंदौर (मध्य प्रदेश) से प्याज की अधिप्राप्ति करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा गया है। 3) सभी एसोसिएशनों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने सदस्यों को - अपने संबंधित गोदामों के पतों सहित स्टाक की स्थिति, दलहन की खरीद/बिक्री के संबंध में एक पाक्षिक रिपोर्ट भिजवाने का निदेश दें। इसके अतिरिक्त, दलहन की उचित दरों पर आपूर्ति के संबंध में प्रिन्ट मीडिया में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। 4) आंचलिक सहायक आयुक्तों, खाद्य और आपूर्ति अधिकारी और क्षेत्रीय खाद्य और आपूर्ति निरीक्षक सहित सभी फील्ड अधिकारी, स्थानीय बाजारों में जमाखोरी गतिविधियों की निगरानी करते हैं। इस संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट फील्ड अधिकारियों द्वारा दैनिक आधार पर प्रस्तुत की जानी होती है। इसके अतिरिक्त, फील्ड अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेची जा रहीं आवश्यक वस्तुएं निर्धारित दरों पर ही बेची जा रही हैं। 5) दिल्ली में प्याज और आलू थोक और खुदरा मूल्यों और उनकी आवक के संबंध में प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं ताकि लोग प्रचलित मूल्यों से पूर्णत: अवगत रहें और खुदरा व्यापारियों द्वारा ठगे न जाएं।
11.	**गोवा -** 1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए, मुख्यालयों और तालुका स्तर के निरीक्षण स्टाफ द्वारा उचित मूल्य की दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाता है। 2) गोवा सरकार के कृषि विभाग ने स्थानीय उपभोक्ताओं के लाभ के लिए मूल्य वृद्धि में स्थिरता लाने और उसे रोकने के लिए एक स्कीम नामत: "मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के लिए सरकारी हस्तक्षेप स्कीम, 2014" का प्रतिपादन किया है। 3) कदाचार का पता लगने पर उसके बारे में शीघ्र सूचना देना ताकि प्राधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रवर्तन स्कंध द्वारा व्यापारियों के व्यापार परिसरों का औचक निरीक्षण किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्टॉक सीमाओं का उल्लंघन करके कोई जमाखोरी नहीं की जा रही। 4) यदि निरीक्षण दल/छापा मार दल द्वारा किसी प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो दोषियों के विरुद्ध

पुलिस के पास मामला दर्ज कराया जाता है।

5) यहां 159 सहकारी समितियां हैं, जिनके खुदरा बिक्री केन्द्र पूरे राज्य में फैले हुए हैं। जो समुचित मूल्य स्थिरीकरण सुनिश्चित करते हैं और जमाखोरी/कमी, मूल्य वृद्धि आदि के निवारक के रूप में कार्य करते हैं। सरकार ने, मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के लिए सरकारी हस्तक्षेप स्कीम, 2014 के संचालन के लिए राज्य में 840 बिक्री केन्द्र स्थापित किए हैं।

6) इसके अतिरिक्त, 18 मोबाइल वैन हैं जो बिक्री के लिए 200 से अधिक दूरस्थ गांवों के विभिन्न स्थानों पर में घूमती हैं और इनके द्वारा कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की अनुमानित संख्या लगभग 90000 प्रति दिन हैं।

12 **गुजरात**

1) राज्य सरकार ने सभी जिला आयुक्तों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को, थोक व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों द्वारा रखे गए प्याज और आलू के भंडार का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।

2) खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री द्वारा सभी जिला आयुक्तों के साथ दिनांक 08/07/2014 को वीडियो कान्फ्रेंस करके आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की पुनरीक्षा की गई है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ने राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों के सभी अध्यक्षों के साथ भी बैठक की है।

3) सचिव, खाद्य और नागरिक आपूर्ति द्वारा आयुक्तों की मासिक बैठकों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की समीक्षा की गई।

4) खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक और अपर सचिव को राज्य के केन्द्र बिन्दु के रूप में पदनामित किया गया है।

13. **हरियाणा**

1) खाद्यान्नों को उचित दर की दुकानों के मालिकों को उनके द्वार तक पहुंचाया जाता है।

2) जनता को शीघ्र सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, राशन कार्ड से संबंधित सात सेवाओं - जैसे नया राशन कार्ड जारी करना, राशन कार्ड की अनुलिपि, अभ्यर्पित प्रमाणपत्र, परिवार के सदस्य का नाम शामिल करना/हटाना, पते में परिवर्तन और उचित दर की दुकान में परिवर्तन आदि - के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है (जैसा कि नीचे दिया गया है)। आवेदन प्रपत्र को पुन: तैयार करके इन सभी सेवाओं की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है:

क्र0सं0	मद कार्य	समय सीमा	प्राधिकारी जिसे शिकायत की जाए
1.	डी-1 फार्म अर्थात् आवेदन फार्म प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड जारी करना	15 दिन	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक
2.	अभ्यर्पित प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर नया राशन कार्ड जारी करना	दिन	-तदैव -
3.	अनुलिपि राशन कार्ड जारी करना	7 दिन	-तदैव-
4.	परिवार के सदस्य का नाम शामिल करना/हटाना	7 दिन	-तदैव-
5.	उसी क्षेत्राधिकार में पते में परितर्वन	7 दिन	-तदैव-
6.	उचित दर की दुकान में परिवर्तन सहित पते में परिवर्तन	7 दिन	-तदैव-
7.	अभ्यर्पित प्रमाणपत्र जारी करना	3 दिन	-तदैव-

3) उपरोक्त सभी सेवाओं के लिए नए सरलीकृत फार्म फील्ड कार्यालयों में उपलब्ध कराए गए हैं। विभाग के सभी फील्ड कार्यालयों में सेवाओं के विवरण और समय सीमा के सम्बन्ध में जानकारी प्रदर्शित की गई है।

4) राज्य सरकार ने, फल ,सब्जियों और शीघ्र नष्ट होने वाली अन्य वस्तुओं को, इन आवश्यक वस्तुओं के मुक्त व्यापार के लिए, कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम से पहले से ही हटा दिया है।

14.	**<u>हिमाचल प्रदेश</u>** 1) सरकार अपने मूल्य निगरानी कक्ष के जरिए दलहन और सब्जियों के मूल्यों की निगरानी कर रही है और उन्हें भारत सरकार की वेबसाइट और राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करती है। 2) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के मामले में विशेष छापे मारे जाते हैं। 3) कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम में संशोधन किया गया है। अत:, कृषक अपनी उपज को कृषि उपज मंडी समिति यार्डों से बाहर बेचने के लिए मुक्त हैं। 4) विपणन बोर्ड द्वारा, सब्जियों के मूल्यों को सब्जी मंडियों में और डी सी कार्यालयों के पास प्रमुख स्थानों पर द्वारा लगाया जाता है ताकि व्यापारियों द्वारा अनुचित लाभ न उठाया जा सके। 5) सरकार द्वारा, विभिन्न सांविधिक उपबंधों को लागू करते हुए, विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत, खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा रहा है जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं: हिमाचल प्रदेश होर्डिंग एंड प्राफटिरिंग प्रिवेन्शन आर्डर, 1977 हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल (लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल) आर्डर, 1981 हिमाचल प्रदेश प्राइस मार्किंग एंड डिस्पले आर्डर, 1977 6) सरकार ने फील्ड स्टॉफ के लिए निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए हैं और निरीक्षण नियमित रूप से किए जा रहे हैं। 7) जिलों के संबंध में, जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा हिमाचल प्रदेश होर्डिंग एंड प्राफटिरिंग प्रिवेन्शन आर्डर, 1977 के खंड 3(1) (ओ) के तहत लाभ सीमा के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है और व्यापारियों/ अन्यों द्वारा मुनाफाखोरी की निगरानी के लिए इन उपबंधों को पृष्ठांकित किया जा रहा है। 8) शिमला बाजार के 18 वस्तुओं के खुदरा मूल्यों की निगरानी को राज्य सरकार के वेब पोर्टल पर दैनिक आधार पर फीड किया जा रहा है और शिमला, मंडी तथा धर्मशाला केन्द्रों द्वारा संसूचित 22 वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों को दैनिक आधार पर भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। शिमला और मंडी कस्बों में 18 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्य प्रत्येक बुधवार को संग्रहित किए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में 14 सब्जियों के खुदरा मूल्यों सहित 24 वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्य प्रत्येक शुक्रवार को संग्रहित किए जाते हैं। 9) एक काल सेंटर स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से मूल्य निगरानी कक्ष द्वारा राज्य के विभिन्न बाजारों से प्रतिदिन 36 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों को संग्रहित किया जाता है। 10) आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य स्तरों की जिला स्तर पर निगरानी करने के लिए, सभी जिला उपायुक्तों को केन्द्र बिन्दु के रूप में पदनामित किया गया है।
15.	**<u>जम्मू और कश्मीर</u>** - संसूचित नहीं।
16.	**<u>झारखंड -</u>** संसूचित नहीं।
17.	**<u>कर्नाटक -</u>** संसूचित नहीं।
18.	**<u>केरल -</u>** संसूचित नहीं।
19.	**<u>लक्षद्वीप</u>** उपभोक्ताओं का संरक्षण, सहकारी समितियों द्वारा तैयार किए गए मूल्य विनियमों द्वारा किया जाता है जो इस प्रशासन के सामान्य नियंत्रण में आते हैं। इसके साथ-साथ, प्रशासन द्वारा, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण को सुनिश्चित करने के लिए, थोड़े-से मौजूदा निजी व्यापारियों के व्यापार के अतिरिक्त व्यापार की भी नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

20.	**<u>मध्य प्रदेश</u>** 1) राज्यों में निजी उद्यमियों द्वारा आलू भंडारण हेतु शीतग्रह एवं प्याज भंडारण हेतु फार्म फील्ड सभी जिला मुख्यालयों में बनाए जाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि स्थानीय स्तर पर इन उत्पादों की उपलब्धता बनी रहे। 2) मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा शहरी आबादी के निकट उत्पादित होने वाली सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने की नीति अपनायी जा रही है। संरक्षित खेती को बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में ए पी एम सी एक्ट में संशोधन किया जा रहा है ताकि उद्यानिकी उत्पादों के विक्रय एवं परिवहन की सीमाएं बाधित न हो सकें। 3) राज्य में एफ पी ओ के गठन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लगभग 100 से अधिक कंपनियां गठित की जा चुकी हैं जो किसानों के साथ उपभोक्ताओं की मदद भी कर रही हैं ताकि उपभोक्ताओं की किसानों तक सीधे पहुंच हो सके। 4) खाद्य वस्तुओं की कीमतों में असामान्य वृद्धि न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के 7 महानगरों से 21 आवश्यक वस्तुओं के भाव प्रतिदिन बाजार से प्राप्त कर आनलाइन भारत सरकार को प्रेषित किए जा रहे हैं। राज्य में पी एम सी के माध्यम से इनकी कीमतों की निगरानी की जाती है तथा असमान्य वृद्धि की दशा में उपलब्धता को सामान्य बनाने हेतु आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं। 5) राज्य में आलू एवं प्याज के उत्पादन के आधार पर यदि ऐसी स्थिति ध्यान में आती हैं कि बिचौलियों द्वारा जमाखोरी की जा रही है, तो उसे रोकने के लिए प्रचलित प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण एवं निगरानी सुनिश्चित की जाती है। 6) ए पी एम सी एक्ट, 2003 को स्वीकार किया है। इसके अनुरूप ही मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निम्नांकित प्रावधान किये गये हैं - जैसे कि सिंगल पाइंट मार्केट सेस का प्रावधान; मंडी उपकर 0.50 पैसे से रुपये 2.00 की सीमा के अंदर होना; विशेष बाजार तथा स्पेशल कमोडिटीज मार्केट का प्रावधान; निजी शासकीय साझेदारी के द्वारा बाजार को बढ़ावा दिया जाना इत्यादि। इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को बढ़ावा देने हेतु एक नियंत्रण संस्था भी बनाई जा रही है, नियमों में कांट्रैक्ट फार्मिंग का भी प्रावधान है। एक ही पंजीयन/अनुज्ञप्ति को एक से ज्यादा बाजारों में व्यापार करने की अनुमति है। मार्केट कमेटी के अलावा भी किसान/उपभोक्ता बाजार स्थापित किया जा रहा है। अधिनियम में, किसानों से सीधे उपज खरीदने के लिए निजी यार्ड बनाने की व्यवस्था भी है। मार्केट शुल्क मुक्त करने का अधिकार भी इस अधिनियम में राज्य सरकार के पास रखा गया है। माडल ए पी एम सी एक्ट में सब्जी तथा फल को मार्केट शुल्क से मुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। 7) राज्य शासन द्वारा, प्रदेश में आधुनिक पद्धतियों जैसे सायलों बैग, स्टील सायलों में भंडारण को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
21.	**<u>महाराष्ट्र</u>** 1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित कार्यों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण, जिसमें जिसमें केन्द्र द्वारा आपूर्ति की जा रही सब्सिडीकृत खाद्य वस्तुओं को लाभार्थियों में वितरण शामिल है, की देख-रेख मुख्य रूप से खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा की जाती है। दूसरे शब्दों में, यह विभाग, खुले बाजार में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के मुद्दे से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, जिसका उल्लेख आपके पत्र में किया गया है। 2) तथापि, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का संदर्भित मुद्दा राज्य सरकार के कृषि एवं पशुपालन और डेयरी विकास विभाग और सहकारिता, विपणन तथा वस्त्र विभागों से संबंधित है। 3) इसके अतिरिक्त, पैरा संख्या 3 में उल्लिखित मद संख्या 1, 4, 5, 6 और 10 का संबंध इन्हीं विभागों से है। 4) श्री सतीश सुपे, उप सचिव (मोबाइल संख्या 9322236191) को एतदद्वारा इस विभाग के केन्द्र बिंदु के रूप में पदनामित किया जाता है।
22.	**<u>मणिपुर</u> –** संसूचित नहीं।

23.	**मेघालय –** संसूचित नहीं।
24.	**मिजोरम** 1) वर्तमान में, खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, मिजोरम सरकार के पास खाद्य पदार्थों की भंडारण क्षमता 47160 मीट्रिक टन है और विभाग, केन्द्रीय योजना कोष, एन एल सी पी आर और नाबार्ड के तहत 20850 मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता के साथ नए गोदामों के निर्माण करके अपनी भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 68010 मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का विचार रखता है। 2) विभाग, उड़न दस्ते और दैनिक राजमार्ग शुल्क द्वारा, एल0 पी0 जी0, पैट्रोलियम उत्पादों जैसी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और चोरबाजारी को रोकने के लिए अपने स्तर पर बेहतर प्रयास कर रहा है। एल0 पी0 जी0, पी0 ओ0 एल0 की आवक और जनता के लिए महत्वपूर्ण किसी अन्य सूचना को विभाग की वेबसाईट ***rfcsa.mizoram.gov.in*** पर अपलोड किया गया है।
25.	**नागालैंड –** संसूचित नहीं।
26.	**ओडिशा -** संसूचित नहीं।
27.	**पुडुचेरी –** संसूचित नहीं।
28.	**पंजाब** 1) सरकार ने राज्य में मूल्य स्थिति की निगरानी करने के लिए मूल्य निगरानी समिति गठित की है। **2)** राज्य के तीन महत्वपूर्ण केन्द्रों अर्थात अमृतसर, लुधियाना और बठिंडा में 22 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी दैनिक आधार पर की जा रही है और उन्हें भारत सरकार को भी सूचित किया जाता है। **3)** राज्य में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को दिसम्बर, 2013 से कार्यान्वित किया जा रहा है और इसमें लगभग 31 लाख परिवारों को कवर किया जा रहा है। पहचान किए गए लाभार्थी परिवारों को भी राज्य द्वारा प्रायोजित आटा दाल स्कीम के तहत कवर किया गया है और उन्हें गेहूं सहित सब्सिडीकृत दाले उपलब्ध कराईजा रही हैं। **4)** राज्य सरकार द्वारा प्याज की खरीद और बिक्री, पंजाब प्याज राज्य कृषि निर्यात निगम लिमिटेड के माध्यम से न लाभ न हानि आधार पर की जाती है और आलू की निगरानी जुलाई, 2014 से नियमित रूप से की जा रही है और तब से इन वस्तुओं के मूल्यों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है।
29.	**राजस्थान** 1) खाद्य वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि को नियन्त्रित करने और योजना बनाने के लिए, आयुक्त, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर को राज्य के केन्द्र बिंदु के रूप में पदनामित किया गया है। 2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सार्वजनिक – निजी सहभागिता के माध्यम से जनसाधारण को, उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्रांड वस्तुएं उचित दर पर उपलब्ध करवाने हेतु अन्नपूर्णा भंडारण योजना आरम्भ की गई हैं। इस हेतु 5000 उचित मूल्य दुकानों का चयन किया जा चुका है। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत लगभग 45-50 तरह की कैटगरी के 150 प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति की जाएगी। उचित मूल्य दुकानदारों को इन उत्पादों के अधिकतम खुदरा मूल्य पर 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक छूट प्राप्त होगी। राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा ई – टेण्डर के माध्यम से निविदायें आमंत्रित कर वेंडर का चयन कर करार पत्र पर 20 अगस्त, 2015 को हस्ताक्षर किये जा चुके हैं तथा माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा दिनांक 08.09.2015 को वैंडर को आपूर्ति के कार्यादेश दिये जा चुके हैं। राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा राज्यब्रांड नाम से विभिन्न नॉन पी डी एस वस्तुएं यथा नमक, चाय मसाले इत्यादि सभी उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से सुलभ कराया जा रहा है।

	अन्य नॉन पी डी एस वस्तुएं तथा कपड़े धोने का साबुन, अगरबती इत्यादि उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। 3) आवश्यक वस्तुओं के बाजर भावों पर नियंत्रण हेतु राज्य के तीन जिलों जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में प्राईस मॉनिटरिंग सेल स्थापित हैं। प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं के बाजार भाव मंडियों से प्राप्त कर भारत सरकार, मुख्य सचिव कार्यालय, मुख्य मंत्री कार्यालय एवं कृषि विभाग को प्रेषित किये जाते हैं। 4) सचिव स्तरीय समूह का गठन विभागीय आदेश दिनांक 08.07.2014 द्वारा किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि इसके अध्यक्ष हैं।
30.	**सिक्किम** 1) सिक्किम एक जैविक कृषि राज्य है, वर्तमान में, हमारे पास कृषि उपज में विपणन योग्य अतिरेक नहीं हैं जिसका प्रमुख कारण जैविक कृषि के उत्पादन का बहुत कम होना है।
31.	**तमिलनाडु** - संसूचित नहीं।
32.	**तेलंगाना** 1) जमाखोरी किए गए स्टाक को बाहर निकालना सुनिश्चित करने के लिए नियमित और औचक निरीक्षण करने के लिए सभी ज़िलों के प्रवर्तन तन्त्र को सुसज्जित किया गया है। 2) जिला आयुक्तों से अनुरोध किया गया है कि जहां आवश्यक हो, चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के उपबंधों को लागू किया जाए। वर्तमान में, दलहन, खाद्य तिलहन और खाद्य तिलहन के संबंध में स्टाक सीमाएं लागू हैं, इन्हें कड़ाई से लागू किया जा रहा है। 3) हैदराबाद, करीमनगर और वारंगल से 22 वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों को दैनिक आधार पर संग्रहित किया जा रहा है। 4) तेलंगाना राज्य द्वारा - मूल्य स्थिति की समीक्षा करने और जहां आवश्यक हो बाज़ार हस्तक्षेप कार्रवाईयों के माध्यम से मूल्यों को नियंत्रित करने संबंधी कार्रवाई करने के लिए - मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मूल्य निगरानी समिति के गठन का विचार किया गया है। 5) खुले बाजार में व्यापार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ बार-बार बैठकें आयोजित की जाती हैं और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियन्त्रण में रखने की कार्रवाई की जाती है। 6) जब कभी भी प्याज की कीमतों में असामान्य रूप से बढ़ोतरी होती है तो विपणन विभाग द्वारा थोक विक्रेताओं से विधिवत खरीद करके रित्थु बाजारों में प्याज की बिक्री की जाती हैं। 7) विगत में, विपणन विभाग ने महाराष्ट्र (लासलगांव, नासिक आदि) से और कुरनूल, आंध्र प्रदेश से भी अधिप्राप्ति की है और बाजार से कम कीमतों पर लोगों को उपलब्ध कराया है। 8) टमाटरों की अधिप्राप्ति की गई थी और आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली से भेजा गया था तथा रित्थू बजारों में कम कीमत पर बेचा गया। 9) सभी आयुक्तों से अनुरोध किया गया है कि वे मिलरों और व्यापारियों के साथ बैठकें आयोजित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आवश्यक वस्तुओं की बिक्री बाजार दरों से कम दरों पर कर रहे हैं। 10) यह देखने के लिए उनके व्यापार परिसरों की जांच की जा रही है कि वहां पर कोई जमाखोरी, चोर बाजारी न हो रही और न ही "स्टाक आऊट" का बोर्ड लगा है। किसी उल्लंघन के मामले में उनके विरूद्ध स्टॉक को जब्त करने और लाईसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई करते हुए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का विधिवत अनुपालन करके मामला दर्ज किया जा रहा है। 11) मोटे अनाज सहित सभी खाद्यान्नों का उपयुक्त भंडारण किया गया है ताकि मात्रा अथवा गुणवत्ता में कोई कमी न हो। सरकारी एजेंसियों और निजी पार्टियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खरीदे गए

	अनाजों के भंडारण के लिए राज्य की विद्यमान भंडारण क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि खरीदे गए खाद्यानों (जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत धान) के भंडारण के लिए स्व-सहायता समूहों द्वारा गोदामों का निर्माण किया जाए। 12) मूल्य निगरानी कक्ष के लिए हैदराबाद में एक प्रकोष्ठ और वारंगल तथा करीम नगर के जिला मुख्यालयों में, प्रत्येक में एक प्रकोष्ठ स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा गया है। 13) दाल, तेल आदि जैसी वस्तुओं की अधिप्राप्ति बाजार से की जा रही है। हैदराबाद कृषि सहकारी संघ (एचएसीए) और आयलफैड द्वारा रित्थु बाजारों और उनके खुदरा काऊंटरों के माध्यम से कम दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 14) उपलब्धता और मूल्यों स्तरों की निगरानी के लिए आयुक्त नोडल अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं और यह प्रक्रिया सही चल रही है। जब कभी आवश्यक होगा तो, निगम प्रशासन विभाग की सहमति से, निगम आयुक्तों को भी नोडल अधिकारियों के रूप में पदनामित किया जाएगा। 15) समाहर्ताओं से कहा गया है कि वे सट्टेबाजी व्यापार में संलिप्त और समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में रख-रखाव के प्रति पूर्वाग्रही लोगों के विरूद्ध चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कार्रवाई करें। 16) चावल और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उच्च सब्सिडीकृत दरों पर की जा रही है। कृषि विपणन यार्डों हेतु स्थानीय करों/शुल्कों इत्यादि को हटाने के संबध में समुचित निर्णय लेने के लिए विपणन विभाग द्वारा मामले की अलग से जांच की जा रही है।
33.	<u>**त्रिपुरा –**</u> संसूचित नहीं।
34.	<u>**उत्तर प्रदेश –**</u> संसूचित नहीं।
35.	<u>**उत्तराखंड**</u> 1) प्याज और आलू की आपूर्ति और मूल्य की निगरानी करने के लिए, सभी जिला मजिस्ट्रेटों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। 2) जिला स्तर पर, उप मंडल मजिस्ट्रेटों और मंडी प्राधिकारियों द्वारा आपूर्ति श्रृखंला पर कड़ी नजर रखी जा रही है और वे फलों और सब्जियों की थोक एवं खुदरा कीमतों की निगरानी कर रहे हैं। 3) 'उत्तरांचल अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश, 2003' के तहत प्रत्येक जिले में, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया है, जिसमें खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि विभाग, मंडी समिति, आवश्यक वस्तुओं के बाट विभाग के अधिकारी शामिल हैं। 4) प्याज और आलू की उच्च खुदरा कीमतों को नियन्त्रित करने के लिए, उत्तराखंड में मंडियों द्वारा भी स्टाल लगाए गए हैं जहां उपभोक्ताओं को थोक मूल्यों पर प्याज और आलू उपलब्ध हैं। यदि खुदरा मूल्यों में और अधिक वृद्धि होती है तो हम खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत उचित दर की दुकानों के माध्यम से नियंत्रित दरों पर प्याज और आलू की बिक्री भी करेंगे।

	5) खाद्य आयुक्त ने जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया है जिसमें अधीन एक दल है, जिसमें जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, सचिव, मंडी समिति, जिला कृषि अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक मजिस्ट्रेट शामिल हैं। उपर्युक्त दल द्वारा नेमी निरीक्षण कार्य के साथ-साथ अनाज, दलहन, नमक, सब्जियों और फलों की कीमतों संबंधित औचक निरीक्षण भी करने होते हैं। 6) आवश्यक वस्तुओं खासतौर पर सब्जियों, नमक खाद्य तेल आदि की जमाखोरी और चोरबाजारी को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, उप मंडल मजिस्ट्रेटों, जिला आपूर्ति अधिकारियों, आपूर्ति निरीक्षकों, विपणन निरीक्षकों इत्यादि द्वारा नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं। 7) महंगाई, खासतौर पर फलों और सब्जियों की महंगाई को रोकने के लिए किए गए दीर्घकालिक उपायों से खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को अपनी उपज का अधिक मूल्य प्राप्त होगा और शहरों में उपभोक्ताओं को कम कीमत चुकानी पड़ेगी। वर्तमान में, व्यापारियों और बिचौलियों द्वारा आवश्यक सब्जियों और फलों की कीमतें अनुचित रूप से बढ़ाई जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप मंहगाई और नागरिकों में असंतोष बढ़ रहा है। 8) राज्य द्वारा, सन् 2011 में कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम पारित किया गया था, अब राज्य सरकार द्वारा नियम तैयार किए जा रहे हैं। अधिनियम के प्रमुख उपबंध निम्नानुसार हैं: • कृषकों के समूह की अध्यक्षता में समिति का गठन। • उपभोक्ता कृषक बाजार (आपणु बाजार - अधिनियम की धारा 84) का प्रावधान – 04 उपभोक्ता कृषक बाजारों: 03 देहरादून और 01 बागेश्वर, की स्थापना की गई है और उत्तराखंड सरकार राज्य के विभिन्न स्थानों पर ऐसे 50 उपभोक्ता कृषक बाजार स्थापित करने वाली है। • निजी मंडी का प्रावधान। • संविदा कृषि का प्रावधान - यह पहाड़ों में उन कृषकों की मदद करेगा जो गांवों से चले गए हैं। • ई-ट्रेडिंग का प्रावधान – संग्रहण केन्द्रों की स्थापना, जहां कृषक अपनी उपज भंडारण उद्देश्य के लिए ला सकते हैं और सामूहिक रूप अपनी उपज नजदीक के मंडी यार्ड में ले जा सकते हैं।
36.	**पश्चिम बंगाल** – संसूचित नहीं।

तमिलनाडु में सी0एस0सी0आई0डी0 के गठन एवं कार्यकरण के संबंध में विस्तृत नोट

आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में अनाचार की जांच करने तथा आवश्यक वस्तुओं के व्यापार एवं आपूर्ति में चोर-बाजारी, जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के संबंध में शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचित किसी आदेश के उल्लंघन को रोकने की जांच करने के लिए पुलिस विभाग में सी0एस0सी0आई0डी0 नामक एक पृथक विंग की स्थापना की गई है ताकि सरकारी स्कीमों के लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सकें।

विगत में, आवश्यक वस्तुओं के व्यापार के संबंध में सरकार द्वारा विभिन्न नियंत्रण आदेशों तथा अन्य विनियामक उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए वर्ष 1964 में खाद्य एवं कृषि विभाग के दिनांक 01.10.1964 के जी0ओ0एम0एस0 संख्या 2754 के तहत पुलिस उपमहानिरीक्षक, सी0आई0डी0, मद्रास के समग्र नियन्त्रण में एक अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नागरिक आपूर्ति सतर्कता एकक की स्थापना की गई थी। (शासकीय आदेश की प्रति संलग्न है)

वर्ष 1977 में सहकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के दिनांक 02.05.1990 के जी0ओ0एम0एस0 संख्या 377 के तहत संगठन का नाम बदल कर नागरिक आपूर्ति दांडिक जांच विभाग कर दिया गया। डी.आई.जी. पुलिस मुख्यालय, नागरिक आपूर्ति सी.आई.डी. और सी.एस.सी.आई.डी. की सभी जिला इकाईयों को, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड (एस.) के तहत, संपूर्ण तमिलनाडु राज्य और संबंधित जिलों पर क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है और यह भी घोषित किया गया है कि सी.एस.सी.आई.डी. के सभी पुलिस अधिकारी पुलिस उप-निरीक्षकों से उच्च स्तर के होंगे और उनके पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड (ओ) के तहत पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारियों को दी जाने वाली शक्तियां होगी। (शासकीय आदेश की प्रति संलग्न है)

नागरिक आपूर्ति, सी.आई.डी. की स्थापना, राज्य सरकार को, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं 3, 4, 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार की गई थी।

वर्तमान में इस संगठन की अध्यक्षता पुलिस के अपर महानिदेशक द्वारा की जा रही है।

सी.एस.सी.आई.डी. जनशक्ति

- इस समय, सी.एस.सी.आई.डी. में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या 381 है। पुलिस विभाग से ऋण आधार पर, तमिलनाडु विशेष पुलिस के 60 कार्मिक कार्य कर रहे हैं।
- यह इकाई नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण आयुक्त के सीधे नियन्त्रण में कार्य कर रही है और इसके अतिरिक्त, यह सहकारिता खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, के सचिव, भारत सरकार के नियन्त्रण में है।
- सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है।
- मंत्रालयी स्टॉफ के अध्यक्ष, अपर महानिदेशक. पुलिस के वयैक्तिक सहायक के रैंक के अधिकारी हैं।

संगठनात्मक ढांचा

- नागरिक आपूर्ति, सी.आई.डी. के अपर महानिदेशक, पुलिस, की सहायता के लिए पुलिस मुख्यालय में एक पुलिस महानिरीक्षक द्वारा और प्रतिदिन आने वाले अनेक मुकदमों पर अपनी राय देने के लिए, एक कानूनी सलाहकार हैं।
- विभाग से संबंधित भौतिक संसाधनों/आवश्यकताओं का पता लगाने और अन्य विभागों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए इसके अन्तर्गत पुलिस निरीक्षक की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक शाखा है।

- तस्करी, जमाखोरी, चोरबाजारी, मिलावट आदि की गतिविधियों के संबंध में सूचना एकत्रित करने के लिए मुख्यालय में, इसके अन्तर्गत पुलिस निरीक्षक की अध्यक्षता में एक आसूचना शाखा है।
- फील्ड संचालनों का पर्यवेक्षण करने के लिए दो पुलिस अधीक्षक - एक चेन्नई में और एक मदुरै में - हैं।
- तमिलनाडु के 32 जिलों में से प्रत्येक में एक सी.एस.सी.आई.डी. यूनिट है। केरल के साथ लगती अत्याधिक छिद्रित सीमा की निगरानी करने के लिए कोयम्बटूर जिले में एक अन्य यूनिट है, जिसमें छिद्रित सीमा की निगरानी के लिए कार्मिकों की संख्या को बढ़ाते हुए, 25 कार्मिकों की तैनाती की गई है।
- 22 महत्वपूर्ण इकाईयों की अध्यक्षता पुलिस निरीक्षकों द्वारा और शेष 11 इकाईयों की अध्यक्षता पुलिस उप निरीक्षकों द्वारा की जाती है।
- तस्करी को रोकने के लिए अत्यधिक संवेदनशील सीमा वाले जिलों में गश्त के लिए बोलेरो जीप से सुसज्जित '5 विशेष उड़न दस्ते' हैं जिनकी अध्यक्षता पुलिस के उप निरीक्षक द्वारा की जाती है।
- सभी इकाईयों को वी.एच.एफ. सेट्स, वॉकी-टॉकी, टेलीफोन, कम्प्यूटर, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, फैक्स मशीनें, फोटो कॉपियर, वीडियो कैमरे, डिजिटल कैमरे और एक नियमित पुलिस स्टेशन के संचालन के लिए आवश्यक अन्य उपकरण प्रदान किए गए हैं।
- सभी पुलिस स्टेशनों और मुख्यालयों को तमिलनाडु पुलिस विभाग के सी.सी.टी.एन.एस. (क्राईम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क प्रणाली) से जोड़ा गया है।
- राज्य में इकाईयों के पदानुक्रम और स्थान को दर्शाने वाले चार्ट की सूची संलग्न है। (प्रति संलग्न)

<u>कानुन प्रवर्तन:</u>

- सी.एस.सी.आई.डी. का प्रमुख कार्य, निम्नलिखित दो केन्द्रीय अधिनियमों का प्रवर्तन करना है:
  - (i) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (मुख्य रूप से धारा 3 और 6) का प्रवर्तन।
  - (ii) चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (चोरबाजारी निवारण अधिनियम) का प्रवर्तन।
- दूसरा अधिनियम, ऐसे कुख्यात अपराधियों, जिन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और जिनके विरूद्ध बार-बार प्रतिकूल सूचना मिल रही है, को नजरबंद करने हेतु निवारक नजरबंदी अधिनियम है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए किसी अपराधी को चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए नजरबंद किया जा सकता है।
- अधिनियमों की सूची और विभिन्न अपराधों के लिए महत्वपूर्ण धाराओं की सूची (प्रति संलग्न)

अनुलग्नक : उपरोक्तानुसार

शिव दास मीणा
सरकार के प्रधान सचिव

आवश्यक वस्तु विनिमय एवं प्रवर्तन

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

1. कौन सी वस्तु को आवश्यक वस्तु कहा जाता है?

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में शामिल कोई भी वस्तु, इस अधिनियम और चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के प्रयोजनार्थ आवश्यक वस्तु है।

2. क्या सभी आवश्यक वस्तुएं स्टॉक सीमाओं और जमाखोरी के तहत आती हैं?

जी, नहीं। किसी भंडार को जमाखोरी कहने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को उसके संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक सीमा आदेश जारी करने होंगे। इन आदेशों के उल्लंघन में रखी गई वस्तु की कोई भी मात्रा जमाखोरी कहलाएगी। यदि स्टॉक सीमाएं नहीं लगाई गई हैं तो उस वस्तु की जमाखोरी का प्रश्न ही नहीं उठता।

3. क्या आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्यीय संचलन, वितरण और व्यापार पर कोई प्रतिबंध है?

जी, नहीं। आवश्यक वस्तु अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत संघ सरकार के दिनांक 15.02.2002 के आदेश के अनुसार आवश्यक वस्तुओं के व्यापार से सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। यदि किसी अन्य अधिनियम में किसी प्रकार के प्रतिबंध का उपबंध है तो इस मुद्दे का समाधान संबंधित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

4. क्या आवश्यक वस्तुओं पर स्टॉक सीमाएं लगाने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है?

जी, नहीं। जब कभी भी किसी आवश्यक वस्तु की कीमतों में अनुचित कीमत वृद्धि को कम करने का दबाव होता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेशों को अधिसूचित करके स्टॉक सीमाएं निर्धारित करने और संघ सरकार के अनुमोदन के उपरांत उन्हें अधिसूचित करने की शक्तियां संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को दे दी जाती हैं।

5. क्या राज्य आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय गठित कर सकते हैं?

जी, हां। राज्यों के पास किसी भी प्रकार के अपराधों के लिए, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से विशेष न्यायालय गठित करने की अंतर्निहित शक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त, आवश्यक वस्तुओं के मामले में विद्यमान न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित किया जा सकता है। तथापि, किसी राज्य को ऐसे न्यायालय की आवश्यकता हो और वह केंद्र सरकार से परामर्श चाहता हो तो केंद्र सरकार के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

6. क्या आवश्यक वस्तु की कृत्रिम कमी को केंद्र सरकार द्वारा रोका जाएगा?

जी, हां। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई राज्य सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोई सांविधिक आदेश जारी करना चाहती है तो वह उसे दिनांक 09 जून, 1978 के पत्र द्वारा प्रत्यायोजित की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ सरकार के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव भेज सकती है।

7. आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और चोरबाजारी के विरूद्ध शिकायत किस प्राधिकारी से की जाएगी?

आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत ऐसी शिकायत - जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सम्बन्धित विभाग के सचिव अथवा राज्य द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक को भेजी/से की जा सकती है। राज्य के पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव को भी ऐसी शिकायतें भेजी/की जा सकती है।

8. क्या आवश्यक वस्तु के संबंध में अधिकतम खुदरा मूल्य लागू होता है?

जी, हां। शीघ्र नष्ट न होने वाली वस्तुओं के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित किया जाता है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के संबंध में उत्पादक/विनिर्माता द्वारा लिए जाने वाले विक्रय मूल्य और खुदरा कीमत के बीच न्यूनतम अंतर सुनिश्चित करने के लिए कीमतों को विनियमित करना राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की जिम्मेदारी है।

9. क्या आवश्यक वस्तुएं (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1981 अभी भी प्रभावी है?

जी, नहीं। विशेष प्रावधान अधिनियम आरम्भ में केवल पांच वर्ष के लिए ही प्रभावी था। इसे दो बार बढ़ाया गया जिससे यह 15 वर्षों तक प्रभावी रहा। इस प्रकार 26.09.1996 से यह अधिनियम प्रभावी नहीं है, हालांकि इसे किसी निरस्तीकरण अधिनियम द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, इसे एक केंद्रीय अधिनियम, सामान्य खंड अधिनियम, 1887 की धारा 6 के तहत निरस्त हुआ माना जाता है।

10. इन अधिनियमों के कार्यान्वयन की रिपोर्ट कहा से प्राप्त होगी?

राज्य-वार रिपोर्टें भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर आवश्यक वस्तु विनियम एवं प्रवर्तन तथा अधिनियम एवं नियम के तहत उपलब्ध हैं। किसी विशेष राज्य से संबंधित जानकारी संबंधित विभाग के सचिव/मुख्य सचिव से प्राप्त की जा सकती है। किसी जिले से संबंधित जानकारी जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/जिला आयुक्त, जैसा भी मामला हो, से प्राप्त की जा सकती है।

राष्ट्रीय परामर्शी बैठक, 2015 में
केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान
राज्यों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्रियों के साथ

Thapar Printers : 9910433889